लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

तृतीय माला

Third Series

खण्ड ३२, १९६४/१८८६ (शक)

Volume XXXII, 1964/1886 (Saka)

[२७ मई से ५ जून, १९६४/६ ज्येष्ठ से १५ ज्येष्ठ, १८८६ (शक)]

[May 27 to June 5, 1964/Jyaistha 27 to Jyaistha 15, 1886 (Saka)]

Parliament Library

आठवां सत्र, १९६४/१८८६ (शक)

(Eighth Session, 1964/1886 (Saka))

(खण्ड ३२ में अंक १ से ७ तक हैं)

(Volume XXXII contains Nos. 1 to 7)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दीमें दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc in English/Hindi]

811 (Ai) LS—1.

विषय-सूची

अंक ५—बुधवार, ३ जून, १९६४/१३ ज्येष्ठ, १८८६ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ३५७—७९

*तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
१२२	दिल्ली तथा हिमाचल प्रदेश के लिये पुलिस सेवा	३५७—६०
१२३	केन्द्रीय प्रशासनिक सेवाओं में सुधार	३६१—६२
१२४	दिल्ली के स्कूलों में दाखिला	३६२—६३
१२५	दिल्ली का भावी ढांचा	३६३—६५
१२६	भारतीय शिक्षा सेवा	३६५—६८
१२७	माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के लिये ग्रीष्मकालीन शिविर	३६८—७०
१२८	अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सुधार	३७०—७३
१२९	ईरान सरकार द्वारा तेल सम्बन्धी रियायत	३७३—७४
१३०	औद्योगिक प्रबन्ध "पूल"	३७५—७६
१३१	नागा विद्रोहियों द्वारा मारे गये पुलिस कर्मचारी	३७७—७८
१३२	राष्ट्रीय अनुशसन योजना	३७८—७९

प्रश्नों के लिखित उत्तर ३८०—४२०

तारांकित प्रश्न संख्या		
१३३	विज्ञान संबंधी योजना	३८०
१३४	इटली के समाचारपत्र में पश्चिम बंगाल, आसाम और नागालैंड के बारे में प्रकाशित पत्र	३८०
१३५	राज्यों में भ्रष्टाचार निरोधक निकाय	३८०—८१
१३६	उपमंत्री द्वारा सम्पत्ति का अर्जन	३८१
१३७	रासायनिक उद्योग के लिये पश्चिम जर्मनी की "फर्म" के साथ समझौता	३८२
१३८	राज्यों के बीच सीमा सम्बन्धी झगड़े	३८२
१३९	दिल्ली में मूर्तियों का हटाया जाना	३८२—८३
१४०	जम्मू तथा काश्मीर में बम विस्फोट	३८३—८४

*किसी नाम पर अंकित यह चिह्न + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

CONTENTS

No. 5—Wednesday, June 3, 1964 /Jyaistha 13, 1886 (Saka)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 357—79

*Starred Questions Nos.	Subject	Page
122.	Police Service for Delhi and Himachal Pradesh	357—60
123.	Reforms in Central Administrative Services	361—62
124.	Admission in Delhi Schools	362—63
125.	Future Set-up of Delhi	363—65
126.	Indian Education Service	365—68
127.	Summer Schools for Secondary School Teachers	368—70
128.	Reforms in Andaman and Nicobar Islands	370—73
129.	Oil concession from Iranian Government	373—74
130.	Industrial Management Pool	375—76
131.	Policemen killed by Naga Hostiles	377—78
132.	National Discipline Scheme	378—79

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS 380—420

Starred Questions Nos.		
133.	Perspective Plan of Science	380
134.	Letter published in Italian Paper re. West Bengal, Assam and Nagaland	380
135.	Anti-Corruption Bodies in States	380—81
136.	Acquisition of Property by Deputy Minister	381
137.	Agreement with West German Firms for Chemical Industry	382
138.	Border Disputes between States	382
139.	Removal of Statues in Delhi	382—83
140.	Bomb Explosion in Jammu and Kashmir	383—84

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
१४१	साबुन उद्योग . . .	३८४
१४२	अन्दमान द्वीप समूह में शरणार्थियों का पुनर्वास	३८४
१४३	अनुसन्धान संस्थाओं में राजनीति	३८५
१४४	उच्चतर माध्यमिक शिक्षा	३८५
१४५	शिक्षा-आयोग	३८६
१४६	मद्य निषेध	३८६–८७
१४७	कोयाली तेलशोधक कारखाना	३८७
१४८	निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा . . .	३८७–८८
१४९	कालिजों में पाठ्य-पुस्तकों के पुस्तकालय . . .	३८८
१५०	प्रशासनिक समानता . .	३८८–८९
१५१	माध्यमिक स्कूल के अध्यापकों की मांगें	३८९

अतारांकित प्रश्न संख्या		
३०९	चिकित्सा और इंजीनियरिंग पदालियों के लिये अनिवार्य सैनिक सेवा	३८९–९०
३१०	मंत्रालयों में पूछताछ-एवं-स्वागत कार्यालय .	३९०
३१२	संस्कृत संगठनों को सहायता . .	३९०
३१३	राष्ट्रीय एकीकरण तथा शिक्षा .	३९१
३१५	जनता की कठिनाइयों को दूर करना .	३९१–९२
३१६	देहरादून में नेत्रहीन बच्चों के लिये माडल स्कूल	३९२
३१७	भारतीय वैज्ञानिक .	३९२–९३
३१८	दिल्ली में कारों की चोरी . . .	३९३
३१९	अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह में जमानत पद्धति	३९३
३२०	अन्दमान में जरावा लोगों की आक्रामक कार्यवाहियां	३९४
३२१	लड़कियों की शिक्षा	३९४
३२२	दिल्ली में व्यापारियों की गिरफ्तारी .	३९४–९५
३२३	संसद सदस्यों की अन्दमान यात्रा . .	३९५
३२४	शिक्षा को समवर्ती विषय बनाना . .	३९५
३२५	पैट्रोलियम की चीजों का आयात .	३९६

Starred Questions Nos.	Subject	Page
141.	Soap Industry	384
142.	Rehabilitation of Refugees in Andamans	384
143.	Politics in Research Institutes	385
144.	Higher Secondary Education	385
145.	Education Commission	386
146.	Prohibition	386—87
147.	Koyali Refinery	387
148.	Free and Compulsory Education	387—88
149.	Text Book Libraries in Colleges	388
150.	Administrative Uniformity	388—89
151.	Secondary School Teachers' Demands	389

Unstarred Questions Nos.		
309.	Compulsory Military Service for Medical and Englneering Cadres	389—90
310.	Enquiry-cum-Reception Offices in Ministries	390
312.	Aid to Sanskrit Organisations	390
313.	National Integration and Education	391
315.	Redress of Public Grievances	391—92
316.	Model School for Blind Children, Dehra Dun	392
317.	Indian Scientists	392—93
318.	Theft of Cars in Delhi	393
319.	"Surety System" in Andaman and Nicobar Islands	393
320.	Hostile Activities of Jarawas in Andamans	394
321.	Education of Girls	394
322.	Arrest of Businessmen in Delhi	394—95
323.	M.P's visit to Andamans	395
324.	Education as Concurrent Subject	395
325.	Import of Petroleum Products	396

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
३२६	राष्ट्रीय अनुसन्धान विकास निगम . .	३६६
३२७	पिम्परी पेनिसिलिन का मूल्य .	३६७
३२८	उड़ीसा में एक गांव के कुएं में किरोसीन का तत्व .	३६७
३२९	"लैटर्स फ़ाम चाइना—(नम्बर्स १–१०)" .	३६७
३३०	विशाखापत्तनम् में उर्वरक संयंत्र	३६७–६८
३३१	भारतीय विदेश सेवा की मौखिक परीक्षा के लिये अंक	३६८
३३२	उड़ीसा में विकलांगों के लिये छात्रवृत्तियां	३६८
३३३	विदेशों में भारतीय छात्र . .	३६८–६६
३३४	विवियन बोस आयोग की रिपोर्ट पर कार्यवाही .	३६६
३३५	सिंदरी उर्वरक कारखाने में अमोनिया संयंत्र . .	३६६–४००
३३६	उड़ीसा में अनुसूचित जातियों के लिये मकान	४००
३३७	केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त के विरुद्ध आरोप .	४००
३३८	न्यायिक अधिकारियों की तालिका . . .	४००
३३९	कुवैत में भारतीय तेल शोधक कारखाना . . .	४००–०१
३४०	दिल्ली में उच्च माध्यमिक कक्षाओं में दाखिला . .	४०१
३४१	दिल्ली में माध्यमिक स्कूलों की परीक्षायें . .	४०१
३४२	विदेशी तेल कम्पनियां . . .	४०२
३४३	उच्च माध्यमिक शिक्षा का केन्द्रीय बोर्ड . .	४०२–०३
३४४	दिल्ली में प्रौढ़ शिक्षा	४०३
३४५	अन्दमान में आने जाने पर प्रतिबन्ध .	४०३–०४
३४६	अन्दमान के स्कूलों में शिक्षा . . .	४०४
३४७	अन्तर्द्वीप संचार	४०४–०५
३४८	अन्दमान में शरणार्थी	४०५
३४९	अन्दमान में चराई-शुल्क	४०५–०६
३५०	सरकारी कर्मचारियों की निवृत्ति आयु . . .	४०६–०७
३५१	विज्ञान की डाक द्वारा शिक्षा .	४०७
३५२	तिब्बती बच्चों के लिये स्कूल	४०७–०८
३५३	गलत एटलस	४०८

Unstarred Questions Nos,	Subject	Page
326.	National Research Development Corporation	396
327.	Price of Pimpri Penicillin	397
328.	Kerosene Properties in a village well in Orissa	397
329.	"Letters from China—(Numbers 1—10)"	397
330.	Fertilizer Plants at Vishakhapatnam	397—98
331.	Marks for Viva Voce Test for I.F.S.	398
332.	Scholarships to Physically-handicapped in Orissa	398
333.	Indian Students in Foreign Countries	398—99
334.	Action on Vivian Bose Commission Report	399
335.	Ammonia Plant at Sindri Fertiliser Factory	399—400
336.	Houses for Scheduled Castes in Orissa	400
337.	Allegation against Central Vigilance Commissioner	400
338.	Panel of Judicial Officers	400
339.	Indian Refinery at Kuwait	400—01
340.	Seats in Higher Secondary Classes in Delhi	401
341.	Middle School Examinations in Delhi	401
342.	Foreign Oil Companies	402
343.	Central Board of Higher Secondary Education	402—03
344.	Adult Literacy in Delhi	403
345.	Restrictions on Movement in Andamans	403—04
346.	School Education in Andamans	404
347.	Inter-Island Communications	405—05
348.	Refugees in Andamans	405
349.	Grazing Fees in Andamans	405—06
350.	Retirement Age of Government Employees	406—07
351.	Correspondence Course for Science Education	407
352.	Schools for Tibetan Children	407—08
353.	Tendentious Atlas	408

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
३५४	जैसलमेर में तेल . . .	४०८—०९
३५५	तेल उत्पादन और परिष्करण लक्ष्य . . .	४०९
३५६	अनधिकृत रूप से मकान बनाने वालों की भारत प्रतिरक्षा नियमों के अधीन गिरफ्तारियां . . .	४०९
३५७	बाराबत्ती रैफल्ज	४१०
३५८	दिल्ली पुलिस के सिपाहियों के वेतन .	४१०
३५९	"एम० वी० निकोबार" .	४१०
३६१	भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री . .	४११
३६२	अध्यापकों के लड़कों को पुरस्कार .	४११
३६३	नये विश्वविद्यालय . .	४११—१२
३६४	भारत में चीनी निवासी . .	४१२
३६५	देवली शिविर में चीनी नजरबन्दी . .	४१२—१३
३६६	तूतीकोरिन में तेल शोधक कारखाना . .	४१३
३६७	सेवा-निवृत्त व्यक्तियों की अध्यापक के रूप में नियुक्ति	४१३
३६८	प्रादेशिक भाषायें . .	४१३—१४
३६९	गन्धक का तेजाब	४१४
३७०	पुस्तक विक्रेताओं द्वारा निर्धन विद्यार्थियों का शोषण .	४१५
३७१	आई० ओ० सी० तथा इण्डियन रिफाइनरीज का विलय .	४१५
३७२	भारतीय अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी सेवायें .	४१५—१६
३७३	हसनाबाद शिविर में पाकिस्तानी जासूस . . .	४१६
३७४	निवारक निरोध अधिनियम तथा भारत सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत निरुद्ध व्यक्ति	४१६—१७
३७५	दिल्ली में प्राथमिक शिक्षा	४१७
३७६	राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला	४१७
३७७	नई दिल्ली में बमों का पाया जाना . .	४१७—१८
३७८	अन्तर्राज्य पुलिस	४१८
३७९	नूनमाटी तेल शोधक कारखाने से गैस . . .	४१८
३८०	सर्वेक्षण कार्यों के लिये नियत धन . . .	४१८—१९
३८०—क	पुनर्गठित सेवा बोर्ड	४१९
३८०-ख	प्रथम विश्व कामगार समारोह . . .	४१९
३८०-ग	भूतत्वीय शास्त्रियों की गोष्ठी . . .	४२०
३८०-घ	रंगाई के माल की कमी	४२०

Unstarred Questions Nos.	Subject	Page
354.	Oil in Jaisalmer	408—09
355.	Oil Production and Refining Targets	409
356.	Arrests under D.I.R. for Unauthorised Constructions	409
357.	Barabati Raffle	410
358.	Pay of Delhi Police Constables	410
359.	"M.V. Nicobar"	410
361.	Former Union Ministers	411
362.	Awards to sons of teachers	411
363.	New Universities	411—12
364.	Chinese Residents in India	412
365.	Chinese Detenues in Deoli Camp	412—13
366.	Oil Refinery at Tuticorin	413
367.	Retired Persons for Teachers' jobs	413
368.	Regional Languages	413—14
369.	Sulphuric Acid	414
370.	Exploitation of Poor Students by Booksellers	415
371.	Merger of I.O.C. and Indian Refineries	415
372.	Indian Economics and Statistical Services	415—16
373.	Pakistani Spy in Hasanabad Camp	416
374.	Persons Detained under Preventive Detention Act and Defence of India Act	416—17
375.	Primary Education in Delhi	417
376.	National Physical Laboratory	417
377.	Recovery of Bombs in New Delhi	417—18
378.	Inter-State Police	418
379.	Gas from Noonmati Refinery	418
380.	Funds allotted for Survey operations	418—19
380-A	Reformed Service Board	419
380-B	The First World Workers' Festival	419
380-C	Seminar of Geologists	420
380-D	Shortage of Dye-Stuffs	420

विषय	पृष्ठ
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	४२०–२२
(१) दक्षिण पूर्व रेलवे के राजनन्द गांव स्टेशन पर ३२७ अप पैसेंजर और लाइट इंजन के बीच टक्कर	४२०–२१
श्री राम सेवक यादव	४२०–२१
श्री शाहनवाज खां	४२१
(२) लापता इल्युशिन विमान के बारे में कथित समाचार	४२१–२२
श्री स० मो० बनर्जी	४२१
श्री दा० रा० चह्वाण	४२१–२२
सभा पटल पर रखा गया पत्र	४२२
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	
पैंतालीसवां प्रतिवेदन	४२२
गन्दी बस्ती क्षेत्र (सुधार तथा सफाई) संशोधन विधेयक	४२२–३८
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	४२२
महाराजकुमार विजय आनन्द	४२३
श्री कृपलानी	४२३–२४
श्री गौरी शंकर कक्कड़	४२४–२५
श्री सुब्बारामन	४२५–२६
श्री प० ह० भील	४२६
श्री मुथिया	४२६–२७
श्री स० मो० बनर्जी	४२७–२८
श्री हुकम चन्द कछवाय	४२८
श्री मेहर चन्द खन्ना	४२८–३०
खण्ड २ से २० और १	४३१–३३
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	४३३
श्री मेहर चन्द खन्ना	४३३
डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी	४३४
खाद्य अपमिश्रण रोक (संशोधन) विधेयक	४३४–४५
संयुक्त समिति को निर्दिष्ट करने का प्रस्ताव	४३४
डा० सुशीला नायर	४३४
श्री प्रभात कार	४३५–३६

Subject	Page
Calling Attention to Matters of Urgent Public Importance	420—422
(i) Collision between 327 UP Passenger and light engine at Rajnandgaon station of South Eastern Railway . . .	420—21
Shri Ram Sewak Yadav .	420-421
Shri Shahnawz Khan	421
(ii) Reported news about the missing Ilyushin Air-craft	421—22
Shri S. M. Banerjee . .	421
Shri D. R. Chavan	421-422
Paper laid on the Table	422
Committee on Private Members' Bills and Resolutions .	
Forty-fifth Report—presented	422
Slum Areas (Improvement and Clearance) Amendment Bill .	422—38
Motion to consider, as reported by Joint Committee .	422
Maharajkumar Vijaya Ananda	423
Shri J. B. Kripalani .	423—24
Shri Gauri Shankar Kakkar . . .	424—25
Shri Subbaraman .	425—26
Shri P. H. Bheel	426
Shri Muthiah .	426—27
Shri S.M. Banerjee . .	427—28
Shri Hukam Chand Kachhavaiya .	428
Shri Mehr Chand Khanna .	428—30
Clauses 2 to 20 and 1 . .	431—33
Motion to pass as amended .	433
Shri Mehr Chand Khanna .	433
Dr. L.M. Singhvi	434
Prevention of Food Adulteration (Amendment) Bill .	434—45
Motion to refer to Joint Committee	434
Dr. Sushila Nayar	434
Shri Prabhat Kar	435—36

विषय	पृष्ठ
श्री बाल कृष्णन्	४३६
श्री दी० चं० शर्मा . . .	४३६-३७
श्री बड़े . .	४३७
श्री मा० ल० जाधव .	४३७-३८
श्री यशपाल सिंह .	४३८
श्री सिंहासन सिंह . .	४३८
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी	४३८-३९
श्री हेम राज . . .	४३९-४०
श्री अ० ना० विद्यालंकार . . .	४४०-४१
डा० मा० श्री अणे .	४४१
श्री ओंकार लाल बेरवा .	४४२-४३
श्री सरजू पाण्डेय .	४४३
श्री तुलसी दास जाधव . .	४४३-४४
श्री भू० ना० मंडल . .	४४४
श्री शिव नारायण	४४४-४५

SUBJECT	PAGE
Shri Balakrishnan	436
Shri D.C. Sharma	436—37
Shri Bade	437
Shri M. L. Jadhav	437—38
Shri Yashpal Singh	438
Shri Sinhasan Singh	438
Shri Tridib Kumar Chaudhuri . . .	438—39
Shri Hem Raj	439—40
Shri A. N. Vidyalankar . .	440—41
Dr. M. S. Aney . . .	441
Shri Onkar Lal Berwa	442—43
Shri Sarjoo Pandey .	443
Shri Tulsi Das Jadav	443—44
Shri B. N. Mandal . . .	444
Shri Sheo Narain	444—45

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, ३ जून, १९६४/१३ ज्येष्ठ, १८८६ (शक)

Wednesday, June 3, 1964/Jyaistha 13, 1886 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair.*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

दिल्ली तथा हिमाचल प्रदेश के लिये पुलिस सेवा

***१२२. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली और हिमाचल प्रदेश पुलिस सेवा के लिये बनाये गये नियमों में यह व्यवस्था है कि उसके लिये भविष्य में केवल पंजाब तथा उत्तर प्रदेश की पुलिस सेवाओं में काम कर रहे व्यक्तियों को ही लिया जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो अन्य राज्यों की पुलिस सेवाओं के प्रति इस प्रकार का भेदभाव किन कारणों पर आधारित है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी): (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

दिल्ली और हिमाचल प्रदेश पुलिस सेवा नियम, १९६१ के उपबन्धों के अनुसार, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश पुलिस सेवा में उसके प्रारम्भिक गठन के समय मुख्यतया नियुक्तियां उन व्यक्तियों में से की जानी थीं जो कि ३० मार्च, १९६१ को दिल्ली अथवा हिमाचल प्रदेश के संघ राज्य क्षेत्र में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर कार्य कर रहे थे। यदि पर्याप्त मात्रा में उपयुक्त अधिकारी उपलब्ध न हों, तो पुलिस सेवा में उसके प्रारम्भिक गठन के समय उन व्यक्तियों में से नियुक्तियां की जा सकती थीं जो कि ३० मार्च, १९६१ को पंजाब अथवा उत्तर प्रदेश राज्य में उस पद पर कार्य कर रहे हों जो कि दिल्ली अथवा हिमाचल प्रदेश संघ राज्य-क्षेत्र के उप पुलिस अधीक्षक के पद के बराबर माना जाता हो। केवल दूसरे चयन को ही पंजाब तथा उत्तर प्रदेश की पुलिस सेवाओं तक

सीमित रखा गया था। दूसरे प्रकार के चयन को उत्तर प्रदेश तथा पंजाब की पुलिस सेवाओं तक ही सीमित रखे जाने का आधार यह था कि पहले दिल्ली पुलिस में उप पुलिस अधीक्षकों के पदों पर केवल इन दो राज्यों की पुलिस सेवाओं के अधिकारी ही कार्य कर रहे थे। यह पद्धति केवल प्रारम्भिक गठन के समय ही अपनाई गई थी और यह भविष्य की नियुक्तियों के लिये लागू नहीं है।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : मुझे यह कहते हुए खेद है कि सभा-पटल पर रखे गये विवरण में उन कारणों को बताने के बजाय जिन्हें कि हम जानना चाहते थे वही बात कही गई है जो कि हम पूछ रहे हैं . . .

अध्यक्ष महोदय : भविष्य में नियुक्तियां इस प्रकार नहीं होंगी। विवरण में यह बात बताई गई है।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : यह उत्तर तो दिया गया है। परन्तु हम तो यह जानना चाहते थे कि इन परिनियत नियमों में भेदभाव किस कारण रखा गया था; स्पष्टतः ही उन सब अधिकारियों के विरुद्ध भेदभाव रखा गया था जो कि पंजाब अथवा उत्तर प्रदेश सेवाओं में कार्य नहीं करते थे। वह क्या कारण था जिससे बाध्य होकर सरकार को परिनियत नियमों में अन्य राज्यों के सब अधिकारियों के विरुद्ध भेदभावपूर्ण व्यवस्था करनी पड़ी ?

श्री हाथी : इसका एक ऐतिहासिक आधार है। १९१२ में दिल्ली को सभी प्रयोजनों के लिये पंजाब का एक अंग माना जाता था . . .

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : परन्तु उत्तर प्रदेश का नहीं।

श्री हाथी : जहां तक दिल्ली पुलिस प्रशासन का सम्बन्ध था, स्थिति यह थी कि दिल्ली पुलिस में पंजाब पुलिस के आदमी कार्य कर रहे थे। इससे पंजाब पर भारी भार पड़ रहा था। इसलिये यह निर्णय किया गया कि ५० प्रतिशत व्यक्ति पंजाब के हों तथा ५० प्रतिशत उत्तर प्रदेश के, क्योंकि उस समय दिल्ली पुलिस सेवा नहीं थी। तब अन्त में यह निर्णय किया गया कि इस ५० : ५० के अनुपात को घटा कर पंजाब से २५ प्रतिशत तथा उत्तर प्रदेश से २५ प्रतिशत कर दिया जाये, और शेष ५० प्रतिशत स्थानों की पूर्ति अन्य विभिन्न स्थानों से की जाये।

दिल्ली पुलिस सेवा का गठन पहली बार १९६१ में किया गया था। उस समय जो अधिकारी उसमें कार्य कर रहे थे उन्हें उसमें खपा लिया गया था; ये अधिकारी मुख्यतया पंजाब तथा उत्तर प्रदेश पुलिस सेवाओं के थे। इसलिये उन्हें तो खपाया ही जाना था। परन्तु यदि अन्य किसी स्थान का अधिकारी भी कार्य कर रहा हो तो उसे भी खपाया जाना था। वास्तव में राजस्थान के दो पुलिस अधिकारी कार्य कर रहे थे। उनमें से से एक इस पदालि में सम्मिलित कर लिया गया था। दूसरे अधिकारी के समक्ष भी प्रस्ताव रखा गया था परन्तु उसे राज्य सरकार ने छोड़ा नहीं अतः वह सम्मिलित नहीं किया जा सका। अब प्रारम्भिक गठन की अवस्था समाप्त हो चुकी है।

जहां तक संधारण प्रकम का सम्बन्ध है, अब न कोई प्रतिबन्ध है और न कोई भेदभाव है। प्रत्येक स्थान का व्यक्ति इसमें आ सकता है; समस्त देश में जो भी अर्हता प्राप्त व्यक्ति है वह संघ लोक सेवा आयोग में आवेदन पत्र भेजने का पात्र है।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या मैं जान सकता हूं कि इस पदालि के अधिकारियों की संख्या में हाल ही में की गई वृद्धि के पश्चात उनकी वास्तविक संख्या कितनी है, इस सेवा के गठन के समय से लेकर इसके कुल कितने रिक्त स्थान रहे हैं तथा उनमें से कितने स्थानों पर नियुक्तियां कर दी गई है ?

श्री हाथी : मेरे विचार में उप पुलिस अधीक्षकों की कुल संख्या ५५ है, जिसमें से २४ भरती किये जा चुके हैं तथा शेष प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे हैं। जो अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे हैं यदि वे अपने राज्यों को वापस जाना चाहें तो उन्हें वापस भेज दिया जायेगा और उन रिक्त स्थानों को खुली भरती द्वारा भरा जायेगा और कोई भी व्यक्ति जो कि इसके लिये अर्हता प्राप्त हो इस में आ सकता है ।

श्री श्यामलाल सर्राफ : जब तक दिल्ली पुलिस सेवा पृथक् रूप से स्थापित की गई तब तक पंजाब और उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा से लिये गये कर्मचारियों की वरिष्ठता का क्रमशः उन राज्यों द्वारा कायम रखी जा रही थी ? अथवा यदि नहीं तो, उस सम्बन्ध में क्या किया जा रहा था ?

श्री हाथी : अब दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के लिये बिल्कुल पृथक पृथक पुलिस सेवा स्थापित हो गई है। अब सेवा की विरिष्ठता पंजाब अथवा उत्तर प्रदेश की सूची पर आधारित नहीं होगी, परन्तु वरिष्ठता परस्पर दिल्ली तथा हिमाचल प्रदेश पदालि में होगी और सेवा की अवधि आदि के बारे में यहां पर विचार किया जायेगा ।

श्री श्यामलाल सर्राफ : जो अधिकारी पहिले ही से वहां कार्य कर रहे थे और पंजाब तक उत्तर प्रदेश सेवाओं से आगे हुए थे क्या उनकी वरिष्ठता क्रमशः उन सम्बन्धित राज्यों की विरष्ठता सूची में कायम रखी जा रही थी ? अथवा यदि नहीं, तो क्या स्थिति थी ?

श्री हाथी : वह वहां पर कायम रखी जा रही थी ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या यह सच नहीं है कि विभिन्न राज्यों में राज्य स्तर पर जो भरती की जा रही थी वह केवल उन राज्यों विशेषों के नागरिकों तक ही सीमित थी और केवल केन्द्रीय सरकार की सलाह पर ही वह भारत के सभी नागरिकों के लिये खोली गई थी और यदि हां, तो क्या मैं जान सकता हूं कि केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न राज्यों को क्या सलाह दी थी और क्या वे इस विशेष मामले में उस सलाह का उल्लंघन करके उसके प्रतिकूल कार्य नहीं कर रहे हैं ?

श्री हाथी : स्वयं संविधान में ही यह व्यवस्था की गई है कि जाति, वंश अथवा निवास स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाना चाहिये। कदाचित, सदस्यों को यह याद होगा कि गत महीने में ही हमने आंध्र प्रदेश के तेलांगना क्षेत्र के बारे में एक विधेयक पारित किया है, जिसके अधीन उन क्षेत्रों को संरक्षण प्रदान किया गया है। अन्यथा, निवास सम्बन्धी आधार पर कोई भेदभाव नहीं बरता जाता है। अब एसी कोई शर्त नहीं है कि किसी राज्य विशेष के नागरिक ही उस सेवा के पात्र होंगे ।

अध्यक्ष महोदय : श्री हरिश्चन्द्र माथुर का प्रश्न इससे भिन्न था। वह यह जानना चाहते हैं कि यह क्या पहले राज्यों में भरती केवल उन राज्यों के नागरिकों तक ही सीमित थी और केवल केन्द्रीय सरकार के द्वारा सलाह दिये जाने पर ही उसके अनुसरण में यह प्रतिबन्ध हटाया गया था और इस सलाह के बावजूद भी कुछ राज्य अब भी उस नियम का उल्लंघन कर रहे हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : मेरा प्रश्न यह था। केन्द्रीय सरकार की मन्त्रणा पर ऐसे प्रदेश सम्बन्धी प्रतिबन्ध हटा लिये गये थे। परन्तु यहां पर भरती को उत्तर प्रदेश तभा पंजाब के अधिकारियों तक सीमित करके केन्द्रीय सरकार स्वयं ही प्रदेश सम्बन्धी प्रतिबन्धों का पालन कर रही है।

श्री हाथी : अब वह प्रतिबन्ध हटा दिया गया है। हम यह नहीं चाहते कि निवास सम्बन्धी शर्तों के आधार पर कोई भेदभाव बरता जाये।

इस विशेष मामले में, निवास सम्बन्धी शर्तों की कोई बात नहीं थी, परन्तु जो लोग पहिले ही से कार्य पर लगे हुए थे उन्हें इस नई पद्धति में खपा लिया गया था। अब, जहां तक दिल्ली का सम्बन्ध है, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं बरता जायेगा और कोई भी अर्हता प्राप्त व्यक्ति सेवा में आ सकता है।

श्री रंगा : अन्य सब बातों को छोड़ कर, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि दिल्ली नगर में तथा कथित दिल्ली निगम क्षेत्र प्रमुख है तथा यह एक अखिल-भारतीय महत्व का नगर है जिसमें भारत के प्रत्येक कोने के व्यक्ति रहते हैं, क्या सरकार इस बात का विशेष ध्यान रखेगी कि वे जो पुलिस सेवा में भरती करें उसमें सारे भारत से लोगों को लिया जाये तथा जितने अधिक राज्यों को सम्भव हो सके उतनों को सेवा में आने का प्रोत्साहन दिया जाये ?

श्री हाथी : निश्चित रूप से ही ऐसा होगा; अब भारत के किसी भी भाग के व्यक्ति के लिये यह सेवा खुली रहेगी। पंजाब अथवा उत्तर प्रदेश के पक्ष में कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया जायेगा, वह बात अब समाप्त कर दी गई है।

Shri Onkar Lal Berwa : It is given in the statement that persons from Punjab and Uttar Pradesh will be taken in Delhi Police Service. May I know whether different kind of training is imparted to police personnel in different States and why persons from Rajasthan Police Service are not taken in Delhi Police Service ?

Shri Hathi : That question does not arise now. It is an old history.

Shri Gulshan : Is it a fact that consequent on the constitution of Delhi and Himachal Pradesh Police Service, ten Sikhs were killed on 22nd May at Gurdwara Poanta Saheb ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न इस समय संगत नहीं है। यह एक बिल्कुल ही दूसरी बात है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Is it a fact that there a vast difference between the sa'aries paid and facilities provided to Delhi and Himachal Pradesh Police service personnel and jail police personnel ? Is it also a fact that there is greater stress of work on police personnel for jails ? May I know the reasons for this difference ?

Mr. Speaker : It is not relevant hare to ask question regarding jails.

Shri Gulshan : Mr. Speaker, Sir, my question has not been answered.

Mr. Speaker : I have not allowed that.

Shri Gulshan l Did Delhi polic people go there ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति।

श्री श० ना० चतुर्वेदी : माननीय मन्त्री ने यह बताया था कि प्रारम्भिक गठन के समय भी इस सेवा में अन्य राज्यों के व्यक्तियों को भी खपाया गया था। क्या मैं जान सकता हूं कि उत्तर प्रदेश तथा पंजाब के पुलिस अधिकारियों को प्राथमिकता क्यों प्रदान की गई थी ?

श्री हाथी : विभिन्न राज्यों की पुलिस सेवाओं के वे लोग प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे थे।

केन्द्रीय प्रशासनिक सेवाओं में सुधार

***१२३. श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय प्रशासनिक सेवाओं में क्या सुधार किये जाने के बारे में सोचा जा रहा है ;

(ख) योजना की रूपरेखा क्या है तथा इस पर किस प्रक्रम पर विचार किया जा रहा है ; और

(ग) क्या समस्त व्यावहारिक प्रयोजनों के लिये सेवाओं को राज्यों के लिए अस्थानांतरणीय बनाने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग). केन्द्रीय प्रशासनिक पूल के विभिन्न पहलुओं पर अभी तक विचार किया जा रहा है और इसलिए इस समय इस सम्बन्ध में कुछ कहना सम्भव नहीं है ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : केन्द्रीय सेवाओं में सुधार के सम्बन्ध में, इस सुझाव के सम्बन्ध में कि प्रशासकीय पूल समाप्त कर दिया जाना चाहिये और अन्य अनेक बातों के सम्बन्ध में, विभिन्न समाचार हैं । क्या मैं जान सकता हूं कि प्रशासन के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने किन कठिनाइयों और त्रुटियों का अनुभव किया है, जिनसे प्रेरित हो कर उन्होंने इस प्रश्न को हाथ में लिया है ? इस समय वे किन किन कठिनाइयों को दूर करने के सम्बन्ध में विचार कर रहे हैं और इस समय यह मामला किस प्रक्रम पर है ?

श्री हाथी : सम्पूर्ण मामला विचाराधीन है ; परन्तु मुख्य बात यह है कि हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि औद्योगिक विकास को देखते हुए अन्य कार्यक्रमों को देखते हुए, प्रशासनिक अधिकारियों पर जो भारी कार्य-भार है उस को देखते हुए और प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी को देखते हुए—जोकि हमारी कुछ कठिनाइयां हैं—सम्पूर्ण केन्द्रीय प्रशासनिक पूल में किस प्रकार अग्रेतर सुधार किया जाना चाहिये ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या पदावधि प्रणाली को समाप्त करने और सचिवों तथा अपर सचिवों को केवल केन्द्रीय सरकार में ही रख कर राज्य सरकारों को उन से वंचित रखने वाली पद्धति को समाप्त करने के बारे में केन्द्रीय सरकार विचार कर रही है, और क्या गत पांच वर्षों में सरकार किन्हीं सचिवों अथवा अपर सचिवों को वापस भेज सकी है ?

श्री हाथी : पदावधि प्रणाली के सम्बन्ध में यह एक सुझाव है और वास्तव में हम इसी प्रश्न पर विचार कर रहे हैं ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या वे इस बात पर तनिक भी विचार कर रहे हैं ?

श्री हाथी : मैंने यही बताया है कि हम इस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं ।

श्री हरि विष्णु कामत : यदि यह मान लिया जाये कि प्रश्न के भाग (क) में परिकल्पित सभी सुधार प्रशासनिक सेवाओं में कार्यकुशलता की वृद्धि करने के लिये हैं, तो क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को यह ज्ञात है कि रोजमर्रा के प्रशासन में राजनैतिक तथा पक्षावलम्बी हस्तक्षेप के कारण सेवाओं के अधिकारियों की कार्यकुशलता कम हो गई है तथा उन के नैतिक स्तर में गिरावट आ गई है और यदि हां, तो इस के लिये क्या औपचारिक उपाय करने का विचार है ?

श्री हाथी : यह प्रश्न केन्द्रीय प्रशासनिक पूल से सम्बन्धित है, परन्तु दूसरा प्रश्न भी कुछ दिन पहले पूछा गया था और अन्य सुधारों के साथ साथ उस पर भी विचार करना होगा ।

Shri Vishram Prasad : Keeping in view the shortage of personnel, as stated by the hon. Minister just now, do Government propose to make a special recruitment and if so, when this recruitment will be made and how many persons will be recruited ?

Shri Hathi : We can get many persons by recruitment but the shortage is of experienced and trained personnel.

Shri Sarjoo Pandey : May I know whether among the various aspects that are still under consideration of the Government this aspect is also being considered as to how persons in administrative services should behave with the public ?

Shri Hathi : Yes, Sir.

Shri Yashpal Singh : Do Government propose to change the nomenclature 'Ziladheesh' of I.A.S. Officers posted at district levels as this expression is against the spirit of democracy ?

Mr. Speaker : This suggestion will be considered.

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या सरकार ने हाल ही में स्वयं सेवाओं में ही परस्पर स्थानांतरण की सम्भावना पर विचार किया है और क्या इस प्रकार के स्थानांतरण को अधिक उत्तम कार्य-कुशलता लाने वाला समझा जायेगा ?

श्री हाथी : इन प्रश्नों पर विचार किया जा रहा है कि क्या विभिन्न राज्यों के अधिकारियों को केन्द्र में और केन्द्र के अधिकारियों को राज्यों में भेजा जाना चाहिये अथवा नहीं ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : विभिन्न राज्यों और केन्द्र के बीच अधिकारियों के स्थानांतरण के बारे में नहीं, अपितु परस्पर सेवाओं में ही अधिकारियों के स्थानान्तरण के बारे में ।

श्री हाथी : यह प्रश्न भी विचाराधीन है । मैं इस सुझाव की सराहना करता हूं ।

Admission in Delhi Schools

\+
*124. **Shri Dali :**
Shri M. L. Dwivedi :
Shrimati Savitri Nigam :
Shri S. C. Samanta :
Shri Subodh Hansda :
Shri Naval Prabhakar :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the number of students seeking admission in Primary, Middle and Higher Secondary Schools in Delhi in the academic year 1964-65 ;

(b) the percentage of those given admission or who will be able to get admission ;

(*c*) the number of new schools likely to be opened in Delhi during the current academic year, and the number of those to be opened both by Government and private organisations separately ; and

(*d*) whether some changes are being made in the syllabus in the Union Territory of Delhi and if so, whether such changes will be effective from the current academic year itself ?

The Minister of Education (Shri M.C. Chagla) : (a) to (d). The information is being collected and will be laid on the Table of the Lok Sabha.

श्री दाजी : क्या सरकार को यह ज्ञात है कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के समाप्त होने के पश्चात् दाखिलों की नई भीड़भाड़ प्रारम्भ हो जाती हैं ? क्या जो विद्यार्थी दिल्ली के स्कूलों में दाखिला लेना चाहते हैं उन्हें उनके स्थान के निकट वाले स्कूलों में ही दाखिला मिल जायेगा ?

श्री मु० क० छागला : मैं अपने माननीय मित्र को यह आश्वासन देता हूं कि दिल्ली के प्रत्येक विद्यार्थी को आवश्यक सुविधायें प्रदान करने का प्रत्येक प्रयत्न किया जायेगा ।

Shri Achal Singh : When will the complete information be available ?

Shri M. C. Chagla : I have got little information with me.

Mr. Speaker : When will the complete information be available ?

Shri M. C. Chagla : I will shortly give the required information, as already stated.

श्रीमती अकम्मा देवी : इस बात को देखते हुए कि स्कूलों के पुन: खुलने के प्रारम्भ के दिनों में प्राइमरी स्तर से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्तर तक दाखिले की भीड़भाड़ रहती है और इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गैर-सरकारी संस्थायें कुछ स्कूल खोलने के लिए तैयार हैं, क्या मैं जान सकती हूं कि क्या सरकार ऐसे स्कूलों को केवल मंजूरी ही नहीं देगी अपितु उन्हें पर्याप्त वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगी ?

श्री मु० क० छागरा : जी, हां । हमारे देश में शिक्षा संस्थायें दोनों प्रकार की हैं सरकारी भी और गैर-सरकारी भी, और जितने उपयुक्त गैर-सरकारी स्कूल खोले जायेंगे उन के लिए प्रत्येक प्रकार की सहायता दी जायगी ।

Shri K. N. Tiwary : The hon. Minister has just stated that he has got a little information with him. Could it be given to the House ?

श्री मु० क० छागला : उपलब्ध जानकारी इस प्रकार है : ११,००० अतिरिक्त विद्यार्थियों ने मिडिल स्तर पर और माध्यमिक स्कूलों में उच्चतर माध्यमिक स्तर पर दाखिला लिया है । छ: से दस वर्ष तक के आयु वर्ग के ४७,००० से अधिक बच्चों के दाखिला लेने की आशा की जाती है । प्राइमरी स्तर पर दाखिला लेने वाले सभी बच्चों को दाखिला देने की व्यवस्था नगर निगम ने की है । उन्होंने मिडिल स्कूलों में ६,००० और बच्चों को भी दाखिला देने की व्यवस्था की है ।

जहां तक उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की संख्या का सम्बन्ध है, १७ मिडिल स्कूलों को सरकार उच्चतर माध्यमिक स्कूल बनायेगी तथा छ: मिडिल स्कूलों को गैर-सरकारी संस्थायें उच्चतर माध्यमिक स्कूल बनायेंगी । ५० प्राइमरी स्कूलों को नगर निगम मिडिल स्कूलों में परिणत कर रही है । नगर निगम ५० नये प्राइमरी स्कूल खोल रहा है । अब तक इतनी ही जानकारी उपलब्ध है ।

Future set-up of Delhi

***125. Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether any outline of the future political set-up of Delhi has been prepared ; and

(b) If not, the time by which the same is likely to be prepared ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra) : (a) & (b). The matter is still under consideration.

Shri Prakash Vir Shastri : Every time, when this question is raised, a reply is given that the matter is still under consideration. May I know from the Government as to what stands in the way of their taking a final decision in this matter.

The Prime Minister , Minister of External Affairs, Minister of Home Affairs and Minister of Atomic Energy (Shri Nanda) : Many a time this Question was considered and consltations made, but it was difficult to arrive at any decision until there was unanimity of opinion. Full agreement could not be reached over the proposals contemplated so far.

Shri Prakash Vir Shastri : May I know whether during the talks which the hon. Home Minister had with certain persons and representatives of the organisations concerned, some private persons suggested that fresh elections be held to have a future political set up of Delhi, and if so, may I know your views regarding that matter ?

Shri Nanda : It was not deemed necessary to give a special consideration to their point.

Shri Siddheshwar Prasad : Why this question of changing the political set up of the capital is raised and considered by the Government again and again ?

Shri Nanda : When this question was raised first it was decided to bring about some change. Discussions were held regarding the nature of the change and the extent of the new powers to be given to the Corporation. But it has not been possible to make all the parties concerned agree to a unanimous proposal.

श्री दी० चं० शर्मा : दिल्ली के नागरिक तथा यहां की जनता दिल्ली के लिए हिमाचल प्रदेश की तरह की एक विधान-सभा चाहते हैं। क्या मैं सरकार से यह जान सकता हूं कि दिल्ली के नागरिकों की इस न्यायोचित मांग पर विचार करने के मार्ग में उन के सामने कौन सी बाधा आ रही है ?

श्री नन्दा : माननीय सदस्य इस मांग को न्यायोचित बताते हैं। खैर, मैं इस विवाद में नहीं पड़ता। इस मामले पर चर्चा की जा चुकी है और यह तय किया जा चुका है।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि सभी राजनैतिक दल, चाहे वह विरोधी दल हो या सत्तारूढ़ दल, इस प्रश्न पर एकमत हैं कि दिल्ली के भविष्य के बारे में निर्णय किया जाये और उसे स्वायत्तता प्रदान की जाये ? मैं यह जानना चाहता हूं कि कौन कौन से दल अथवा व्यक्ति इस कार्य के मार्ग में बाधा बन रहे हैं और इस कार्य में विलम्ब क्यों किया जा रहा है। स्वर्गीय पं० गोविन्द वल्लभ पंत ने इस सम्बन्ध में एक निश्चित आश्वासन दिया था।

श्री नन्दा : वह आश्वासन निगम के कृत्यों का विस्तार करने और उसे अधिक अधिकार प्रदान करने के बारे में दिया गया था जिस से उसके कार्य संचालन में अधिक स्वायत्तता हो सके। इस आधार पर ही बातचीत की गई थी परन्तु किसी तरह से किसी समझौते पर पहुंचना सम्भव नहीं हो सका।

Shri Jagdev Singh Siddhanti : May I know whether the difficulty is regarding the proposal to include certain parts of Uttar Pradesh and Punjab in the administrative area of Delhi ?

Mr. Speaker : That is a different question.

Shri Y. S. Chaudhary : Why are government contemplating to change the present political set up of Delhi ?

Shri Nanda : It has already been discussed.

Shri Bade : Is it a fact that the late Prime Minister gave an assurance that the future political set-up of Delhi will be made like that of Swiss Cantons, and certain persons were even interviewed for such a set up ? It was reported in the press that the set-up will be changed at the earliest possible. Has any such scheme been prepared by the Government ?

Shri Nanda : That out line on scheme was prepared after having discussions and consultation with the late Prime Minister, Shri Jawahar Lal Nehru, but some persons are not satisfied with that.

Shri Bade : Why were they not satisfied ?

Mr. Speaker : It is not necessary to give this information.

श्री बड़े : हम आपका संरक्षण चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक बात तो यह है कि इस समय मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।

श्री बड़े : कौन व्यक्ति इसके मार्ग में बाधा बन रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इस जानकारी को देने के लिए जोर नहीं दे सकता। अगला प्रश्न।

भारतीय शिक्षा सेवा

+

*१२६. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री यवन :
डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री ब० कु० दास :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक भारतीय शिक्षा सेवा का गठन करने में कोई प्रगति हुई है और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) क्या इस विचार को राज्य सरकारों ने सामान्य रूप से स्वीकार कर लिया है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० छागला) : (क) से (ग). पंजाब, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को छोड़ कर सभी राज्य सरकारों ने अखिल भारतीय शिक्षा सेवा बनाना सिद्धान्त रूप से मान

लिया है। इन तीन राज्यों के साथ बातचीत अभी जारी है । सभी राज्यों की सहमति प्राप्त हो जाने के बाद ही योजना का पूरा ब्योरा तैयार किया जायगा।

इस उत्तर में मैं यह परिवर्तन करता हूं कि जहां तक महाराष्ट्र का सम्बन्ध है, मैंने महाराष्ट्र सरकार से बातचीत की थी और आशा है कि वह इसे सिद्धान्त रूप से मान लेगी। अब प्रश्न केवल यह है कि अखिल भारतीय शिक्षा सेवा के कौन से विशिष्ट पद महाराष्ट्र सरकार लेगी और कौन से पदाधिकारी वहां नियुक्त किये जायेंगे। इसलिए वास्तव में हम अभी पंजाब और मध्य प्रदेश से बातचीत कर रहे हैं।

Shri Onkar Lal Berwa : I would like to know whether the States which have not accepted the Scheme for India Educational Service have stated any reasons for their non-acceptance.

Shri M. C. Chagla : So far as I know, Punjab requires more details. They say that it would be a service and they don't know whether there would be admistatrative officers or Educational Officers and discussion is going on with Punjab in this regard.

Shri Hari Vishnu Kamath : What is the reaction of the Madhya Pradesh Government ?

Shri M. C. Chagla : Madhya Pradesh has not taken up any particular point but their explicit reply has not so far been received but we hope all the States would accept it in due course and an Indian Educational Service would be created.

Shri Onkar Lal Berwa : On what basis this Indian Educational Service has been constituted ?

श्री मु० क० छागला : इस का आधार यह है : शिक्षा पदाधिकारियों और प्रशासनिक पदाधिकारियों की दो पदालियां होंगी। कुछ राज्य केवल प्रशासनिक पदाधिकारियों को और कुछ राज्य केवल शिक्षा पदाधिकारियों को स्वीकार कर सकते हैं। इसी स्थूल आधार पर यह सेवायें कायम की जायेगी।

श्री वासुदेवन नायर : क्या केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों पर यह योजना मंजूर करने के लिए दबाव डाल रही है या वे सचमुच ही यह योजना मंजूर कर रहे हैं ?

श्री मु० क० छागला : मुझे यह बताने में प्रसन्नता है कि राज्य सरकारें केन्द्रीय सरकार की ओर से किसी प्रकार के दबाव के बिना ही इसे मंजूर कर रही हैं। हम उन्हें अपने साथ ले चलने की कोशिश कर रहे हैं। किसी दबाव का कोई सवाल नहीं है। यह कहना ठीक नहीं होगा।

श्री रंगा : क्या शिक्षा पदाधिकारियों तथा प्रशासनिक पदाधिकारियों के तथा राज्य की और केन्द्रीय पदालि के अफसरों के वेतन और भत्ते एक से होंगे और क्या किसी राज्य को आगे चल कर उस से अलग होने की स्वतंत्रता होगी ?

श्री मु० क० छागला : मेरा ख्याल है कि उन पर कोई जबर्दस्ती नहीं होगी। यदि कोई राज्य कहे कि हमें केन्द्रीय सरकार से एक अफसर चाहिये तो वह दिया जायेगा और यदि वह नहीं चाहता तो हम उसे मजबूर कैसे कर सकते हैं ?

श्री रंगा : वेतन और भत्तों के बारे में क्या है ?

श्री मु० क० छागला : इस के बारे में भी हम बातचीत कर रहे हैं कि अखिल भारतीय शिक्षा सेवा पदाधिकारी और राजकीय शिक्षा सेवा पदाधिकारी के वेतन में किस प्रकार समन्वय स्थापित किया जाये। यह भी एक कठिनाई है। उस पर बातचीत करने की आवश्यकता है।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : इस शिक्षा सेवा का अनुमानित खर्च और आकार क्या होगा और शिक्षा मंत्री की कल्पना के अनुसार शिक्षा के कौन कौन से क्षेत्र और स्तर इस सेवा के अन्तर्गत संभवतः आ जायेंगे ?

श्री मु० क० छागला : हम संयुक्त शिक्षा पदाधिकारी, शिक्षा निदेशक और शिक्षा/अतिरिक्त निदेशक, संयुक्त निदेशक, शिक्षा वरिष्ठ उपनिदेशक, लोक शिक्षा उपनिदेशक, शिक्षा सहायक निदेशक रखने की सोच रहे हैं और हम ने इन अधिकारियों के वेतन के बारे में अस्थायी सुझाव दिये हैं।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या यह अखिल भारतीय शिक्षा सेवा बनाते समय, केवल कार्यकुशलता को ही ध्यान में रखा जायेगा या और दूसरी बातों पर भी विचार किया जायेगा ?

श्री मु० क० छागला : किसी भी सेवा के लिए कार्यकुशलता ही एकमात्र कसौटी होनी चाहिये और यही बात अखिल भारतीय शिक्षा सेवा के बारे में भी है।

श्री सं० चं० सामन्त : क्या यह सच नहीं है कि ब्रिटिश शासनकाल में कुछ कारणों से भारतीय शिक्षा सेवा बन्द कर ी गयी थी और यदि हां, तो क्या वे कारण दूर किये गये हैं ?

श्री मु० क० छागला : यह हमारा दुर्भाग्यपूर्ण अतीत है कि ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा को महत्व नहीं दिया। उनकी कल्पना के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्लर्क या प्रशासक तैयार करना था। हमारी कल्पना अलग है और हम शिक्षा को राष्ट्रीय एकीकरण का महत्वपूर्ण साधन समझते हैं और इसीलिए अखिल भारतीय शिक्षा सेवा बनाना आवश्यक है।

Shri Siddheshwar Prasad : This Indian Education Service could consist of Educational cadre and administrative cadre and I would like to know which of this posts would be included in the two caders.

Shri M. C. Chagla: Administrative cadre would include directors and inspectors whereas the educational cadre would include principals of Government Colleges and headmasters of Government Institutes.

Shri Prakash Vir Shastri : As has been just stated by the Education Minister the consent of all the States has not so far been obtained. May I know whether any Bill for that purpose is likely to be introduced in the next Session of Parliament after the consent of all the States has been obtained ?

Shri M. C. Chagla : I think a resolution would have to be brought before Parliament, not a Bill.

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : वर्तमान अखिल भारतीय सेवाओं में सभी पदाधिकारी राज्य सरकारों की पदाली में होते हैं और केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार की पदालियों से पदाधिकारी लेती है। अब यह शिक्षा सेवा अन्य अखिल भारतीय सेवाओं से किस रूप में भिन्न होगी ?

श्री मु० क० छागला : मैं इससे सहमत हूं। अखिल भारतीय शिक्षा सेवा केन्द्रीय सेवाओं से कुछ भिन्न दिखायी पड़ती है। शिक्षा राज्यों का विषय है।

श्री हरि विष्णु कामत : मैंने केन्द्रीय सेवाओं के बारे में नहीं कहा । मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा भारतीय पुलिस सेवा आदि जैसी अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में कह रहा था । वे सब राज्य सेवाओं की पदालि में होते हैं और केन्द्रीय सरकार राज्य पदालि से पदाधिकारियों को लेती है जब कि शिक्षा मंत्री कहते हैं कि एक केन्द्रीय सेवा बनेगी और राज्यों को पदाधिकारी दिये जायेंगे ।

श्री मु० क० छागला : मैं ने सवाल समझा है । इसीलिए मैं कहता हूं कि किसी हद तक अलग चित्र दिखायी पड़ता है । लेकिन ऐसा समय आ सकता है जब कि ऐसी व्यवस्था होगी कि राज्य पदाधिकारी अखिल भारतीय सेवा में जा सकते हैं और अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारी राज्यों में जा सकते हैं ।

Shrimati Jayaben Shah : I would like to know the specific advantages of this Indian Education Service and how it would be beneficial to us so as to make of this deficiency.

Shri M. C. Chagla : The greatest advantage would be that it would help in creating national integration and thus the country would become secure. Education is such an important subject that its coordination would be very difficult until its one Service is constituted.

Shrimati Jayaben Shah : I would like to know how it would be beneficial to education and whether it would increase efficiency. It is true that country would be integrated but has this step been taken for bringing about improvement in the standard of education a few other considerations ?

Shri M. C. Chagla : The greatest consideration is education itself and it is only through education that unity can be brought about in India.

माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के लिए ग्रीष्मकालीन शिविर

+

*१२७ { **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री धवन :
श्री दे० जी० नायक :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार देश के विभिन्न स्थानों पर माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के लिए ग्रीष्मकालीन शिविर आयोजित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो कब तथा किन स्थानों पर; और

(ग) इस पर अनुमानतः कुल कितना खर्च आयेगा ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० छागला) : (क) और (ख). राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण के सहयोग से सेकेन्डरी स्कूलों के विज्ञान शिक्षकों के लिए ८ जून, १९६४ से १५ जुलाई, १९६४ तक भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित शास्त्र और जीव-विज्ञान के १९ ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम

प्रदान किया करने वाले हैं। स्थानों के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। कृपया देखिये संख्या एल० टी० २९२१ / ६४]

(ग) कुल अनुमानित खर्च ८ लाख रुपया है जिसमें से ४ लाख रुपया राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद खर्च करेगी और बाकी अमरीका की अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण करेगा।

Shri Vishwanath Pandey : From the Statement laid by the hon. Minister before the House it is clear that places have been selected where training would be imparted. I would like to know whether State Education Ministers and Vice-Chancellors of Universities had been consulted while selecting these places.

Shri M. C. Chagla : Yes Sir, the decision in regard to summer Schools has been taken in consultation. Last time it was done according by and this time also it has done in the same way.

Shri Vishwanath Pandey : Have the teachers been appointed for this purpose, and if so, what is their number ?

श्री मु० क० छागला : अध्यापक नियुक्त किये जा चुके हैं। यदि माननीय सदस्य नाम जानना चाहें तो मैं बता दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : वह केवल यह जानना चाहते हैं कि क्या उनकी नियुक्ति हो चुकी है।

श्री मु० क० छागला : हो चुकी है।

श्री दे० जो० नायक : इन ग्रीष्मकालीन शिविरों में प्रशिक्षण के लिए अध्यापकों के चुनाव की क्या कसौटी होगी ?

श्री मु० क० छागला : यह कसौटी विश्वविद्यालय के परामर्श से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित की जायगी। हम स्थान शिक्षक और विषय चुनते हैं और अमरीका से दो विशेषज्ञ आ रहे हैं। भारतीय अध्यापक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के परामर्श से विश्वविद्यालयों द्वारा दिये जायेंगे।

Shri Onkar Lal Berwa : The hon. Minister has just now stated that about 1 lakh rupees would be spent. I would like to know what would be the share of States and that of Centre.

Shri M. C. Chagla : I had stated in reply that we would pay Rs. 4 lakhs and the U. S. A. would pay Rs. 4 lakhs.

श्री शं० ना० चतुर्वेदी : जब तक कि इन माध्यमिक स्कूलों के पाठ्यक्रमों में परिवर्तन नहीं किये जाते तब तक क्या इन ग्रीष्मकालीन शिविरों से कोई लाभ होगा ?

श्री मु० क० छागला : पाठ्यक्रम एक विषय होगा जिस पर विचार किया जा सकता है।

श्री मलाईछामी : क्या सामाजिक सेवाओं के लिए इसी प्रकार के सम्मेलन करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री मु० क० छागला : हम विज्ञानों के विषय में प्रयोग कर रहे हैं। यह हम दूसरी बार कर रहे हैं। भविष्य में हम सामाजिक सेवाओं के सम्बन्ध में भी प्रयत्न कर सकते हैं।

श्री त्रिदिव कुमार चौधरी: विज्ञान अध्यापकों की भारी कमी को देखते हुए क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कोई एकीकृत शिक्षाक्रम चालू करने के प्रश्न पर विचार किया है ? अन्यथा, इस सूची से यह दिखायी पड़ता है कि १६ स्थान चुने गये हैं और एकीकृत प्रशिक्षण प्राप्त करने के इच्छुक प्रत्येक अध्यापक को कई सत्रों में और कई जगहों पर प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। क्या इस पहलू पर विचार किया जा रहा है ?

श्री मु० क० छागला : ग्रीष्मकालीन शिविर की कल्पना ऐसी नहीं है। उसका आशय विज्ञान शिक्षकों का ज्ञान बढ़ाना और पाठ्य-पुस्तकों के सम्बन्ध में तथा वैज्ञानिक विषयों के ज्ञान के प्रसार के बारे में उन्हें नवीनतम जानकारी देना है। वह एक अल्पकालीन शिक्षाक्रम है जो अमरीका में बहुत सफल हुआ है। पिछली बार हमारा प्रयोग बहुत सफल रहा। आशा है इस बार भी वह सफल रहेगा।

श्री हरि विष्णु कामत : विवरण में १६ विश्वविद्यालयों की सूची है। इसका क्या कारण है कि मध्य प्रदेश के आधे दर्जन विश्वविद्यालयों में से एक भी उसमें नहीं है और इस योजना में मध्य प्रदेश के प्रति ऐसी उपेक्षा क्यों की गयी है ?

श्री मु० क० छागला : मेरे माननीय मित्र गलत कह रहे हैं। यदि वे विवरण देखें तो उन्हें मालूम होगा कि उसमें जयपुर है।

श्री हरि विष्णु कामत : जयपर राजस्थान में है। मैंने मध्य प्रदेश के बारे में पूछा था।

श्री मु० क० छागला : मुझे खेद है। उसकी बारी अगले साल आ सकती है।

Shri Yashpal Singh : Will the Secondary School teachers get some Special Scholarship or T. A. and D. A. so that they may be able to make provision for maintenance of their families in summer ?

Shri M. C. Chagla : I don't know whether they are given some special concessions, but we would see that they are not put to any hardship.

श्री मान सिंह पृ० पटेल : क्या इस प्रकार के अल्पकालीन पाठ्यक्रम से अध्यापकों को उन विषयों का विशिष्ट ज्ञान प्राप्त होगा और क्या सरकार ग्रीष्मकालीन स्कूलों के प्रयोग पर पुनः विचार करेगी ?

श्री मु० क० छागला : जैसा कि मैंने बताया, यह केवल पुनरभ्यास शिक्षाक्रम है। वह उससे कुछ अधिक भी हो सकता है लेकिन फिलहाल वह केवल पुनरभ्यास शिक्षाक्रम ही है।

अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सुधार

\+

*१२८. { **श्री प्र० कें० देव :**
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में किसी प्रकार की उत्तरदायी सरकार बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) संविधान के अनुच्छेद २३९ के अधीन, संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन भारत के राष्ट्रपति द्वारा मुख्य आ ुक्त नामक एक प्रशासक के माध्यम से किया जाता है । वर्तमान व्यवस्था में कोई परिवर्तन करने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री प्र० के० देव : उन बड़े बड़े क्रान्तिकारियों और देशभक्तों के जिन्होंने १८५७ का प्रथम स्वातन्त्र्य युद्ध लड़ा था और जो इन द्वीपों में बस गये थे, वंशजो की मांग के अनुसार क्या चुनाव के आधार पर लोक सभा, मख्य आयुक्त की समिति और गृह मंत्रालय की मं णा समिति में उनके प्रतिनिधि शामिल करने की कोई योजना है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : मैंने बताया है कि वर्तमान व्यवस्था में कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : वह प्रश्न के क्षेत्र से बाहर जा रहे हैं और लोक सभा में प्रतिनिधि चाहते हैं ।

श्रीमती चन्द्रशेखर : संसद में इन द्वीपों के प्रतिनिधि हैं श्री निरंजन पाल ।

अध्यक्ष महोदय : वह कहते हैं, चूनाव के द्वारा ।

श्रीमती चन्द्रशेखर : वह राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हैं ।

श्री प्र० के० देव : इस बात को मानते हुए कि ३००० वर्ग मील और ६०,००० आबादी वाले ये द्वीपसमूह उत्तरदायी सरकार के लिए आत्मनिर्भर एकक नहीं होंगे, क्या इन द्वीपों को भारत के निकटतम राज्य अर्थात् पश्चिम बंगाल के साथ जोड़ने की कोई योजना है, खासकर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पश्चिम बंगाल में आबादी इतनी ज्यादा है और कलकत्ता उच्च न्यायालय इस द्वीपसमूह की न्यायपालिका की देखभाल करता है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : ऐसी कोई योजना नहीं है ।

श्री मुहम्मद इलियास : क्या अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह के कई समुदायों से वहां प्रतिनिधि सरकार बनाने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ? अभी हाल में हम वहां गये थे और वहां के लोग प्रशासन की काफी आलोचना करते हैं । क्या वहां की जनता से ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर: मैं समझती हूं कि वहां के लोगों की ऐसी कोई मांग नहीं है ।

श्री ह० प० चटर्जी : चूंकि हमारा संविधान संपूर्ण भारत पर और अंदमान और निकोबार द्वीप समूह पर लागू होता है, इसलिए वहां का मुख्य आयुक्त कार्यपालिका और न्यायपालिका का प्रमुख होता है और चूंकि निरंकुश शक्ति पूरी तरह से भ्रष्ट बना देती है . . . .

अध्यक्ष महोदय : वह तर्क कर रहे हैं, मैं उसके लिए अनुमति नहीं दूंगा ।

श्री ह० प० चटर्जी : ठीक है, मैं दूसरा प्रश्न पूछूंगा । मैं चाहता हूं कि वहां मुख्य आयुक्त के तौर पर कोई आई० ए० एस० की बजाय कोई सार्वजनिक व्यक्ति लेफ्टिनेन्ट गवर्नर के रूप में सर्वोच्च व्यक्ति हो ।

अध्यक्ष महोदय : वह कुछ चाहते हैं; प्रश्न क्या है ?

श्री ह० प० चटर्जी : क्या यह सच है कि १ करोड़ रुपये से अधिक राजस्व अन्दमान के वहां से प्राप्त होता है; क्या यह सच है कि जंगलों में काम करने वाले व्यक्ति अपने को निराश्रित समझते हैं और जब तक कि उसे किसी राज्य में जैसे बंगाल या मद्रास में मिलाया नहीं जाता, वहां से लाभ उठाने के काम पर गहरा असर पड़ेगा ? यदि हां तो . . .

अध्यक्ष महोदय : अब वे बैठ जायें।

श्री ह० प० चटर्जी : क्या उसे बंगाल या मद्रास के साथ मिला देने की कोई योजना है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : वर्तमान व्यवस्था में कोई परिवर्तन करने की इस समय योजना नहीं है। एक मंत्रणा समिति है जिसके अध्यक्ष गृह मंत्री हैं। उसमें मुख्य आयुक्त, संसद-सदस्य और पोर्ट ब्लेयर के म्युनिसिपल कौन्सिल के उपाध्यक्ष हैं . . . .

श्री मुहम्मद इलियास : लेकिन संसद सदस्य निर्वाचित नहीं हैं।

श्रीमती चन्द्रशेखर : . . . और पांच गैर-सरकारी सदस्य हैं। इसके अलावा अन्दमान द्वीपसमूह में ही एक दूसरी समिति है जिसके अध्यक्ष मुख्य आयुक्त हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या वर्तमान व्यवस्था में कोई परिवर्तन करने की कोई योजना है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : अभी नहीं।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि कुछ संसद सदस्यों ने जो अभी हाल में अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह में गये थे, एक प्रकार का ज्ञापन या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है जिसमें वहां के लोगों को कुछ शिकायतें बतायी गयी हैं और यदि हां तो क्या सरकार ने उन पर विचार किया है ?

अध्यक्ष महोदय : दूसरी कोई शिकायतें संगत नहीं हैं जब तक कि वे उत्तरदायी सरकार के प्रश्न से संबंधित न हों।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : जी हां। कुछ संसद सदस्य अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह गये थे। गृह मंत्रालय ने उनकी यात्रा की व्यवस्था की थी। उनके विचार प्रत्यक्ष रूप से जानने के लिए मैं उन सदस्यों से मिलना चाहता हूं। मैं उनके साथ अनेक प्रश्नों पर चर्चा करूंगा।

श्री दे० जो० नायक : इस बात को देखते हुए कि अन्दमान द्वीप समूह में बहुत पिछड़े हुए लोग रहते हैं, वहां का प्रशासन क्या कल्याण कार्य कर रहा है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : उस विषय पर एक अलग प्रश्न पूछा जाये।

श्री वें० वेंकटासुब्बय्या : परिषद् के निश्चय सिफारिश की तौर पर हैं या आदेश की तौर पर ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : वे सिफारिश की तौर पर हैं। वह एक मंत्रणा परिषद् है।

Shri Tulshidas Jadhav : Formerly Andaman Jail had a very bad name. Has Government made any improvement therein ?

Mr. Speaker : Here it is not the question of correcting the name.

Shri Tulshidas Jadhav : I am not talking about the name. The treatment there was very bad in old days.

श्री वी० चं० शर्मा : क्या अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह की जनता के लिए किसी स्तर पर अर्थात् स्थानीय शासन, विधान सभा या केन्द्रीय सरकार के स्तर पर जनता के प्रतिनिधित्व का सिद्धान्त मान लिया गया है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : मैं समझती हूं कि पंचायत और नगरपालिका स्तर पर वह है ।

श्री प्र० चं० बरुआ : चूंकि यह सवाल अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह में उत्तरदायी सरकार की स्थापना के बारे में है, क्या वहां के बाशिन्दों से उत्तरदायी सरकार के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : हमें अभी तक कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

ईरान सरकार द्वारा तेल सम्बन्धी रियायत

\+
*१२९. { **श्री यशपाल सिंह :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री धवन :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री प्र० चं० बरुआ : }

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री २६ फरवरी, १९६४ के तारांकित प्रश्न संख्या ३१५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ईरान सरकार से तेल सम्बन्धी रियायतें प्राप्त करने के लिये की गई बातचीत में क्या प्रगति हुई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायूं कबिर) : तट से दूर स्थित क्षेत्रों के लिये रियायत के लिये प्रार्थना करने का निर्णय किया गया है ।

Shri Yashpal Singh : This answer furnishes no information regarding the details, the terms of reference and the time by which the work would commence.

श्री हुमायुन् कबिर : हम ने रियायत के लिये प्रार्थना पत्र भेज दिया है । इसके मंजूर हो जाने पर ही ये प्रश्न उत्पन्न होंगे ।

Shri Yashpal Singh : What is the amount of expenditure involved in it and to what extent foreign collaboration would be required ?

श्री हुमायुन् कबिर : हम ने रियायत के लिये प्रार्थना-पत्र भेज दिया है । इसके मंजुर हो जाने पर ही खोज के लिये कुछ धन की आवश्यकता होगी । खोज और उत्पादन के लिये विदेशी सहयोग आवश्यक होगा ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या सरकार इससे अवगत है कि रियायतों के लिये कितने अन्य आवेदन-पत्र हैं और, यदि हां, तो क्या इस रियायत को ऐसी शर्तों से प्राप्त करना सम्भव होगा जो हमारे अनुकूल हों ?

श्री हुमायूं कबिर : जब ईरानियन आयल कम्पनी ने आवेदन पत्र मांगे तो उस समय हम आवेदन पत्र देने के लिये पात्र नहीं थे, और २० कम्पनियों को पात्र घोषित किया गया था। उसके बाद हमें पता चला कि भारत के भाग लेने पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा। क्योंकि ईरान के पास तेल है और हमारे पास मंडी है। उसके आधार पर, हम आशा करते हैं कि हमारे आवेदन-पत्र पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा।

श्री अ० प्र० जैन : क्या माननीय मंत्री के विचार में भारत में तेल की खोज की सभी संभावनाएं समाप्त हो गई हैं और क्या यही कारण है कि वह विदेश में इसकी खोज करने जा रहे हैं ?

श्री हुमायून् कबिर : जी नहीं, हम भारत में भी खोज का कार्य कर रहे हैं। वास्तव में हम भारत में खोज के कार्य का विस्तार कर रहे हैं और उसे शीघ्रता से कर रहे हैं। परन्तु जिस गति से भारत में तेल की मांग बढ़ रही है उसको देखते हुए कम से कम १०–१२ वर्षों के लिये हमें तेल का आयात करना ही पड़ेगा, और यदि आयात करना ही पड़ता है तो दूसरों से तेल खरीदने की बजाय अपने द्वारा उत्पादित तेल को आयात करने में अधिक फायदा है।

श्री प्र० चं० बरुआ : हमारे इस उद्यम के परिणामस्वरूप ईरान से हमें कितना कच्चा तेल मिलने की आशा है और क्या अन्य कम्पनियों से भी तेल उपलब्ध हो सकेगा ?

श्री हुमायन् कबिर : मेरे माननीय मित्र तेल वाले क्षेत्र से निर्वाचित होकर आये हैं और इसलिये वह जानते हैं कि जब तक वास्तविक खुदाई का कार्य आरम्भ नहीं किया जाता तब तक कोई पूर्व अनुमान नहीं लगाया जा सकता; परन्तु सामान्य आशा यह है कि जिस क्षेत्र के लिये हमने रियायत के लिये प्रार्थना-पत्र दिया है उस से हमें लगभग २०० लाख टन तेल प्रति वर्ष प्राप्त हो सकता है।

श्री श्याम लाल सर्राफ : क्या खोज और खुदाई का कार्य यह अनुमान लगाने से पहले ही किया जायेगा कि वहां पर कितना तेल उपलब्ध होगा ?

श्री हुमायूं कबिर : इस प्रश्न का उत्तर मैं अभी दे चुका हूं।

Shri Onkar Lal Berwa : How far the exploration work has progressed with the financial and other assistance of Iran ?

Shri Humayun Kabir : This is our first venture in Iran. Nowhere has the work been started yet with their collaboration.

औद्योगिक प्रबन्ध 'पूल'

+

*१३०. { श्री पें० वेंकटासुब्बय्या :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री धवन :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री महेश्वर नायक :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री रामनाथन् चेट्टियार :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री २२ अप्रैल, १९६४ के तारांकित प्रश्न संख्या ११४५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक प्रबन्ध 'पूल' को समाप्त करने तथा आर्थिक 'पूल' बनाने के बारे में कोई निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में प्रबन्धकों के स्थानों को भरने का समस्त प्रश्न और आर्थिक 'पूल' का प्रश्न भी अभी विचाराधीन है ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार को, वर्तमान औद्योगिक प्रबन्ध 'पूल' के स्थान पर आर्थिक 'पूल' बनाने के सम्बन्ध में शीघ्र निर्णय करने के लिये क्या चीज़ रुकावट डाल रही थी ? देरी के क्या कारण हैं ?

श्री हाथी : औद्योगिक प्रबन्ध 'पूल' विद्यमान है । देश में उद्योगों के विकास और विस्तार को ध्यान में रखते हुए आर्थिक 'पूल' बनाने पर कुछ समय पहले विचार किया गया था । क्या औद्योगिक प्रबन्ध 'पूल' तथा आर्थिक 'पूल' को मिला देना चाहिये अथवा उन्हें अलग अलग रखना चाहिये, क्या विभिन्न उद्योगों के लिये एक श्रेणी होनी चाहिये अथवा कुछ उद्योगों के लिये एक श्रेणी होनी चाहिये, इन सभी प्रश्नों पर विचार किया जा रहा है ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या इन दोनों पूलों को मिला देने के पश्चात सरकार गैर-सरकारी क्षेत्र से भी योग्य व्यक्तियों को भरती करना चाहती है ?

श्री हाथी : जहां तक व्यक्तियों को भरती करने का सम्बन्ध है, इसमें कोई सन्देह नहीं कि यदि हम अच्छा प्रबन्ध चाहते हैं तो हमें योग्य व्यक्ति भरती करने ही पड़ेंगे; परन्तु इस 'पूल' को किस प्रकार बनाना चाहिये, यह समस्त प्रश्न विचाराधीन है ।

श्री रामनाथन् चेट्टियार : औद्योगिक प्रबन्ध 'पूल' में इस समय कितने अधिकारी हैं और क्या उनमें से अधिकांश के भारतीय प्रशासनिक सेवा में लिये जाने की संभावना है जैसा कि एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में संसद में दो मास पूर्व बताया गया था ?

311 (Ai) LSD—3.

श्री हाथी औद्योगिक प्रबन्ध 'पूल' में इस समय लगभग ११० अधिकारी हैं और उन्हें इस समय भारतीय प्रशासनिक सेवा मे खपाने का प्रश्न इसलिये नहीं उठता कि हम अन्य सेवा अर्थात, आर्थिक 'पूल' और समस्त श्रेणी के पुनर्गठन के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं ।

Shri Onkar Lal Berwa : Has any Committee or Board been appointed to carry-out the work of the amalgamation of the two pools, and if so, what is the composition of that Committee or the Board ?

Shri Hathi : A Committee has been appointed for the purposes.

Shri Onkar Lal Berwa : What is the composition of the Committe ?

Shri Hathi : Initially Secretaries of the various Ministries were its Members. Subsequently the Cabinet Sub-Committee of Ministers was substituted. The Minister without Portfolio, the present Prime Minister and the Minister of Defence are its Members.

श्री रंगा : क्या यह सच नहीं है कि यह कई वर्षो से एक समस्या बनी हुई है और अभी तक इस पर निर्णय नहीं किया गया है ? इस में इतने विलम्ब का क्या कारण है ? प्रबन्ध और आर्थिक पहलू में बिलकुल तालमेल नहीं है । वे क्या कर रहे हैं ?

श्री हाथी : मैं उन्हें बता दूं कि इसमें अधिक देर नहीं लगी है इस आर्थिक 'पूल' का उल्लेख पहले पहल स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू ने २८ सितम्बर १९६३ को किया था और कहा था :—

> "सरकारी और अन्य क्षेत्रों नें सरकार के बढ़ते हुए कार्य को दृष्टिगत रखते हुए सरकार की आर्थिक और औद्योगिक नीतियों का पालन करने के लिये प्रशासनिक और इंजीनियरिंग सेवाओं से अर्हताप्राप्त और योग्य अधिकारी ले कर एक स्थायी श्रेणी बनाना आवश्यक प्रतीत होता है । मैं चाहता हूं कि आप मंत्रिमण्डल के विचार के लिये इस प्रश्न से संबंधित एक पत्र तैयार करें ।"

पत्र तैयार है और जैसा कि मैंने बताया इस पर विचार किया गया था और एक उपसमिति नियुक्त कर दी गई है । इन सब बातों में कोई अधिक समय नहीं लगा है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या सरकार को औद्योगिक प्रबन्ध 'पूल' के अधिकारियों की ओर से कोई ऐसा अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि यदि उन्हें सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के स्थानों पर लगा दिया जाता है तो इससे उनके भविष्य को हानि पहुंचेगी और इसलिए उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा में खपाया जाना चाहिये क्योंकि वे अनुभव करते हैं कि वे किसी प्रकार भी अर्हता तथा योग्यता में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों से घटिया नहीं हैं? क्या उन्हें ऐसे कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और क्या उन पर विचार किया जा रहा है ?

श्री हाथी : हमें एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है परन्तु वह शायद इस भय पर आधारित है कि इस औद्योगिक प्रबन्ध 'पूल' का समापन किया जायेगा । जैसाकि मैंने बताया सारा मामला विचाराधीन है और इस अभ्यावेदन पर भी विचार किया जा रहा है ।

नागा विद्रोहियों द्वारा मारे गये पुलिस कर्मचारी

+

*१३१. { श्री प्र० चं० बरुग्रा :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री यु० द० सिंह : }

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ४ मई १९६४ को मारम और खोंगनम के बीच नागा विद्रोहियों द्वारा तीन पुलिस कर्मचारी गोली से मार दिये गये और दो अन्य घायल हुए ;

(ख) यदि हां तो यह दुर्घटना किन परिस्थितियों में हुई ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) ४ मई १९६४ को दोपहर के लगभग ३ बजे मारम से लगभग ५ मील पूर्व की ओर एक क्षेत्र में पुलिस की एक टुकड़ी और लगभग ५० सशस्त्र नागा विद्रोहियों में मुठभेड़ हुई। दोनों ओर से गोलियां चलाई गईं जिसके परिणामस्वरूप ३ सिपाही मारे गये और २ घायल हुए। यह ज्ञात नहीं है कि कितने विद्रोही मारे गये।

(ग) स्थिति को काबू में लाने के प्रयत्न बराबर जारी हैं।

श्री प्र० चं० बरुग्रा : क्या नागा विद्रोहियों के इन और अन्य विद्रोहों से--जिनमें चलती हुई रेल गाड़ियों पर आक्रमण करना भी शामिल है जिनमें १ दर्जन से भी अधिक व्यक्ति मारे गये थे और अनेक घायल हुए थे--यह पता चलता है कि रेवरेंड माइकल स्कॉट की प्रधानता में लाया गया शांति मिशन अपने प्रयत्नों में सफल नहीं रहा है और नागालैंड मे विधि और व्यवस्था की स्थिति वैसी ही खराब है जैसी कि पहले थी ? शान्ति स्थापित करने के लिये सरकार और क्या अन्य कदम उठायेगी ?

श्री हाथी : इन घटनाओं से हमें ऐसा कोई परिणाम निकालने की आवश्यकता नहीं है कि क्या यह शान्ति मिशन सफल होगा अथवा नहीं। समय ही इस का उत्तर देगा।

श्री प्र० चं० बरुग्रा : नागालैण्ड में शस्त्र संभरण के विदेशी हस्तक्षेप को दूर करने के लिए क्या कोई प्रयत्न किये जा रहे हैं और इसके विरुद्ध भारतीय विरोधपत्र का पाकिस्तान से क्या उत्तर प्राप्त हुआ है ?

श्री हाथी : पाकिस्तान द्वारा शस्त्र संभरण के सम्बन्ध में मेरे पास जानकारी नहीं है।

श्री पें० वेंकटासुब्बय्या : क्या नागा विद्रोहियों के छापे अधिक नियमित होते हैं न कि इक्के दुक्के स्थानों पर और यदि ऐसा है तो संरक्षण देने के लिये तथा देश के उस भाग में विधि तथा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिये सरकार क्या प्रबन्ध करना चाहती है ?

श्री हाथी : क्षेत्र की सुरक्षा को मजबूत बनाना।

श्री स्वैल : क्या यह सच है कि ४ मई की यह घटना पिछले मास में हुई अनेक गंभीर घटनाओं में से केवल एक है और यह कि इन विभिन्न घटनाओं द्वारा नागा विद्रोही सरकार को यह जिताना चाहते हैं कि जब तक कि भारत सरकार नागालैण्ड में विद्रोहियों के साथ करार की कुछ शर्तों को, जो शांति मिशन के साथ हुई हैं विद्रोह को बन्द करने के लिये स्वीकार नहीं करती नागालैण्ड में स्थिति खराब होती जायेगी ; यदि हां तो करार की शर्तें क्या हैं और सरकार इस के सम्बन्ध में क्या करने का अभिप्राय रखती है ?

श्री हाथी : यह प्रश्न तो वैदेशिक-कार्य मंत्रालय से पूछा जा सकता है ।

श्री स० मो० बनर्जी : श्रीमन्, मेरा एक औचित्य प्रश्न है । श्रीमन, आप को याद होगा उस दिन मैंने यही प्रश्न पूछा था । उस दिन दो प्रश्न थे—एक का उत्तर रक्षा मंत्री द्वारा दिया गया था और दूसरे का उत्तर वैदेशिक कार्य मंत्री द्वारा दिया गया था । जब भी हम नागालैण्ड के बारे में प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न के तीन पहलू होते हैं—एक तो पाकिस्तान से हथियारों का मिलना, दूसरे विद्रोहियों की कार्यवाहियां और तीसरे शांति मिशन । मेरा निवेदन केवल यही है जब इस प्रकार के अनुपूरक प्रश्न उठाये जाते हैं तो इस का फैसला एक बार ही हो जाना चाहिये . . .

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा और निर्णय करूंगा ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : नागा विद्रोहियों के कुछ प्रतिनिधियों से मिलने के पश्चात मुख्य मंत्री के वक्तव्य के सन्दर्भ में उन के पास बार बार होने वाले छापों के लिए क्या औचित्य है जोकि बढ़ते जा रहे हैं ?

श्री हाथी : मैं बता चुका हूं कि यह ऐसी घटनायें हैं जिनसे हमें कोई परिणाम नहीं निकालना चाहिये ।

राष्ट्रीय अनुशासन योजना

+

*१३२. { **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा** :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय अनुशासन योजना तथा सेना छात्र दल योजना को मिलाया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) नई योजना कब लागू की जायेगी ; और

(घ) क्या यह समस्त सरकारी स्कूलों में अनिवार्य कर दी जायेगी ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है

विवरण

शारीरिक शिक्षा और युवक कल्याण के क्षेत्र में चालू विभिन्न योजनाओं के समन्वय और एकीकरण के प्रश्न की जांच करने और संसाधनों के दोहरे खर्च और फिजूलखर्ची को रोकने के लिए डा० हृदयनाथ कुंज़रू की अध्यक्षता में भारत सरकार ने एक समिति नियुक्त की थी समिति ने,

दिसम्बर, १९६३ में सरकार को दिये गये अपने प्रतिवेदन में अन्य बातों के साथ साथ यह सिफारिश की है कि स्कूल अवस्था पर शिक्षा पद्धति के आधार पर एक 'एकीकृत कार्यक्रम' होना चाहिये। समिति ने आगे यह सिफारिश की है कि ऐसे एक एकीकृत कार्यक्रम का विषय विशेषज्ञों के एक निकाय द्वारा तैयार किया जाना चाहिये और जब ऐसा एकीकृत कार्यक्रम लागू कर दिया जाये, तो सेना छात्र दल और राष्ट्रीय अनुशासन योजना के अन्तर्गत विद्यमान कार्यक्रम को अलग अलग योजनाओं के रूप में जारी नहीं रखना चाहिए।

(२) भारत सरकार ने कुंज़रू समिति की ऊपर दी गई सिफारिश को सिद्धान्त रूप मे स्वीकार कर लिया है। एकीकृत कार्यक्रम के ब्योरे और इस की क्रियान्विति के लिए कार्य प्रणाली तैयार की जा रही है।

(३) आशा है कि एकीकृत कार्यक्रम को यथासम्भव शीघ्र लागू कर दिया जायेगा और आशा है कि इसके अन्तर्गत सभी सरकारी तथा ग़ैर-सरकारी स्कूल होंगे।

श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : विवरण में यह दिया गया है कि एकीकृत कार्यक्रम को यथासम्भव शीघ्र लागू कर दिया जायेगा क्या सरकार को इस बारे में कुछ मालूम है कि इस एकीकृत कार्यक्रम को तैयार करने और समिति की सिफ़ारिशों को क्रियान्वित करने में कितना समय लगेगा ?

श्री भक्त दर्शन : मुझे खेद है कि मैं पहिले जो उत्तर दे चुका हूं उससे अधिक कुछ नहीं बता सकता। एकीकृत कार्यक्रम तैयार करने के लिए हम अपना भरसक प्रयत्न करेंगे। समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है और एक विस्तृत कार्यक्रम बनाया जा रहा है।

श्री मुथिया : क्या शारीरिक शिक्षा की इस नई एकीकृत योजना में समस्त देश के स्कूल के बालकों के लिए राष्ट्रीय-एकता और वास्तविक अखिल भारतीय दृष्टिकोण की भावनाओं को बढ़ावा देने के लिये कोई ठोस उपाय हैं ?

श्री भक्त दर्शन : मैं यह बता दूं कि इस मामले मे विभिन्न सम्बन्धित पार्टियों द्वारा जो पाठ्यक्रम अब स्वीकार किया गया है उसमें ये ये बातें शामिल हैं :

व्यायाम सारणियां, ड्रिल और मार्चिग, लेजियम, ट्रैक और फील्ड इवेन्टस, खेलें और रिले जिम्नास्टिक्स और लोकनृत्य, कुश्तियां, हाइकिंग, क्रास-कन्ट्री, ट्रेस्टर्स में हिदायतें और अभ्यास, हमारी राष्ट्रीय दाय में प्रशिक्षण, व्यावहारिक परियोजनाएं और समूह गायन।

श्री मानसिंह पृ० पटेल : प्रत्येक छात्र को कुल कितने घन्टे शारीरिक प्रशिक्षण दिया जाता है और क्या इन दोनों योजनाओं के मिलाने से इस समय को बढ़ा दिया जायेगा और इस प्रकार शारीरिक शिक्षा की ओर अधिक ध्यान दिया जायेगा ?

श्री भक्त दर्शन : जी नहीं। 'पीरियड्स' की कुल संख्या वही रहेगी अर्थात्, प्रति सप्ताह पांच 'पीरियड्स'।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

विज्ञान सम्बन्धी योजना

***१३३. श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् आगामी पन्द्रह वर्षों के लिये विज्ञान की एक सर्वांगीण योजना बना रही है जो विकास की गति तथा अनुसन्धान की प्रवृत्तियों के अध्ययन पर आधारित होगी ; और

(ख) यदि हां, तो योजना के ब्यौरे क्या हैं और इस समय उस पर किस अवस्था में विचार किया जा रहा है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) जी, हां । जहां तक वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् के अन्तर्गत राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थाओं आदि का सम्बन्ध है ।

(ख) अभी योजना बनायी नहीं गयी है । विभिन्न राष्ट्रीय प्रयोग शालाओं आदि से ब्यौरे मांगे गये हैं ।

इटली के समाचारपत्र में पश्चिम बंगाल, आसाम और नागालैंड के बारे में प्रकाशित पत्र

*१३४. { **श्री जं० ब० सिं० बिष्ट :**
श्री श० ना० चतुर्वेदी : }

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, १९६४ में इटली के समाचार पत्र 'बोरगेज़े' में प्रकाशित एक पत्र की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया है जिसमें पेकिंग समर्थक साम्यवादियों द्वारा पश्चिम बंगाल, आसाम और नागालैंड में सैनिक क्रांति किये जाने की योजनाओं का विवरण दिया गया है ;

(ख) क्या सरकार ने पत्र की प्रमाणिकता के बारे में जांच की है ; और

(ग) यदि इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने का विचार है, तो वह क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) जांच जारी है ।

राज्यों में भ्रष्टाचार निरोधक निकाय

*१३५. { **श्री रिशांग किशिंग :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम : }

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सब राज्यों तथा संघ राज्य-क्षेत्रों ने भ्रष्टाचार निरोधक निकायों का गठन कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन निकायों ने अपना कार्य आरम्भ कर दिया है ;

(ग) यदि नहीं, तो उन राज्यों तथा संघ राज्य-क्षेत्रों के नाम क्या हैं जिन्होंने इन निकायों का गठन नहीं किया है ; और

(घ) विलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

हर राज्य ने भ्रष्टाचार निरोधक विभाग अथवा यूनिट बना लिया है । अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश राज्यों में केन्द्रीय सतर्कता आयोग की तरह का एक सतर्कता आयोग बनाया है ; आठ राज्यों ने अर्थात् केरल, मैसूर, महाराष्ट्र, राजस्थान, आसाम, नागालैंड, उड़ीसा और काश्मीर ने भी ऐसा करने का निर्णय किया है ; तीन राज्य अर्थात् बिहार, पश्चिम बंगाल और पंजाब अभी इस मामले पर विचार कर रहे हैं और मद्रास और उत्तर प्रदेश के राज्यों ने अभी सतर्कता आयोग की बजाय एक भिन्न प्रकार का निकाय बनाने का फैसला किया है ।

हर संघ राज्य क्षेत्र में एक भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी है जो कि सतर्कता आयोग की तरह की नहीं है । केन्द्रीय सतर्कता आयोग का क्षेत्राधिकार संघ राज्य-क्षेत्रों पर भी लागू होता है और इस बात को ध्यान में रखते हुए इस बारे में संघ राज्य-क्षेत्रों में की जाने वाली व्यवस्था के स्वरूप पर सरकार विचार कर रही है ।

जिन आठ राज्यों ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग की तरह से सतर्कता आयोग स्थापित करने का निर्णय किया है, वे ब्यौरे तैयार कर रहे हैं जिसमें सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिये उपयुक्त व्यक्तियों का चयन भी शामिल है । इस प्रस्ताव पर पंजाब ने कार्यवाही आरम्भ कर दी है और बिहार और पश्चिम बंगाल अभी इस मामले पर विचार कर रहे हैं । मद्रास और उत्तर प्रदेश ने सतर्कता संगठन स्थापित किये हैं जो कुछ बारे में केन्द्रीय आयोग से भिन्न हैं ।

उपमंत्री द्वारा सम्पत्ति का अर्जन

***१३६. { श्री हरि विष्णु कामत :
श्री गुलशन :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री वित्त मंत्रालय में उपमंत्री द्वारा कथित सम्पत्ति अर्जन के बारे में १५ अप्रैल, १९६४ के तारांकित प्रश्न संख्या १०५१ के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महान्यायवादी ने सरकार को कोई सलाह दी है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले में कोई कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

प्रधान मंत्री, वैदेशिक कार्य मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा अणु-शक्ति मंत्री (श्री नंदा) : (क) जी, हां ।

(ख) मामला विचाराधीन है ।

रासायनिक उद्योग के लिये पश्चिमी जर्मनी की 'फर्म' के साथ समझौता

*१३७. **श्री अ० सिं० सहगल :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में रासायनिक उद्योग की आवश्यकताओं में परिवर्तन के परिणामस्वरूप हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स द्वारा पश्चिम जर्मनी के साथ संघ के साथ किये गये समझौते को समाप्त कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसका उद्योगों के उत्पादन कार्यक्रम पर कितना प्रभाव पड़ेगा ;

(ग) क्या कुछ परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है; यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं ; और

(घ) सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी, हां ।

(ख) इससे प्राथमिक आवश्यकताओं के सामान की उपलब्धि स्थगित हो गयी है और उद्योग को देशीय उत्पादन होने तक इन वस्तुओं के लिये आयात पर निर्भर करना पड़ेगा ।

(ग) और (घ). उत्पादन का पुनरीक्षित कार्यक्रम विचाराधीन है ।

राज्यों के बीच सीमा सम्बन्धी झगड़े

*१३८. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री धवन :
श्री कोल्ला वेंकैया :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि महाराष्ट्र और मैसूर के बीच सीमा सम्बन्धी झगड़ों को निबटाने में क्या प्रगति हुई है ?

प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा अणु-शक्ति मंत्री (श्री नन्दा) : मामले का परीक्षण किया जा रहा है ।

दिल्ली में मूर्तियों का हटाया जाना

*१३९. **श्री विभूति मिश्र :**
श्री हेडा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री पें० वेंकटा सुब्बया :
श्री क० ना० तिवारी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने राजधानी से अंग्रेजों की सभी मूर्तियों को हटाने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो किस समय तक ; और

(ग) क्या भारत के अन्य नगरों से भी इस प्रकार की मूर्तियां हटाई जायेंगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) इस वर्ष के दौरान दिल्ली में स्थित शेष आठ मूर्तियों में से एक के बाद एक तीन मूर्तियों को हटाने का विचार है।

(ग) राज्यों में लगी हुई विदेशियों की मूर्तियों को हटाने का काम राज्य सरकारों का है जिनसे पहले ही यह प्रार्थना की जा चुकी है कि वे स्वर्गीय प्रधान मंत्री द्वारा १३ मई, १९५७ को संसद् में दिये गये वक्तव्य में घोषित नीति के अनुसार मामले में कार्यवाही करें।

जम्मू तथा काश्मीर में बम विस्फोट

*१४०. **श्री महेश्वर नायक :**
श्री मोहन स्वरूप :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री गोकरन प्रसाद :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री हुकमचन्द कछवाय :
श्री हेम राज :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री श० ना० चतुर्वेदी :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री धवन :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री भी० प्र० यादव :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले कुछ महीनों में जम्मू तथा काश्मीर राज्य में बम विस्फोट की कुछ घटनायें हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो हजरत बल दरगाह से पवित्र बाल के गायब होने के समय से ऐसी कितनी घटनाएं हुई हैं ; और

(ग) क्या इन मामलों में हुई जांच से पता चला है कि विदेशियों ने कोई तोड़-फोड़ की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). २७ दिसम्बर, १९६३ को श्रीनगर के निकट हजरत बल दरहगाह से पैगम्बर मुहम्मद के पवित्र अवशेष के गायब हो जाने के बाद से बम-विस्फोट की २२ घटनायें हुई हैं।

(ग) जांच पड़ताल से यह पता चला है कि इस बात की पूरी संभावना है कि ये तोड़फोड़ के कार्य थे जिनमें पाकिस्तानी जासूसों का हाथ था ।

साबुन उद्योग

*१४१. **श्री नाथ पाई** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के वर्षों में देश में साबुन उद्योग का पुनर्विलोकन किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इनमें कितनी विदेशी पूंजी लगी हुई है और उससे कितना मुनाफा अर्जित किया जाता है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी, हां। जनवरी, १९६४ में ।

(ख) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के क्षेत्राधिकार में पड़ने वाले उद्योगों का, जिसमें साबुन उद्योग भी शामिल है, समय-समय पर पुनर्विलोकन किया जाता है लेकिन उसके विशेषतः विदेशी विनियोजन के सम्बन्ध में नहीं ।

साबुन उत्पादन कारखाने वनस्पति तेल, वनस्पति, शृंगार-सामग्री आदि बनाने में लगे हैं । अतः साबुन उद्योग में विनियोजित विदेशी पूंजी और इससे होने वाले लाभ के आंकड़े पृथक् नहीं रखे जाते हैं क्योंकि इनको "प्रसाधन सामग्री उत्पादन" व्यापार दल के अन्तर्गत सर्वेक्षण में शामिल किया जाता है। तथापि, यह विश्वास किया जाता है कि दो समवायों में, जिनमें विदेशी हित बहुत है और जो अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त साबुन भी बनाते हैं, लगभग ५.५ करोड़ रुपये विदेशी पूंजी लगी है ।

अन्दमान द्वीप समूह में शरणार्थियों का पुनर्वास

*१४२. { **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** :
श्री ह० प० चटर्जी :
श्री प्र० के० देव : }

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों के जितने परिवारों को अन्दमान द्वीपसमूह में बसाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था वह पूरा हो गया है ;

(ख) वहां पर कितने शरणार्थी बसाये गये हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने इन शरणार्थियों को लिटिल अन्दमान, नील, रुतलैंड, बारातंग और अन्य निकटवर्ती द्वीपों में फिर से बसाने की व्यवहार्यता पर विचार किया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है ।

(ख) ११७२४ ।

(ग) लिटिल अन्दमान को छोड़ कर इन सभी द्वीपसमूह में परिवार बसाने की संभावना पर विचार किया जा चुका है ।

अनुसन्धान संस्थाओं में राजनीति

***१४३. श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान युगोस्लाविया के एक परमाणु भौतिकविद्, श्री स्टिवन देदीजेर, के इस कथन की ओर गया है कि भारत की अनुसन्धान संस्थाओं में अत्यधिक राजनीति घुसी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो स्थिति के सम्बन्ध में उनका अपना अनुमान क्या है और अनुसन्धान संस्थाओं में किस प्रकार की राजनीति है; और

(ग) मामले में क्या कार्रवाई की गई है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, हां ।

(ख) अनुसंधान संस्थाओं में राजनीति किसी अन्य सामान्य संस्था से अधिक नहीं है ।

(ग) मैं शैक्षणिक और वैज्ञानिक संस्थाओं में राजनीति को निरुत्साहित कर रहा हूं ।

उच्चतर माध्यमिक शिक्षा

***१४४. { डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पद्धति बदलने और उसमें सुधार करने के लिये कोई नीति बनायी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) और (ख). जी, हां । अप्रैल, १९६४ में हुए राज्य के शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में निकाले गये निम्नलिखित निष्कर्ष से नीति का पता चलता है :—

(१) सभी राज्यों में स्कूलों को स्कूल छोड़ने का समान स्तर अपनाना चाहिये ।

(२) इस प्रकार माध्यमिक प्रावस्था के अन्त में प्राप्त किया गया स्तर पहले ४–वर्षीय कालेजों के इन्टरमीजिएट स्तर का होना चाहिए और उसी प्रकार उसमें पाठ्यक्रम बदलने की व्यवस्था हो ।

(३) देश को डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश से पूर्व १२-वर्षीय स्कूल पाठ्यक्रम के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिये । यद्यपि धन और जन-शक्ति के कारण सभी राज्यों में निकट भविष्य में ऐसा करना संभव नहीं है ।

(४) माध्यमिक स्तर पर समूची शिक्षा स्कूल में ही हो जानी चाहिये। विश्वविद्यालयों में अस्थायी तौर पर आरम्भ की गयी डाक विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम (पी० यू० सी०) जैसी कक्षायें एक निश्चित कार्यक्रम के अनुसार यथासंभव शीघ्र स्कूल को दे दी जायें ।

शिक्षा आयोग

*१४५. { श्री यशपाल सिंह :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
डा० पू० ना० खां :
श्री सुबोध हंसदा :
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :
श्री विभूति मिश्र : }

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रस्तावित शिक्षा आयोग के लिये किन व्यक्तियों के नाम अन्तिम रूप से रखे गये हैं ; और

(ख) आयोग के निर्देश-पद क्या हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) प्रस्तावित शिक्षा आयोग के लिए अभी व्यक्तियों के नामों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

(ख) अभी निर्देश-पदों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है । लेकिन आयोग से भारत में, कानूनी, चिकित्सा और प्रौढ़ शिक्षा को छोड़ कर, शिक्षा के सभी पहलुओं की जांच करने और उसका परीक्षण करने की आशा की जाती है ।

मद्य निषेध

*१४६. { श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री पें० वेंकटा सुब्बया :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सं० ब० पाटिल :
श्री मोहसिन :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती अकम्मा देवी :
श्री न० प्र० यादव :
श्री यमुना प्रसाद मंडल :
श्री प्र० चं० बरुआ :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : }

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मद्य-निषेध जांच समिति के प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है ;

(ख) यदि इस पर राज्य सरकारों की कोई राय मांगी गई हो तो वह क्या है ; और

(ग) समिति की किन सिफारिशों को मान लिया गया है और उनको क्रियान्वित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जायेंगे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग) मद्य-निषेध सम्बन्धी अध्ययन-दल का प्रतिवेदन राज्य सरकारों के परामर्श से परीक्षणाधीन है।

कोयाली तेलशोधक कारखाना

***१४७.** **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री यमुना प्रसाद मंडल :
श्री न० प्र० यादव :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्रीमती अकम्मा देवी :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री द्वारकादास मंत्री :
श्री रामपुरे :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूस की सहायता से गुजरात में कोयाली तेलशोधक कारखाना स्थापित करने में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) इस की उत्पादन-क्षमता कितनी है और विस्तार की योजना कब से लागू होगी ;

(ग) मुख्य उत्पाद क्या होंगे ; और

(घ) क्या कलोल और अंकलेश्वर तेल-क्षेत्रों के तेलों के 'मिश्रण' को साफ करने के लिये भी कोई व्यवस्था है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायूं कबिर): (क) इस तेलशोधक कारखाने की प्रथम १० लाख टन क्षमता की स्थापना के सम्बन्ध में असैनिक, यंत्रीकृत बिजली सम्बन्धी और इससे सम्बन्धित कार्य पहली प्रावस्था को वर्ष १९६५ के आरम्भ में चालू करने के लिये कार्य-क्रमानुसार चल रहे हैं।

(ख) इसकी वर्तमान क्षमता २० लाख टन है और वर्ष १९६६ के आरम्भ तक इस को बढ़ा कर ३० लाख टन कर दिया जायेगा।

(ग) तरल पेट्रोलियम गैस, मोटर गैसोलीन, सोल्वेंट, एवियेशन टर्बाइन फ्यूल, बढ़िया मिट्टी का तेल, तेज रफ्तार डीज़ल, ईंधन तेल और अन्य गैस।

(घ) जी, हां।

निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा

***१४८. श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संविधान के अनुच्छेद ४५ के अनुसरण में विभिन्न राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों में किस हद तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा आरम्भ की गयी है ;

(ख) किन-किन राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों ने संविधान में विहित उद्देश्य की प्राप्ति कर ली है ; और

(ग) क्या इस बारे में पिछड़ रहे राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों को कोई विशेष सहायता दी गयी है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन्) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० २९२२ । ६४]**

कालिजों में पाठ्य-पुस्तकों के पुस्तकालय

***१४९.** **श्री पें० वेंकटासुब्बय्या :**
श्री दलजीत सिंह :
श्री राम हरख यादव :
श्री बसवन्त :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री धवन :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पाठ्य पुस्तक पुस्तकालयों की स्थापना के लिये देश में चुने हुए कालिजों को वित्तीय सहायता देने की योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० छागला) : (क) जी, हां ।

(ख) सब से पहले आयोग द्वारा ४००–५०० कला विज्ञान और कामर्स कालिजों को अनुदान दिया जायेगा ताकि वे निर्धन विद्यार्थियों के लिये पुस्तकालय स्थापित कर सकें । अन्डर-ग्रेजुएट पाठ्यक्रम वाले कालिज को १०,००० रुपये और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम वाले कालिज को १५ हजार रुपये दिये जायेंगे ।

प्रशासनिक समानता

***१५०. डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूरे देश में प्रशासनिक प्रक्रियाओं में समानता लाने के सम्बन्ध में और आगे विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो समान प्रशासनिक प्रक्रिया संहिता बनाने अथवा अधिनियमित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं तथा इसके क्या परिणाम निकले ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पहले ही काफी समानता है । लेकिन परिवर्तित स्थानीय परिस्थितियों और हमारे सार्वभौम संविधान को देखते हुए देश भर में प्रशासनिक प्रक्रियाओं में समानता लागू करना सरकार का

निश्चित उद्देश्य नहीं रहा है। तथापि, जब कभी केन्द्र में कोई महत्वपूर्ण प्रशासनिक संस्था बनाई जाती है अथवा प्रशासनिक प्रक्रियाओं में कोई महत्वपूर्ण सुधार किया जाता है और ऐसा प्रतीत होता है कि राज्यों द्वारा कुछ उपयुक्त संशोधन कर के लाभप्रद ढंग से ऐसी संस्था अथवा प्रक्रिया बनाई जा सकती है तो राज्यों को ऐसा करने के लिये परामर्श दिया जाता है।

माध्यमिक स्कूलों में अध्यापकों की मांगें

*१५१. { **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री अ० सिं० सहगल :

क्या **शिक्षा** मंत्री ६ मई, १९६४ के तारांकित प्रश्न संख्या १३२९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पूरे भारत में माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के एक समान वेतन-क्रम रखने तथा उनको सेवा की सुरक्षा तथा पेंशन, स्वास्थ्य और उपदान के लाभ देने वाले विभिन्न उपायों को लागू करने के सम्बन्ध में माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों की मांगों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० छागला): मांगों को नोट कर लिया गया है यद्यपि इनका संबंध मुख्यतः राज्य सरकारों से है।

शिक्षकों के वेतन-स्तर को राज्यों में सामान्य वेतन ढांचे के साथ मिला दिया गया है क्योंकि भारत भर में वेतन-स्तर समान रखना बहुत कठिन है। अधिक आयु के लाभ समेत, वेतन स्तर बढ़ाने और सेवा की शर्तों में सुधार करने के लिए मैंने सभी मुख्य मंत्रियों को व्यक्तिगत रूप से एक पत्र लिखा है और इस पर होने वाले अतिरिक्त व्यय का ५० प्रतिशत वहन करने की पेशकश की है।

चिकित्सा और इंजीनियरिंग पदालियों के लिये अनिवार्य सैनिक सेवा

३०९. श्री राम हरख यादव : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद् ने चिकित्सा और इंजीनियरिंग पदालियों के लिये चार वर्ष के लिये अनिवार्य सैनिक सेवा का नियम बनाने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस का प्रभाव और संभावना क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): (क) और (ख) भारत सरकार ने फैसला किया है कि केन्द्रीय सरकार के अधीन पदों पर/सेवाओं में और सरकारी उपक्रमों में स्नातक इंजीनियरों और डाक्टरों की भर्ती के नियमों में यह उपबन्ध किया जाये कि भविष्य में भर्ती होने वाले इन लोगों को कम से कम चार वर्ष तक (जिसमें प्रशिक्षण का समय भी शामिल है) आवश्यकतानुसार, प्रतिरक्षा सेवाओं में अथवा प्रतिरक्षा संबंधी कार्यों में भारत में या विदेश में कहीं भी काम करना पड़ेगा। प्रतिरक्षा सेवाओं में काम करने का उत्तरदायित्व केवल सेवा के प्रथम

१० वर्षों में ही होगा और यह नियम सामान्यत: ४० वर्ष की आयु से ऊपर के स्नातक इंजीनियरों और ४५ वर्ष की आयु से ऊपर के डाक्टरों पर लागू नहीं होगा। सभी राज्य सरकारों / संघ राज्य-क्षेत्रों से उनके अपने नियंत्रण में अथवा राज्य में स्थानीय निकायों के नियंत्रण में चिकित्सा और इंजीनियरिंग सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिये यही नियम लागू करने के लिये अनुरोध किया गया है। इस मामले पर दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद् को ११-१२ मई, १९६४ को हुई बैठक में विचार किया गया और उस जोन के राज्य अपने भर्ती नियमों में तदनुरूप आवश्यक उपबन्ध करने को राजी हो गये।

मंत्रालयों में पूछ ताछ एवं स्वागत कार्यालय

३१०. **श्री चुनी लाल** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने अन्य मंत्रालयों को उन मंत्रालयों और विभागों में, जिनका काम लाइसेंस और परमिट का है और जहां सार्वजनिक लोग बहुधा आते रहते हैं, पूछ ताछ एवं स्वागत कार्यालय स्थापित करने के निदेश दिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन कार्यालयों का मुख्य उद्देश्य और कृत्य क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) गृह-कार्य मंत्रालय ने यह परामर्श दिया है।

(ख) इस कार्यालय का मुख्य उद्देश्य और कृत्य यह होंगे :

(१) जनता को अपेक्षित जानकारी देना और नागरिकों को प्रशासन तक सीधे पहुंचने की सुविधा देना और इस प्रकार जानकारी प्राप्त करने अथवा प्रशासन तक पहुंचने के लिये अनुचित साधन अपनाना अनावश्यक बनाना;

(२) जनता की कठिनाइयां सुनना और उन्हें दूर करने के लिये कदम उठाना; और

(३) भ्रष्टाचार और अन्य बुराइयों के बारे में शिकायतें प्राप्त करना और उन पर आवश्यक कार्यवाही करना।

संस्कृत संगठनों को सहायता

३१२. { **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार वर्ष १९६४-६५ में ऐच्छिक संस्कृत संगठनों, संस्थाओं और पाठशालाओं को वित्तीय सहायता देगी; और

(ख) यदि कुछ कितनी वित्तीय सहायता दी जायेगी ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी, हां।

(ख) गुरुकुलों के लिये रखे गये २ लाख रुपये के अतिरिक्त ४ लाख रुपये।

National Integration and Education

313. **Shri M. L. Dwivedi :**
Shri Subodh Hansda :
Shri S. C. Samanta :
Shrimati Savitri Nigam :
Shri Daji :

Will the Minister of **Education** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1102 on the 4th December, 1963 and state :

(*a*) whether the recommendations of the Sampurnanand Committee regarding the formulation of a policy on emotional integration in national life and religious and moral education in the country have been considered ; and

(*b*) if so, the decision of Government thereon ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) They are still under consideration.

(*b*) Does not arise.

जनता की कठिनाइयों को पूरा करना

३१५. डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनता की कठिनाइयों को दूर करने के लिये सरकार ने अब तक पर्याप्त सरकारी व्यवस्था करने के लिये यदि कोई कदम उठाये हैं, तो वे क्या हैं;

(ख) इस मामले में वह ऐच्छिक संगठनों की किस प्रकार सहायता लेगी; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए सरकार जिन ऐच्छिक संगठनों से सहायता लेगी, उनके नाम क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी): (क) जनता की कठिनाइयों को दूर करने के लिये इस समय सरकारी व्यवस्था दो प्रकार है :

(१) जिस किसी विभाग या संगठन के कार्य से या इसकी कमी के कारण कठिनाई पैदा होती है, पर्यवेक्षक और नियंत्रण अधिकारियों का संगठन; और

(२) संविहित और असंविहित तरीके के विभिन्न न्यायाधिकरण जिनको विशिष्ट मामलों में कठिनाई बतायी जा सकती है।

इसके अतिरिक्त मूलभूत अधिकारों के मामले में न्यायिक व्यवस्था है। प्रशासनिक कार्यवाही के बारे में संसद् में प्रश्न पूछने या वाद-विवाद उठाने की लोकतंत्री व्यवस्था है और सरकारी आश्वासनों और याचिका सम्बन्धी संसदीय समितियां भी हैं।

हाल ही में सरकार ने दो नई दिशाओं की ओर विचार किया है। प्रथमत: सरकारी कर्मचारियों में भ्रष्टाचार और ईमानदारी के अभाव के बारे में शिकायतों के लिये सरकार ने इनकी जांच करने के लिये केन्द्रीय सतर्कता आयोग स्थापित किया है और राज्य सरकारों से भी ऐसे निकाय स्थापित करने को कहा है। दूसरे, अन्य प्रकार की शिकायतों के बारे में हमारे देश की स्थिति के अनुरूप

विशेष व्यवस्था करने के प्रश्न की जांच की जा रही है। प्रथम कदम के रूप में कुछ विभागों ने उन विभागों से व्यवहार करने वाले नागरिकों की शिकायतों और कठिनाइयों को दूर करने के लिये एक पर्याप्त वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त किया है।

(ख) और (ग). यद्यपि सरकार सामान्यत: ऐच्छिक संगठनों की सहायता का स्वागत करेगी, इसके विचार में संयुक्त सदाचार समिति है जो एक ऐच्छिक निकाय है और जिसमें अनेक अखिल-भारत सामाजिक और धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि हैं और अन्य व्यक्ति हैं। पहले समिति इसको दी गयी शिकायतों की जांच करेगी और फिर उन शिकायतों को, जिन पर कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है, विभिन्न विभागों आदि में मनोनीत पदाधिकारियों को बतायेगी।

देहरादून में नेत्रहीन बच्चों के लिये माडल स्कूल

३१६. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार द्वारा देहरादून के नेत्रहीन बच्चों के लिये मॉडल स्कूल के प्रशिक्षार्थियों पर प्रति बच्चा कितना व्यय किया जाता है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): प्रति बच्चा भोजन पर लगभग ३५ रुपये प्रति मास खर्च होता है। हर बच्चे को मुफ्त कपड़ा भी दिया जाता है। यदि इमारत के किराये, अध्यापकों और अन्य व्यक्तियों के वेतन, आकस्मिक व्यय आदि का हिसाब लगाया जाये, तो वर्ष १९६३-६४ में प्रति बच्चा व्यय लगभग १२२ रुपये हुआ है।

भारतीय वैज्ञानिक

३१७. { **श्रीमती सावित्री निगम** :
श्री श्याम लाल सर्राफ :
श्री रा० बरुआ :
श्री राम सहाय पाण्डेय : }

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् और तकनीकी विकास निदेशालय के बीच कोई यह करार हुआ है कि हर परियोजना को, उनकी क्रियान्विति में विदेशी तकनीशियनों को सहायता के लिये आमंत्रित करने से पूर्व, पहले भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा चलाया जायेगा ?

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) और (ख). ऐसा कोई करार नहीं किया गया है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् और तकनीकी विकास महा-निदेशालय के बीच काम करने के बारे में निम्नलिखित सहमति हुई है :

(१) तकनीकी विकास विभाग राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थाओं की कार्यकारी परिषदों में सदस्य मनोनीत करे।

(२) तकनीकी विकास विभाग द्वारा स्थापित की गयी विभिन्न विकास परिषदों/तालिकाओं में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् को प्रतिनिधान दिया जाये।

(३) तकनीकी विकास विभाग और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् ऐसी तालिका बनायें जो अल्पकालीन और दीर्घ कालीन समस्याओं पर विचार करे और इन को विभिन्न प्रयोगशालाओं को सौंपे और फिर इनकी प्रगति देखे।

(४) तकनीकी विकास विभाग और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् विदेशी सहयोग, यदि कोई है तो उसकी वांछनीयता और विस्तार के प्रस्तावों और इन परियोजनाओं में भारतीय अनुसन्धानकर्ताओं और वैज्ञानिकों के सहयोग के तरीके की जांच के लिये संयुक्त समितियां बनायें।

(५) राष्ट्रीय प्रयोगशालायें तकनीकी विकास विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों को विभिन्न अनुसन्धान परियोजना के बारे में परियोजना प्रतिवेदन, वार्षिक प्रतिवेदन, अर्द्ध-वार्षिक प्रतिवेदन, बुलेटिन और पत्रिकाएं भेजे।

दिल्ली में कारों की चोरी

३१८. { **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय : }

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली राज्य में पिछले ६ महीनों में कितनी कारें चोरी की गयीं और बरामद की गयीं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी): दिल्ली राज्य में ४६ कारें चुरायी गयीं जिन में से ४५ बरामद की गयी हैं।

अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह में जमानत पद्धति

३१९. श्री प्र० के० देव : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह में जमानत पद्धति (श्योरिटी सिस्टम) प्रचलित है जिसके अनुसार प्रधान देश (मेन लैंड) में जाने वाले किसी व्यक्ति को जमानत देनी होती है ताकि यदि उस व्यक्ति से आर कोई रकम बकाया हो तो वह रकम जमानत देने वाले व्यक्ति से वसूल की जा सके; और

(ख) यदि हां तो देश के एक भाग से दूसरे भाग में भारतीयों के अबाध रूप से आने जाने पर यह रुकावट क्यों डाली गयी है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी): (क) और (ख). बस्तीकरण योजना के अधीन द्वीपसमूह में लाये गये व्यक्तियों को उनके पुनर्वास के लिए पर्याप्त ऋण दिये गये हैं। अन्दमान प्रशासन को यह बात मालूम हुई थी कि अनेक लोग सरकारी बकाया के भुगतान के बिना द्वीप समूह छोड़कर प्रधान देश में चले गये। सरकार को नुकसान से बचाने के लिए प्रशासन ने एक प्रक्रिया चलायी जिससे प्रधान देश में जाने वाले परिवार के प्रमुख को यह जमानत देनी पड़ती है कि यदि वह व्यक्ति प्रधान देश से वापिस न लौटे तो उस हालत में, जमानत देने वाला व्यक्ति सरकार को सभी बकाया रकमें देने के लिये जिम्मेदार होगा।

अन्दमान में जरावा लोगों की आक्रामक कार्यवाहियां

३२०. **श्री प्र० के० देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताते की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६३–६४ में अन्दमान में जरावा लोगों की कोई आक्रामक कार्यवाही हुई थी;

(ख) यदि हां तो कितने हताहत हुए; और

(ग) अपराधियों को पकड़ने और सजा देने के लिए क्या कदम उठाये गये ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी): (क) और (ख). जरावा लोगों की आक्रामक कार्यवाहियों के फलस्वरूप, दो व्यक्ति मारे गये और दो हताहत हुए। अन्दमान वन विभाग का हाथी भी आहत हुआ था।

(ग) घने जंगलों और दुर्गम क्षेत्रों के कारण अपराधियों का पता लगाना और उन्हें पकड़ना संभव नहीं हुआ।

लड़कियों की शिक्षा

३२१. **श्री सुबोध हंसदा** :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाज में गरीब लोगों, खासकर अनुसूचित आदिम जातियों और अनुसूचित जातियों की लड़कियों की शिक्षा की गति बढ़ाने के लिए सरकार की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो जो योजना चालू की गयी है या चालू की जाने वाली है वह किस प्रकार की है; और

(ग) शिक्षा के किस स्तर तक यह योजना जारी रखी जायेगी ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० छागला) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). पिछड़े वर्गों के लिए केन्द्रीय समर्थन प्राप्त कार्यक्रमों के अधीन, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की लड़कियों के लिए छात्रावास भवन बनाने के लिए व्यवस्था की गयी है। मिडिल और सेकेन्डरी स्कूलों की लड़कियों के लिए होस्टलों के लिए सहायता अनुदान मिल सकते हैं।

इसके अलावा (क) मैट्रिक के बाद की छात्रवृत्तियों और (ख) अधिसूचित आदिम जातियों के लिए शिक्षा योजना के केन्द्रीय समर्थन प्राप्त कार्यक्रमों के अधीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लड़कों और लड़कियों को भी लाभ मिलता है।

दिल्ली में व्यापारियों की गिरफ्तारी

३२२. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के आदेश से दिल्ली में मई, १९६४ में कुछ बड़े व्यापारियों को गिरफ्तार किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या अभियोग थे ;

(ग) क्या इसका डालमिया जैन दल सम्बन्धी विवियन बोस रिपोर्ट से कोई सम्बन्ध है ; और

(घ) इतने वर्षों के बाद उन पर अभियोग चलाने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) (क) जी हां ।

(ख) अभियोग ये हैं; आपराधिक षड़यन्त्र और डालमिया जैन एयरवेज लिमिटेड की विधियों और परिसम्पद् के सम्बन्ध में आपराधिक विश्वासघात और षडयन्त्र का भंडाफोड़ रोकने के लिए और रकमों की गड़बड़ी ठीक करने के लिए जालसाजी और झूठा हिसाब किताब बनाना ।

(ग) जी हां । विवियन बोस आयोग ने जिन कुछ आरोपों की जांच की है उनके बारे में इस मामले में विशेष पुलिस प्रतिष्ठान ने भी जांच की है ।

(घ) जब यह मामला जांच आयोग के विचाराधीन था तब विशेष पुलिस प्रतिष्ठान आगे जांच पड़ताल नहीं कर सका क्योंकि सभी सम्बन्धित कागजात आयोग के पास थे । १९६३ के मध्य में आयोग द्वारा कागजात विशेष पुलिस प्रतिष्ठान को लौटाये जाने के बाद ही वह जांच पड़ताल शुरू कर सका । ५–५–१९६४ को न्यायालय में अभियोग पत्र दायर किया गया । मामले की पेचीदगी और लम्बे चौड़े कामकाज को देखते हुए जांच पड़ताल जल्दी पूरी नहीं की जा सकी ।

संसद् सदस्यों की अन्दमान यात्रा

३२३. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ संसद् सदस्य अन्दमान गये थे और यदि हां तो क्या उन्होंने सरकार को कोई रिपोर्ट पेश की है ; और

(ख) इस रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं और उन पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) जो संसद् सदस्य अभी हाल में अन्दमान गये थे उन्होंने सरकार को कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है ।

EDUCATION AS CONCURRENT SUBJECT

324. **Shri Sidheshwar Prasad :** Will the Minister of *Education* be pleased to state the progress made in making Education a 'Concurrent' subject ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): The Committee of M. P.s set up by the Ministry of Eduation to examine the provisions of the Constitution regarding Higher Education is, *inter-alia* considering the desirability or otherwise of making higher education a Concurrent subject. Its report is expected shortly.

पैट्रोलियम की चीजों का आयात

३२५. श्री सुबोध हंसदा : क्या पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या पैट्रोलियम की वस्तुओं का आयात १९६३–६४ में कम हो गया है ;

(ख) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या निकट भविष्य में कोई सुधार होगा ; और

(घ) आयात पूरी तौर से कब तक रोक दिये जायेंगे ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायूंन कबिर) : (क) जी हां ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) यह पैट्रोलियम की चीजों की मांग में वृद्धि की दर और देशी उत्पादन में वृद्धि के परिमाण पर निर्भर होगा ।

(घ) इस दशा में इसे बताना सम्भव नहीं है । सामान्यतया कुछ चीजों की सप्लाई बहुत कम रहती है और कुछ चीजें बहुतायत में तैयार होती हैं और निर्यात की जाती हैं ।

राष्ट्रीय अनुसन्धान विकास निगम

३२६. { श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय अनुसन्धान विकास निगम घाटे पर चल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) इस निगम में कितने नये तरीके निकाले हैं ; और

(घ) क्या उनमें से किसी तरीके को उद्योग ने काम में लाया है अथवा उससे औद्योगिक विकास में मदद मिली है और अब तक कितने तरीकों को प्रयोग में लाया गया है ?

शिक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) जी हां ।

(ख) राष्ट्रीय अनुसन्धान विकास निगम एक रजिस्टर्ड कम्पनी होने पर भी एक विकास संगठन है जिसका उद्देश्य वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् और अन्य अनुसंधान संगठनों आदि (केन्द्रीय तथा राज्य सरकारी संगठनों सहित) के पेटेन्टों और आविष्कारों को, मुनाफे के लिये या अन्यथा, लोकहित में बढ़ाना और उनका उपयोग करना है । निगम को देशी तकनीकी जानकारी के विकास के लिए पूर्णतः वाणिज्यिक संगठन की अपेक्षा काफी अधिक खर्च करना पड़ता है और अधिक खतरा लेना पड़ता है । निगम अपनी ७० प्रतिशत आमदनी अनुसंधान संगठनों को बांट देता है और केवल ३० प्रतिशत अपने प्रशासनिक तथा विकास व्यय के लिए रखता है ।

(ग) मार्च, १९६४ के अन्त तक, विभिन्न अनुसन्धान संगठनों ने निगम को विकास के लिए ६७९ आविष्कार सौंप दिये थे ।

(घ) जी हां । ६७ पेटेन्ट्स/प्रोसेसेज पर वाणिज्यिक उत्पादन कायम किया गया है ।

पिम्परी पेनिसिलीन का मूल्य

३२७. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिम्परी पेनिसिलीन का मूल्य बहुत शीघ्र ही कम कर दिया जायगा ;

(ख) यदि हां, तो कितना ; और

(ग) कब तक ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) से (ग) जब पिम्परी कारखाना और अन्य निर्माता अपने विस्तार कार्यक्रम को पूरा कर लेंगे जो अभी कार्यान्वित किये जा रहे हैं तब पिम्परी कारखाने के पेनिसिलीन और उससे बनी वस्तुओं का बिक्री मूल्य घटाने के प्रश्न की जांच की जायगी ।

उड़ीसा में एक गांव के कुएं में किरोसीन के तत्व

३२८. **श्री गोकुलानन्द महन्ती** : क्या **पट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के क्योंझर जिले में तुरुमंगा गांव में किरोसीन तत्वों से युक्त पानी के कुएं के बारे में 'प्रजातन्त्र' नामक उड़िया दैनिक के १ मई, १९६४ के अंक में प्रकाशित समाचार की ओर ध्यान दिलाया गया है ; और

(ख) क्या सरकार ने इस दिशा में कोई पूछताछ की है और यदि हां तो क्या नतीजा निकला ?

पट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायूंन कबिर) : (क) और (ख) अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है कि उड़ीसा के क्योंझर जिले में तुरुमंगा गांव में किरोसीन तत्व वाले पानी का एक कुआं है जिला अधिकारियों से पूछताछ की जा रही है ।

"लैटर्स फ्रोम चाइना--(नम्बर्स १--१०)"

३२९. { **श्री दी० चं० शर्मा** :
श्री नाथ पाई :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यू वर्ल्ड प्रेस द्वारा प्रकाशित, राना लुई स्ट्रांग द्वारा लिखित लेटर्स फ्रोम चाइना--(नम्बर्स १-१०) नामक पुस्तक जब्त कर ली गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) भारत रक्षा नियम, १९६२ के नियम ३५ के खण्ड (७) के अधीन की गयी परिभाषा के अनुसार आपत्तिजनक सामग्री इस पुस्तक में विद्यमान है ।

विशाखा पत्तनम में उर्वरक संयंत्र

३३०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **पट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करग कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम् में उर्वरक सन्यन्त्र स्थापित करने के लिए अमरीकी सरकार ने भारतीय-अमरीकी मित्र राष्ट्र संघ द्वारा बनायी गयी कम्पनी के साथ दो ऋण करार किये हैं ;

(ख) क्या उस संयंत्र के लिए स्थान चुन लिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो संयंत्र स्थापित करने का क्या कार्यक्रम है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) विशाखापत्तनम् में उर्वरक कारखाना खोलने के लिए जिन पार्टियों को लाइसेंस दिया गया था उन्होंने कारखाने के खर्च के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास अधिकरण और वाशिंगटन के आयात निर्यात बैंक के साथ ऋण करार किये थे ।

(ख) वह पार्टी विशाखापत्तनम् पत्तन न्यास के साथ विशाखापत्तनम् बंदरगाह क्षेत्र में एक उचित जमीन पट्टे पर लेने के लिए बातचीत कर रही है ।

(ग) पार्टी द्वारा बनाये गये कार्यक्रम के अनुसार अनुमान है कि कारखाने में १९६६ की आखिरी तिमाही में उत्पादन आरम्भ हो जायगा ।

भारतीय विदेश सेवा की मौखिक परीक्षा के लिये अंक

३३१. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विदेश सेवा की मौखिक परीक्षा के लिए अंक कम करने का कोई निश्चय किया गया है ; और

(ख) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख) इस प्रश्न पर अभी विचार हो रहा है ।

उड़ीसा में विकलांगों के लिए छात्रवृत्तियां

३३२. **श्री रामचन्द्र मलिक** : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६३-६४ में केन्द्रीय सरकार की छात्रवृत्तियों के लिए उड़ीसा राज्य के कितने विकलांग व्यक्तियों से आवेदन पत्र प्राप्त हुए ;

(ख) कितनों को छात्रवृत्तियां दी जा चुकी हैं ; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए अनुदान की कुल कितनी रकम दी गयी ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) २०। इन में से ६ आवेदन पत्रों की उड़ीसा सरकार ने सिफारिश की और १९ आवेदन अस्वीकार कर दिये ।

(ख) ६ ।

(ग) १९६३-६४ में छात्रवृत्ति के लिए २,८७० रुपये की रकम दी गयी ।

विदेशों में भारतीय छात्र

३३३. **श्री रामचन्द्र मलिक** : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में कुल कितने भारतीय छात्र पढ़ रहे हैं ; और

(ख) किन किन देशों में और प्रत्येक देश में कितने कितने छात्र हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) प्राप्त जानकारी के अनुसार, १-१-१९६३ को विदेशों में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों की कुल संख्या १४,२१३ थी।

(ख) आवश्यक जानकारी बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० २९२३/६४]

विवियन बोस आयोग की रिपोर्ट पर कार्यवाही

३३४. श्री ज० ब० सिं० बिष्ठ : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भूतपूर्व डालमिया-जैन एयरवेज लिमिटेड की रकमों के सम्बन्ध में षड़यन्त्र और आपराधिक विश्वासघात के मामले से सम्बन्धित सभी व्यक्तियों के विरुद्ध मामले दर्ज किये हैं;

(ख) क्या यह सच है कि विवियन बोस आयोग की रिपोर्ट में जिन लोगों के बारे में प्रतिकूल उल्लेख किया गया है उनको छोड़ दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उनके विरुद्ध अभियोग न चलाने के क्या कारण हैं?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां। केन्द्रीय जांच पड़ताल कार्यालय के विशेष पुलिस प्रतिष्ठान शाखा ने डालमिया-जैन एयरवेज लिमिटेड की परिसम्पद् और निधियों के सम्बन्ध में षड़यन्त्र और आपराधिक विश्वासघात से सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध एक मामला दर्ज किया है।

(ख) ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं छोड़ दिया गया है जिसके बारे में विवियन बोस आयोग की रिपोर्ट में प्रतिकूल उल्लेख किया गया है और जिसके विरुद्ध अभियोग चलाने के लिए प्रथमतः उचित साक्ष्य उपलब्ध है।

(ग) उपरोक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न पैदा नहीं होता।

सिंदरी उर्वरक कारखाने में अमोनिया संयंत्र

३३५. श्री तन सिंह : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री ८ अप्रैल, १९६४ के तारांकित प्रश्न संख्या ९४७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सिंदरी उर्वरक कारखाने में फालतू उपकरणों के साथ नया अमोनिया संयंत्र स्थापित करने के लिये अपेक्षित विदेशी मुद्रा देने के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) खराब 'लीन गैस जेनिरेटर' देने के लिये जिम्मेदार कम्पनी को क्या अर्थ दण्ड दिया गया है; और

(ग) अभी तक अधिष्ठापित क्षमता से कम उत्पादन के कारण कुल कितनी हानि हुई है?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) अपेक्षित विदेशी मुद्रा इस बीच दे दी गई है।

(ख) उपकरणों के देने में देरी और उनके अच्छा काम न करने के लिये ठेकेदार ५,६२,५०० रु० की राशि दण्ड के रूप में देने के लिये राजी हो गये हैं।

(ग) सप्लाई करने वालों के कहने के अनुसार संयंत्र को वर्ष में ३४५ दिन चलाया जा सकता था, परन्तु अब यह सिद्ध हो गया है कि फालतू उपकरणों की कमी और चालू उपकरणों की मरम्मत

न होने के कारण संयंत्र को एक वर्ष में २८५ दिन से अधिक जलाना सम्भव नहीं है । पर्याप्त 'कोक ओवन गैस' और फालतू उपकरणों की कमी के कारण १९५९ से मार्च, १९६४ तक की अवधि में मोनिया के उत्पादन में लगभग १,२७,००० मीट्रिक टन की हानि हुई है ।

उड़ीसा में अनुसूचित जातियों के लिये मकान

३३६. **श्री मोहन नायक :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों में उड़ीसा के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों के लिये कितने मकानों का निर्माण किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : जानकारी राज्य सरकार से मांगी गई है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त के विरुद्ध आरोप

३३७. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त के विरुद्ध इस आरोप की जांच की गई है कि जब वह मैसूर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति थे तो उन्होंने मुकद्दमों को तर्क सुनने के पश्चात् लम्बित रख दिया और निर्णय के लिये छोड़ दिया; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). तथ्यों का पता लगाया जा रहा है ।

न्यायिक अधिकारियों की तालिका

३३८. **महाराजकुमार विजय आनन्द :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्तियों के लिये न्यायिक अधिकारियों की एक अखिल भारतीय तालिका बनाई है; और

(ख) यदि नहीं, तो कब तक ऐसी तालिका बनाये जाने की आशा है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). उच्चन्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ऐसी तालिका बनाने के उद्देश्य के विरुद्ध थे, इसलिये इस प्रस्ताव पर विचार न करने का फैसला किया गया था ।

कुवैत में भारतीय तेल शोधक कारखाना

३३९. { **श्री अ० सिं० सहगल :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री धवन :
श्री बिशन चन्द्र सेठ : }

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुवैत में तेल की खोज और उत्पादन के लिये वहां पर एक भारतीय तेल शोधक कारखाना स्थापित करने के लिये बातचीत चल रही है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला;

(ग) क्या वहां पर तेल शोधक कारखाना स्थापित करने के लिये भारत के पास अपेक्षित मशीनें और संयंत्र हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इस बारे में क्या प्रबन्ध किये जायेंगे ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर): (क) कुवैत में भारतीय तेल शोधक कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते ।

दिल्ली में उच्च माध्यमिक कक्षाओं में दाखिले

३४०. श्री बाल्मीकी : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन विद्यार्थियों को, जिन्होंने दिल्ली माध्यमिक स्कूल बोर्ड की हाल की परीक्षा में द्वितीय श्रेणी के अंक प्राप्त किये हैं और जो विज्ञान और जीव विज्ञान में रुचि रखते हैं, उच्च माध्यमिक कक्षाओं में दाखिला नहीं दिया जाता; और

(ख) जीव विज्ञान के साथ विज्ञान की कक्षाओं के लिये स्कूलों में विद्यार्थियों को दाखिला देने के लिये क्या कसौटी है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) जी, नहीं ।

(ख) इंगलिश, गणित और सामान्य विज्ञान में पिछली परीक्षा में प्राप्त किये गये अंकों और स्कूल में स्थानों की उपलब्धता के आधार पर दाखिला दिया जाता है ।

दिल्ली में माध्यमिक स्कूलों की परीक्षायें

३४१. श्री बाल्मीकी : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में माध्यमिक स्कूलों की परीक्षाओं के बोर्ड द्वारा अप्रैल, १९६४ में ली गई माध्यमिक स्कूल की परीक्षा में बहुत कम प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) भविष्य में विद्यार्थियों के बड़ी मात्रा में असफल होने को रोकने के लिये सरकार क्या कदम उठाना चाहती है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) जी, नहीं । तीन विषय, जिन में विभाग द्वारा इस वर्ष परीक्षा ली गई थी, उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशतता काफी संतोषजनक रही वे निम्नलिखित हैं :—

इंगलिश	७३ प्रतिशत
गणित	६४ प्रतिशत
आधुनिक भारतीय भाषाएं . . .	८५ प्रतिशत

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

विदेशी तेल कम्पनियां

३४२. { श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अखिल भारतीय पेट्रोलियम श्रमिक संघ की इस मांग की जांच कर ली है कि चार विपणन कम्पनियों--एस्सो, कालटेक्स, बर्मा शैल और इन्डो बर्मा पेट्रोलियम--का राष्ट्रीकरण कर दिया जाये;

(ख) तेल और तेल के उत्पादों के विपणन और वितरण में विदेशी कम्पनियों के एकाधिकार को खत्म करने के लिये इन्डियन आयल कम्पनी की कार्यवाहियों के विस्तार को सरकार द्वारा कितना बढ़ावा दिया जा रहा है; और

(ग) मुनाफे के रूप में इन विदेशी विपणन कम्पनियों की आमदनी क्या है और प्रति वर्ष भारत के बाहर वे कितनी राशि भेजती हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर): (क) ऐसी कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) इन्डियन आयल कम्पनी ने मुख्य पत्तनों और देश के भीतर महत्वपूर्ण स्थानों पर बड़े पैमाने पर 'टैंकेज' सुविधाएं बना रखी हैं। इसने देश भर में संग्रह डिपो और अनेक तेल वितरण करने वाले पम्प खोल रखे हैं। सभी स्वदेशी और आयात की गई वस्तुओं की इन्डियन आयल कम्पनी द्वारा बिक्री १९६०—६१ और १९६३—६४ के बीच दुगनी से भी अधिक हो गई है।

(ग) विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा १९६२ में अर्जित किया गया मुनाफा निम्नलिखित है :—

मैसर्स एस्सो स्टेन्डर्ड ईस्टर्न इनकारपोरेशन . .	५२.०५ लाख रु०
मैसर्स कालटेक्स (इण्डिया) लिमिटेड . .	—११.०८ लाख रु० (हानि)
मैसर्स बर्मा शैल	१५४.६४ लाख रु०
मैसर्स इण्डो बर्मा पेट्रोलियम . . .	१२.८४ लाख रु०

१९६३ के लिए जानकारी उपलब्ध नहीं है। जहां तक मुनाफे को विदेश भेजने का सम्बन्ध है मैसर्स एस्सो—स्टडर्न्ड ईस्टर्न ने १९६२ में १४२ लाख रुपया बाहर भेजा। अन्य कम्पनियों के सम्बन्ध में मुनाफे को भेजने की अलग अलग जानकारी इस समय उपलब्ध नहीं है।

उच्च माध्यमिक शिक्षा का केन्द्रीय बोर्ड

३४३. { श्रीमती सावित्री निगम :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चमाध्यमिक शिक्षा के केन्द्रीय बोर्ड द्वारा लिये जाने वाली उच्चमाध्यमिक परीक्षा में अभ्यर्थियों की कुछ श्रेणियों को, बिना किसी स्कूल में पढ़े, बैठने की अनुमति देने की योजना लागू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या स्कूलों की अपनी परीक्षाओं में मूल्यांकन की योजना लागू की गई है और क्या इस योजना का विस्तार बाहर की परीक्षाओं तक भी करने का विचार है;

(ग) क्या ऐसी भी कोई योजना है जिसके अन्तर्गत सफल अभ्यार्थी बाद की परीक्षाओं में अतिरिक्त विषयों के लिए बैठ सकें; और

(घ) क्या ऐसा भी प्रस्ताव है जिससे कि सफल अभ्यार्थी अपनी डिवीज़न सुधारने के लिए उच्च माध्यमिक परीक्षा में पुन: बैठ सकें ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, हां।

(ख) मूल्यांकन की योजना स्कूलों की अपनी परीक्षाओं में लागू कर दी गई है और इस समय बाहर की परीक्षाओं तक इसका विस्तार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) जी हां।

(घ) जी हां।

दिल्ली में प्रौढ़ शिक्षा

३४४. **श्री महेश्वर नायक :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा निदेशालय दिल्ली राजधानी में एक प्रौढ़ शिक्षा आन्दोलन चालू करना चाहती है जिसमें दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्र भी शामिल होंगे;

(ख) योजना की मुख्य बातें क्या हैं और इसमें कितना धन व्यय होगा; और

(ग) क्या राज्यों में भी इसी प्रकार का आन्दोलन चालू करने का विचार किया जा रहा है?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) जी हां; परन्तु परियोजना इस समय ग्रामीण क्षेत्रों तक ही सीमित होगी।

(ख) दो वर्षों में ३–३ महीने के ४ पाठ्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। प्रत्येक पाठ्यक्रम में ७५० कक्षायें चलाई जायेंगी और प्रत्येक कक्षा में लगभग २० प्रौढ़ व्यक्ति होंगे। शिक्षा अंश-कालीन वेतन प्राप्त कर्मचारियों द्वारा दी जायेगी जिन को पहिले ही प्रशिक्षण दिया जायेगा। परि-योजना के लिए २.६२ लाख रु० की राशि मंजूर की गई है।

(ग) दिल्ली परियोजना के परिणामों की जांच के पश्चात् मामले पर विचार किया जायेगा।

अन्दमान में आने जाने पर प्रतिबन्ध

३४५. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :**
श्री ह० प० चटर्जी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्दमान में, भारतीय संविधान में नागरिकों को देश के एक भाग से दूसरे भाग में आने जाने का जो मूल अधिकार दिया हुआ है उस पर प्रतिबन्ध लगाया हुआ है; और

(ख) क्या यह भी सच है कि यदि वे मुख्य आयुक्त को कोई शिकायत पहुंचाना चाहें तो पोर्ट-ब्लेयर को भी बिना आज्ञा के मध्य और उतरी अन्दमान से जहाज में नहीं जा सकते ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) अन्दमान में लोगों के आने जाने की स्वतंत्रता पर किसी प्रकार का भी कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है सिवाय इस के कि अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह (आदिवासी आदिम जातियों का संरक्षण) विनियम, १९५६ की धारा ७, अनुसूचित आदिम जाति के सदस्य के अतिरिक्त, अन्य किसी व्यक्ति को बिना पास के रक्षित क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकती है ।

(ख) जी नहीं, यह सच नहीं है कि वे व्यक्ति जो मध्य और उतरी अन्दमान को तथा वहां से पोर्ट ब्लेयर जाना चाहें उन्हें किसी आज्ञा की आवश्यकता है ।

अन्दमान के स्कूलों में शिक्षा

३४६. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :**
श्री ह० प० चटर्जी :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्दमान में ऐसे गांव में जहां पूर्णतया बंगाली अथवा मलयाली लोग रहते हैं इन के बच्चों को छठी श्रेणी से अपनी मातृभाषा के अध्ययन के अधिकार से वंचित रखा जाता है ;

(ख) क्या यह सच है कि माध्यमिक शिक्षा में हिन्दी का माध्यम अनिवार्य है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इसके परिणामस्वरूप केवल कुछ ही विद्यार्थी ११वीं कक्षा तक पढ़ने के लिये जोर लगाते हैं ; और

(घ) क्या रवीन्द्र बंगाली विद्यालय, पोर्ट ब्लेयर, बंगाली छात्रों को इन की मातृभाषा में शिक्षा देने के लिये, स्थापित किया गया है, और यदि हां, तो क्या उन्होंने वित्तीय सहायता के लिए प्रार्थना की है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) से (घ). अपेक्षित जानकारी प्राप्त की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

अ. ंीप संचार

३४७. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती .**
श्री ह० प० चटर्जी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह और मुख्य भूमि में अन्तर्द्वीप संचार का विकास करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ;

(ख) क्या जुगोंग खाड़ी में कोई घाट बनाया जा रहा है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय म राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) अन्तर्द्वीप संचार का विकास :

एक जहाज बन कर तैयार होने वाला है। एक नाव ले ली गई है और दो और नावें बनाई जा रही हैं। एक शक्ति चालित नाव बनाई गई है और एक और बनाई जा रही है। अन्य दो जहाजों के लिये क्रयादेश दे दिये गये हैं।

मुख्य भूमि के साथ संचार का विकास :

एक मालवाही जहाज प्राप्त करने के प्रश्न पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। एक यात्री-एवं-सामान जहाज प्राप्त करने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) दुगोंग क्रीक तक ओर से माल का अथवा यात्रियों का कोई परिवहन नहीं होता।

अन्दमान में शरणार्थी

३४८. { **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :**
श्री ह० प० चटर्जी : }

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्दमान गये बहुत से शरणार्थियों को बागबानी के लिये ऋण दिये गये लेकिन उनको भूमि का आवंटन नहीं किया गया ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अब उन पर ब्याज समेत ऋण वापस करने के लिये दबाव डाला जा रहा है ; और

(ग) क्या शरणार्थियों ने यह प्रार्थना की है कि उनको दिया गया ऋण माफ़ कर दिया जाये ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

अन्दमान में चराई-शुल्क

३४९. { **श्री ह० प० चटर्जी:**
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: }

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान में कोई चराई ग्राउन्ड न होते हुए भी हर निवासी को, जिसके पास ढोर है, चराई-शुल्क देना पड़ता है ;

(ख) क्या हर मकानदार द्वारा २ रुपये चौकीदारी कर के रूप में देने पड़ते हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि एक परिवार में जब एक लड़के की शादी होती है तो परिवार को इतना ही रुपया नये कर के रूप में देना पड़ता है ; और

(घ) क्या किराये की रसीदों में भूमि की मात्रा, प्रति मकान किराया, ढोरों की संख्या, जिन पर शुल्क लिया गया है अथवा शुल्क वसूली की दर भी नहीं दिखाई जाती है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी): (क) और (ख). अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह (भूमि बन्दोबस्त) विनियम, १९२६ के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के नियम ४९-क के अधीन निम्नलिखित चराई-शुल्क और चौधरी और चौकीदारी-शुल्क लिया जाता है।

(क) चराई-शुल्क :

(१) तीन वर्ष से अधिक की आयु के बैल, गाय, भैंस और भैंसे प्रति वर्ष १ जनवरी को २ रुपये प्रति ढोर अग्रिम लिया जाता है।

(२) एक वर्ष से अधिक की आयु की बकरियों और भेड़ों पर १ जनवरी को प्रतिवर्ष ५० पैसे प्रति भेड़-बकरी अग्रिम लिये जाते हैं।

(ख) चौधरी और चौकीदारी शुल्क :

किसी भी मकान के हर आय-वाले निवासी से १ जनवरी और १ जुलाई की हर छमाही में चौधरी के लिये १२ पैसे प्रति मास और चौकीदार के लिये १२ पैसे प्रति मास की दर से अग्रिम लिये जाते हैं।

कथित नियमों के नियम ४९-ख के अन्तर्गत कृषकों को दो बैलों और दो दुधारू गायों पर चराई-शुल्क नहीं देना पड़ता। अनुदान अथवा लाइसेंस के अन्तर्गत भूमि के अनुदान-धारी अथवा लाइसेंसधारी अथवा भूमि पर रहने वाले उनके कर्मचारियों को भी, उनके अपने ढोरों के उस भूमि की सीमा के भीतर ही चरने पर, चराई-शुल्क नहीं पड़ता। सरकारी चराई भूमि हर जगह है। भूमि के ग्रान्टियों को और चौधरियों और चौकीदारों को चौधरी और चौकीदारी-शुल्क नहीं देना पड़ता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह सच है कि किराये के रसीदों में भूमि के ब्यौरे, प्रति मकान किराया आदि दिखाने के कालम नहीं हैं। तथापि, हर किरायेदार के पास भूमि का ब्योरा '**खतुन्नी**' में दर्ज है। भूमि, ढोरों की संख्या आदि के आधार पर तैयार की गई किराये की सूची प्रकाशित की जाती है और जिन व्यक्तियों को शिकायत हो, उनको इस सूची में गलती के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का अधिकार है।

सरकारी कर्मचारियों की निवृत्ति-आयु

३५०. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री यमुना प्रसाद मंडल :
श्री न० प्र० यादव :

क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन राज्यों में सरकारी कर्मचारियों की निवृत्ति-आयु को बढ़ा कर ५८ वर्ष कर दिया है;

(ख) क्या इस बारे में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद् ने अपनी हाल की बैठक में कोई निर्णय किया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) अभी तक नौ राज्य सरकारों ने बताया है कि उन्होंने निवृत्ति-आयु बढ़ा कर ५८ वर्ष कर दी है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विज्ञान की डाक द्वारा शिक्षा

३५१. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री यमुना प्रसाद मंडल :
श्री न० प्र० यादव :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय ने डाक द्वारा शिक्षा आरम्भ कर दी है ;

(ख) क्या शिक्षा की इस नई पद्धति में व्यक्तिगत रूप से मिलने का कार्यक्रम भी शामिल है ;

(ग) क्या डाक द्वारा शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिये आकाशवाणी निदेश प्रसारण करने को सहमत हैं ;

(घ) इसमें विज्ञान का विषय और बी० एड० पाठ्यक्रम शामिल करने की संभावनाओं का कहां तक पता लगाया है ; और

(ङ) क्या कोई और विश्वविद्यालय भी डाक द्वारा शिक्षा आरम्भ करेगा ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) आकाशवाणी इस मामले पर विचार कर रही है ।

(घ) इसमें विज्ञान के विषय और बी० एड० पाठ्यक्रम को शामिल करने की संभावनाओं का अभी पता लगाया जाना है ।

(ङ) अभी तक किसी अन्य विश्वविद्यालय से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

तिब्बती बच्चों के लिये स्कूल

३५२. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री न० प्र० यादव :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघीय मंत्रालय द्वारा स्थापित तिब्बती स्कूल सोसाइटी द्वारा तिब्बती बच्चों के लिये कितने स्कूल खोले गये हैं ;

811 (Ai)LS—5

(ख) ये स्कूल कहां पर स्थित हैं ;

(ग) क्या माउन्ट आबू में एक स्कूल खोलने का प्रस्ताव है ; और

(घ) इन स्कूलों में कौन से विषय पढ़ाये जाते हैं और ये स्कूल किस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) १६ ।

(ख) शिमला, मसूरी, दार्जीलिंग, डलहौजी, पचमढ़ी, मैसूर, तेजु (नेफा), चांगलांग (नेफा) में १३ मील पर और १७ मील पर अम्बिकापुर (मध्य प्रदेश), चन्दीगिरि (उड़ीसा), सानदेव, और पौडी (उत्तर प्रदेश), कांगड़ा और लद्दाख ।

(ग) जी, हां ।

(घ) ये स्कूल केवल लोअर मिडिल स्टैण्डर्ड तक के हैं और इनको अन्ततः केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध कर दिया जायेगा ।

गलत एटलस

३५३. **श्री श० ना० चतुर्वेदी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता की एक फर्म द्वारा एक एटलस, जिसमें समूचे जम्मू तथा काश्मीर राज्य को पाकिस्तानी क्षेत्र में दिखाया गया है, प्रकाशित की गई है और वह वहां पर और पश्चिम बंगाल के अन्य भागों में मुक्त रूप से बेची जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इसको जब्त करने और इसकी बिक्री रोकने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

गृह-कार्य में मंत्रालय राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) आरटीन प्रेस प्राइवेट लिमिटेड २४, रिपन स्ट्रीट, कलकत्ता––१६ द्वारा मुद्रित और स्वपन कुमार घोष, एस० डी० एण्ड सन्स, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित "मानचित्र पाक भूमंडल" नामक एक बंगाली में एटलस, जिसमें काश्मीर के कुछ भाग को पाकिस्तानी क्षेत्र में दिखाते हुए कुछ नक्शे शामिल हैं, कलकत्ता के समीप बेचे जाने के बारे में बताया गया है ।

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा भारत के प्रतिरक्षा नियम, १९६२ के नियम ४१ और पश्चिम बंगाल राज्य सुरक्षा अधिनियम, १९५० की धारा ११ के अन्तर्गत मामला चलाया गया है और ५ व्यक्ति (जिसमें ३ हाकर, १ पुस्तक-विक्रेता और कथित आरटीन प्रेस का एक निदेशक है) गिरफ्तार किये गये हैं । हाकर के पास जो एटलस की २५ प्रतियां थीं, उनको जब्त कर लिया गया है । पश्चिम बंगाल सरकार एटलस को जब्त करने के बारे में विचार कर रही है ।

जैसलमेर में तेल

३५४. { **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** :
श्री प० ला० बारूपाल :
श्री प्रताप सिंह :
श्री यशपाल सिंह : }

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जैसलमेर में आज तक तेल तथा गैस की खोज में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) क्या कोई समय-सारिणी बनाई गई है और यदि हां, तो उसका क्या व्योरा है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) भूतत्वीय मापीकरण-कार्य लगभग पूरा हो गया है। ग्रेविटी और चुम्बकीय सर्वेक्षण लगभग पूरे हो गये हैं और भकम्पीय सर्वेक्षण आरम्भ कर दिये गये हैं।

(ख) अभी लगभग और दो वर्ष तक भूकम्पीय सर्वेक्षण किया जायेगा। लगभग एक वर्ष तक छिद्रणकार्य किया जायेगा और उस अवधि के अन्त में, यदि आवश्यक हुआ तो, गहरा छिद्रण किया जायेगा ।

तेल उत्पादन और परिष्करण लक्ष्य

३५५. **श्री शिवमूर्ति स्वामी :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री धवन :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री श्याम लाल सर्राफ :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **पैट्रोलियन और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना में तेल के उत्पादन और परिष्करण का कोई लक्ष्य अन्तिम रूप से निर्धारित कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो किस स्तर पर ;

(ग) इस बारे मे बनाये गये कार्यक्रम की मोटे तौर पर क्या रूप-रेखा है ; और

(घ) उस योजना में तेल परियोजनाओं के लिये कितना परिव्यय रखा गया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) से (घ) इस मामले पर योजना आयोग के साथ बातचीत की जा रही है।

Arrests Under D. I. R. for Unauthorised Constructions

356. **Shri Naval Prabhakar :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether persons building unauthorised houses in Delhi have been arrested under Defence of India Rules ; and

(b) if so, the details of arrests made so far ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi): (a) Yes, Sir.

(b) 51 persons have so far been arrested by the Delhi Police since the promulgation of the Defence of India Rules.

बाराबत्ती रैफल

३५७. **श्री प्र० के० देव :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा सरकार को राज्य में बाराबत्ती रैफ़ल और अन्य लाटरियों को बन्द करने के बारे में लिखा है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर उड़ीसा सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) उड़ीसा सरकार की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा की जा रही है

Pay of Delhi Police Constables

358. **Shri Brij Raj Singh :** Will the Minister of **Home Aflairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the pay of Delhi Police constables is less than the pay of constables of the Intelligence Bureau ; and

(b) if so, the reasons for this disparity ?

The Minister of States in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi) (a) There are two scales of pay attached to the posts of constables in Delhi Police, *i.e.*, Selection Grade and Time scale, the former being higher than the latter. The scale of pay of constable of the Intelligence Bureau corresponds to that allowed to the Selection Grade constables of Delhi Police.

(b) The duties of constables of the Intelligence Bureau are of a more onerous and responsible nature as compared to those attached to the posts of the time scale constables of the Delhi Police.

"एम० वी० निकोबार"

३५९. **श्री मुहम्मद इलियास :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास-पोर्ट ब्लेयर-कलकत्ता के बीच चलने वाला "एम० बी० निकोबार" जहाज अक्सर खराब हो जाता है और यात्रियों को बड़ी कठिनाई होती है ; और

(ख) यदि हां, तो इस जहाज की अच्छी तरह मरम्मत करने अथवा इसके स्थान पर नया जहाज चलाने के लिये क्या व्यवस्था की गयी है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). यह सच है कि एम० वी० 'निकोबार' में पुराना होने के कारण कोई न कोई खराबी हो जाती है। यथावश्यक जहाज की आवश्यक मरम्मत की जाती है। एक मालवाही जहाज प्राप्त करने के लिये कार्यवाही की जा रही है। एक यात्री-एवं-मालवाही जहाज प्राप्त करने के प्रस्ताव पर भी सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। इनके प्राप्त करने में बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च होगी, जिसकी कमी है।

भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री

३६१. श्री ईश्वर रेड्डी : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री और उपमंत्री ग़ैर-सरकारी क्षेत्र में उपक्रमों के परामर्शदाता के रूप में काम कर रहे हैं ;

(ख) क्या वे कोई भत्ता अथवा मानदेय ले रहे हैं ; और

(ग) क्या इन उपक्रमों में काम करने से पूर्व सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग). भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्रियों और उपमंत्रियों को ग़ैर-सरकारी क्षेत्र में उपक्रमों में काम करने से पूर्व सरकार की अनुमति नहीं लेनी पड़ती है। अतः पूछी गई जानकारी उपलब्ध नहीं है

अध्यापकों के लड़कों को पुरस्कार

३६२. श्री कृष्णपाल सिंह : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अध्यापकों के हर लड़के को जो प्रथम श्रेणी में हाई-स्कूल परीक्षा पास करता है, ५० रुपये प्रति मास का 'राष्ट्रीय पुरस्कार' दिया जा रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि भूतपूर्व सैनिकों और प्रतिरक्षा बलों में काम कर रहे व्यक्तियों के लड़कों को जो निर्धन परिवार के हैं और कठिन परिस्थितियों में काम कर रहेहैं कोई रियायत नहीं दी जाती ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार भूतपूर्व सैनिकों और सशस्त्र बलों के काम करने वाले कर्मचारियों के लड़कों और लड़कियों को यही या इसी प्रकार की रियायतें देने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां, भारत भर मे हर वर्ष कुल ५०० छात्रवृत्तियां दी जाती हैं इसको प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के अनुपात मे राज्य-वार वितरित किया जाता है छात्रवृत्ति की रकम अध्ययन के पाठयक्रम और अभिभावकों के साधनों के अनुसार भिन्न होती है, पुरस्कार प्राप्त करने वालों का चयन परीक्षा मे प्राप्त अंकों की प्रतिशतता द्वारा योग्यता के आधार पर किया जाता है।

(ख) भूतपूर्व सैनिकों, जो स्कूल अध्यापक हैं के बच्चे प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। काम करने वाले कर्मचारी इस योजना से प्रभावित नहीं होते ।

(ग) जो भूतपूर्व सैनिक अध्यापक हैं उन पर यह योजना लागू है ही काम करने वाले कर्मचारियों पर यह योजना लागू करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

नये विश्वविद्यालय

३६३. श्री शिवमूर्ति स्वामी : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन राज्यों ने अपने अपने क्षेत्रों में (राज्य-वार) नये विश्वविद्यालय आरम्भ करने के प्रस्ताव रखे हैं ;

(ख) वर्ष १९६३–६४ में (राज्य-वार) केन्द्रीय सरकार द्वारा अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कौन कौन से प्रस्ताव स्वीकार किये जा चुके हैं ;

(ग) क्या दिल्ली में अथवा किसी अन्य राज्य में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाने का कोई प्रस्ताव है जिसमें हिन्दी के माध्यम से शिक्षा दी जायेगी ; और

(घ) उपरोक्त भाग (ख) और (ग) में निर्दिष्ट विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय सरकार क्या वित्तीय सहायता देगी ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जहां तक राज्यों का सम्बन्ध है, वर्ष १९६३–६४ में पश्चिम बंगाल सरकार से केवल एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था चैम्बर आॅफ कॉमर्स पांडिचेरी में एक विश्वविद्यालय के लिये एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ।

(ख) वर्ष १९६३–६४ में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान आसाम, गोआ और पांडिचेरी में विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्तावों का अनुमोदन किया। पहले दो विश्वविद्यालयों के बारे में प्रस्ताव वर्ष १९६३–६४ से पूर्व प्राप्त हुए थे।

(ग) जी नहीं।

(घ) राज्यों में विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिये न तो केन्द्रीय सरकार सहायता देती और न विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आयोग। विश्वविद्यालय स्थापित होने के बाद ही स्वीकृत विकास परियोजनाओं के लिये अनुदान देता है। गोआ और पांडिचेरी में प्रस्तावित विश्वविद्यालयों के लिये वित्तीय उपबन्ध के प्रश्न पर बाद में निर्णय किया जायेगा।

भारत में चीनी निवासी

३६४. { **श्री कपूर सिंह :**
श्री प्र० कु० घोष : }

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में उन समुद्र-पार चीनी निवासियों की क्या संख्या है जिनके पास इस समय साम्यवादी चीन के पारपत्र हैं ;

(ख) कितने समुद्र-पार चीनियों के पास क्युमिंतांग के पारपत्र हैं ; और

(ग) कितने समुद्र-पार चीनियों को 'राज्य-विहीन' घोषित किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ग) राज्य सरकारों से जानकारी प्राप्त की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) यह जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि भारत सरकार ने क्युमिंतांग के पारपत्रों को मान्यता नहीं दे रखी है।

देवली शिविर में चीनी नजरबन्दी

३६५. { **श्री कपूर सिंह :**
श्री प्र० कु० घोष : }

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देवली शिवर में चीनी नजरबन्दों की क्या संख्या है ; और

(ख) क्या यह सच है कि उन में से कुछ ने साम्यवादी चीन जाने से इन्कार कर दिया है और यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) ५५३ ।

(ख) जी हां लेकिन उन्होंने कोई कारण नहीं बताये हैं ।

तूतीकोरिन में तेल शोधक कारखाना

३६६. **श्री मुथिया** :
श्री पें० वेंकटासुब्बय्या :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक फ्रांसीसी तेल कम्पनी और एक जापानी तेल कम्पनी ने हाल ही में तूतीकोरिन में एक मध्यम आकार का तेल शोधक कारखाना खोलने में सहायता करने के हेतु अपनी इच्छा व्यक्त की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने उनकी पेशकश स्वीकार कर ली है और योजना को क्रियान्वित करने का निर्णय कर लिया है ; और

(ग) तूतीकोरिन में तेल शोधक कारखाना कब कार्य आरम्भ कर देगा ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

Retired Persons for Teachers' Jobs.

367. **Shri Rameshwaranand** : Will the Minister of **Education** be pleased to refer to the reply given to Unstarred question No. 1261 on the 18th March, 1964 and State :

(a) whether more retired persons have offered their services to work as honorary teachers and principals in Delhi ; and

(b) if so, the number of such persons in employment in Delhi Schools as teachers and principals as on the 1st May, 1964 ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) No, Sir.

(b) Question does not arise.

प्रादेशिक भाषायें

३६८. **श्री धर्म लिंगम** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों में प्रादेशिक भाषाओं में बहुत से पत्र आते हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या कार्रवाई की जाती हैं ;

(ग) क्या उत्तर उसी भाषा में दिया जाता है अथवा अंग्रेजी या हिन्दी में ; और

(घ) क्या इस मामले में कोई समान नीति अपनाई जाती है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र): (क) कभी कभी कुछ पत्र आ जाते हैं।

(ख) जी हां, आवश्यकतानुसार ।

(ग) और (घ) साधारणतया उत्तर अंग्रेजी में भेजा जाता है ?

गन्धक का तेजाब

३६६. { **श्री श्याम लाल सर्राफ :**
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गन्धक के तेजाब की इस समय खपत कितनी है और उसमें से कितना गन्धक का तेजाब देश के अन्दर ही तैयार होता है और कितना विदेश से मंगवाया जाता है ; और

(ख) देश के अन्दर अधिकाधिक गन्ध की तेजाब बनाने के लिये क्या प्रयत्न किये जाते हैं तथा कच्चे माल के किन साधनों का प्रयोग करके देखा गया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अलगेशन): (क) भारत में १९६३ में गन्धक के तेजाब की खपत लगभग ५६०,००० टन की थीं। यह समस्त तेजाब देश के अन्दर तैयार किया गया और कुछ भी आयात नहीं किया गया ।

(ख) गन्धक के तेजाब के लिये १,०००,००० टन से अधिक अतिरिक्त क्षमता का लाइसेंस दिया गया है और योजनाएं विभिन्न स्तरों पर क्रियान्वित हो रही हैं। भारत में विद्यमान गन्धक के तेजाब के संयन्त्र कच्चे माल के रूप में गन्धक का प्रयोग करते हैं । गन्धक की समस्त आवश्यकता का गन्धक विदेश से मंगवाया जाता है क्योंकि प्राथमिक गन्धक का कोई स्रोत अभी तक भारत में नहीं पाया गया । गन्धक युद्ध सामग्री जो भारत में उपलब्ध है, वह जिप्सम, पाइराइट और अलौह धातु जलाने वाले कारखानों से प्राप्त गन्धक युक्त जैसे तथा तेल शोधक कारखानों से प्राप्त गैसें और दूसरे गैसें हैं । गन्धक के तेजाब के उत्पादन या जिससे गन्धक बनाने की सम्भाव्यता का विचार किया गया है, परन्तु भारत में जो परिस्थितियां हैं उनके अन्तर्गत यह लाभप्रद नहीं । गन्धक की इस समय कम कीमतों को देखते हुए, इंग्लैण्ड जैसे देशों में भी, जहां जिप्सम पर आधारित गन्धक के तेजाब के सन्यन्त्र हैं, इस बात में शंकए शील हैं कि इस तरीके का व्यापक प्रयोग करना लाभदायक है अथवा नहीं । अच्छे किस्म के लौह पाइराइट के बड़े निक्षेप बिहार में अमझोर में पाये गये हैं और बड़े पैमाने पर पाइराइट खनन के कार्यक्रम की योजना सरकारी क्षेत्र की पाइराइटा और रसायन विकास कम्पनी ने बनाई है। कम्पनी पाइराइट के गन्धक का तेजाब बनाने का कार्यक्रम भी चला रही है और इसने सिन्दरी में पहला ४०० टन प्रतिदिन तेजाब सन्यन्त्र स्थापित करने के लिये टैंडर मंगवाये हैं। हैल- सिंकी, फिनलैण्ड के मैसर्स ऊटोकूम्पो द्वारा पाइराइट के साथ साथ गन्धक तथा गन्धक का तेजाब बनाने के लिये निकाले गये तरीके को भारत में अपनाने के सम्बन्ध में भी जांच की जा रही है। जलाने वाली गैसों के सम्बन्ध में, भारत तांबा निगम का बिहार में घाटसिला में अपने विस्तृत तांबा गलाने के कारखाने से लगभग ५०,००० टन गन्धक का तेजाब प्राप्त करने का विचार है। इसी प्रकार अलवाये, केरल तथा उदयपुर में जस्ता गलाने का कारखाना तथा खेत्री अयस्क पर निर्भर सरकारी क्षेत्र का तांबा गलाने का कारखाना, अगले कुछ वर्षों में लगभग १५०,००० टन तेजाब प्रति व्यवित तैयार करेगा।

पुस्तक विक्रेताओं द्वारा निर्धन विद्यार्थियों का शोषण

३७०. **श्री राम हरख यादव** : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उस तरीके का पता है जो दिल्ली के पुस्तक-विक्रेताओं ने उन निर्धन विद्यार्थियों, विशेषकर चिकित्सा और जीनियरी के छात्रों का शोषण करने के लिये अपना रखा है, जो विषयों सम्बन्धी महंगी पाठ्य पुस्तकें खरीद नहीं सकते, और उस तरीके से पुस्तक विक्रेता पुस्तकें किराये पर देते हैं और शिक्षा सत्रों की समाप्ति पर बिल्कुल नई पुस्तक का पूरा दाम लेते हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में विद्यार्थियों की सहायता करने के हेतु इस शोषण को रोकने के लिये क्या कारवाई की है ।

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) दिल्ली प्रशासन के द्वारा अपेक्षित जानकारी पूछी गई है और उनकी रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई ।

(ख) ऐसे तरीके को रोकने के लिये कारवाई करने के प्रश्न पर, दिल्ली प्रशसन की रिपोर्ट आ जाने के पश्चात् विचार किया जाएगा । तथापि भारतीय छात्रों की सहायता के विभिन्न केन्द्रीय सरकार अमरीका और इंगलैण्ड के सहयोग के साथ सभी क्षेत्रों में पाठ्य-पुस्तकें मानक ग्रन्थों आदि के सस्ते दामों वाले संस्करण करवा रही हैं ।

आई० ओ० सी० तथा इंडियन रिफाइनरीज का विलय

३७१. **श्री रामनाथन् चेट्टियार** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन रिफाइनरीज़ तथा इण्डियन आयल कम्पनी को एक कम्पनी के रूप में विलय करने के प्रस्ताव की इस समय क्या स्थिति है ; और

(ख) इस कार्य के लिये कब एक कम्पनी बनाये जाने की सम्भावना है ?

पट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) इस आशय का निर्णय किया गया है और सम्भवना अधिनियम, १९५६ की धारा ३९६ के अन्तर्गत कार्रवाई की जा रही है ।

(ख) १ सितम्बर, १९५६ तक ।

भारतीय अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकीय सेवायें

३७२. **श्री रामानाथन् चेट्टियार :** क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी सेवाओं के लिये प्रत्यक्ष भरती के हेतु एक तियोगी परीक्षा कब करने का विचार है ;

(ख) इस परीक्षा में बैठने के लिये क्या आयु सीमा निर्धारित करने का विचार है ; और

(ग) यदि प्रत्यक्ष भरती के लिये कोई अभ्यंश आरक्षित किया गया है ; तो उसमें से प्रारम्भिक स्तर पर भरे जाने वाले रिक्त स्थानों का क्या कोई अनुमान लगाया गया है और यदि हां, तो कितना ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख) मामला विचाराधीन है ।

(ख) प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा प्रत्यक्ष भरती केवल भारतीय आर्थिक सेवा और भारतीय सांख्यिकी सेवा के संवर्ग तक ही सीमित है। दोनों सेवाओं के नियमों के अनुसार इस संवर्ग के लिए प्रत्यक्ष भरती की निर्धारित आयु सीमा २१ से ३० वर्ष तक है (अर्थात् अभ्यर्थी ने २१ वर्ष पूरे कर लिये हों और ३० वर्ष पूरे न किये हों) परन्तु अनसूचित जातियों एवं आदिम जातियों और समय समय पर सरकार द्वारा जारी किये जाने वाले विशेष आदेशों के अनुसार अन्य विशेष श्रेणियों से सम्बन्ध रखने वाले अभ्यर्थियों के लिये आयु सीमा में कुछ रियायत है।

हसनाबाद शिविर मे पाकिस्तानी जासूस

३७३. { **श्री यु० द० सिंह :**
श्री श० ना० चतुर्वेदी :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या यह सच है कि एक पाकिस्तानी जासूस पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों के हसनाबाद शिविर में पकड़ा गया था, जो वहां गलत नाम रख कर रह रहा था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उसका नाम उतिहार रहमान है और वह खलना जिले के सतसीन गांव का निवासी है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इसके पास से कुछ दस्तावेज पकड़े गये और सरकार ने इसके बारे में कार्रवाई की ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग) जांच पड़ताल से ऐसा पता चला है कि पूर्वी पाकिस्तान के खुलना जिला के गांव बेलीपुर का एक अतिहार रहमान, झूठा नाम रख कर, पश्चिम बंगाल में बशीरहाट में जूड़ा सरकार के मकान में रहता हुआ पाया गया। वह पूर्वी पाकिस्तान में अपने गांव के कुछ हिन्दू शरणार्थियों के साथ, नौकरी प्राप्त करने के लिये, किन्हीं यात्रा कागजों के बिना १० मई ६४ को भारत में घसा। उसके पास से कोई दस्तावेज नहीं पकड़े गये और यह दर्शाने के लिये कोई कारण नहीं था कि उसकी जासूसी की किसी प्रकार की कार्रवाई से कोई सम्बन्ध था। भारत प्रतिरक्षा नियमों की धारा २६(२), विदेशी अधिनियम की धारा १४ और पश्चिम बंगाल सुरक्षा अधिनियम की धारा ११ के अन्तर्गत उसके विरुद्ध मामला दर्ज कर दिया गया है और न्यायाधीन है।

निवारक निरोध अधिनियम तथा भारत सरकार अधिनियम के अन्तर्गत विरुद्ध व्यक्ति

३७४. { **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निवारक निरोध अधिनियम, तथा भारत सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य में १ जून १९६४ को पृथकतः कितने व्यक्ति विरुद्ध थे ; और

(ख) प्रत्येक मामले में विरोध के कारण क्या थे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) सूचना राज्य सरकारों एवं संघ प्रशासनों से एकत्रित की जा रही है और एक विवरण सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

(ख) प्रत्येक मामले में सभी राज्यों और प्रशासनों से निरोध के कारण ढूंढने में जितना समय और मेहनत खर्च होगी उतने परिणाम नहीं निकलेंगे ।

दिल्ली में प्राथमिक शिक्षा

३७५. श्री बिशनचन्द्र सेठ : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस मन्त्रालय ने दिल्ली की नगर पालिका निगम को उन माता पिताओं के विरुद्ध अभियोग चलाने का निदेश जारी किया है, जो अपने बच्चों को स्कूलों में नहीं भेजते, और

(ख) यदि हां, तो उन माताओं पिताओं पर क्या जुर्माना किया जाएगा जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी नहीं, किन्तु दिल्ली प्राथमिक शिक्षा अधिनियम १९६० अब लागू किया गया है जिसके अन्तर्गत उन माता पिताओं पर अभियोग चलाने जा सकते हैं जो अपने बच्चों को स्कूलों में नहीं भेजते ।

(ख) दिल्ली प्राथमिक शिक्षा अधिनियम, १९६० की धाराओं १८ और १९ में जर्माने की व्यवस्था की गई है ।

राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला

३७६. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इनका ध्यान "राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में अनिश्चितता का वातावरण" शीर्षक के अन्तर्गत, २१ मई, १९६४ के 'स्टेटसमैन' पत्र के समाचार की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला के ढांचे में कथित तबदीली के मुख्य कारण क्या हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, हां, किन्तु राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला के कार्य में कोई 'अनिश्चितता' या 'गड़बड़ी' नहीं है ।

(ख) समाचार पत्र में कथित ऐसी कोई तबदीली नहीं हुई, अपितु प्रयोगशाला के निदेशक के कुछ प्रस्ताव प्रयोगशाला की कार्यपालिका परिषद् तथा इसकी वैज्ञानिक उपसमिति के विचाराधीन हैं ।

नई दिल्ली में बमों का पाया जाना

३७७. { **श्री बिशनचन्द्र सेठ** :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री धवन :
श्री दी० चं० शर्मा : }

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २० मई १९६४ को मीना बाग, नई दिल्ली में एक खाली मकान से कुछ बम्ब और अप्रयुक्त कारतूस पाये गये ; और

(ख) इस सम्बन्ध में की गई जांच का क्या परिणाम निकला ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) जांच अभी सम्बन्धित प्राधिकारियों के द्वारा जाची है।

अन्तर्राज्य पुलिस

३७८. **डा० महादेव प्रसाद** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, और पंजाब में फैले हुए चोरों के गिरोहों के विरुद्ध जोरदार अभियान चलाने के लिये अन्तर्राज्य पुलिस तन्त्र स्थापित करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

नूनमाटी तेल शोधक कारखाने से गैस

३७९. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री २९ अप्रैल, १९६४ के तारांकित प्रश्न संख्या १२३२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नूनमाटी तेल शोधक कारखाने से गैस सम्भरणके लिये परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो इसका मुख्य स्वरूप क्या है ; और

(ग) यदि उपरोक्त (क) का उत्तर नकारात्मक है तो कब तक रिपोर्ट तैयार होने की आशा है और उसको तैयार करने के लिये अब तक क्या कार्रवाई की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) अभी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) इण्डियन रिफाइनरीज़ के इंजीनियर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में लगे हुए हैं। जून १९६४ में इसके मिलने की आशा है।

सर्वेक्षण कार्यों के लिये नियत धन

३८०. { **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : **श्री ह० प० चटर्जी** :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या शरणार्थियों और अन्दमान द्वीपों में बसने वाले लोगों को आवंटित की गई भूमियां, उनके बस चुकने के प्रायः पश्चात् सर्वेक्षण कार्यों द्वारा, बताये गये माप से कम पाई गई हैं;

(ख) क्या पुनः तय किये गये किराये पहले वाले किरायों से हमेशा अधिक होते हैं जबकि भूमि की उत्पादक क्षमता का, फसल के बीच निर्धारकों द्वारा कभी भी अध्ययन नहीं किया जाता ; और

(ग) क्या यह सच है कि संशोधन की किसी भी अर्जी पर विचार नहीं किया गया ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) दक्षिण अन्दमान के कुछ भागों में, कुछ मामलों में सर्वेक्षण के पश्चात् भूमि कथित क्षेत्र से कम पाई गई है जबकि कुछ क्षेत्रों में भूमि अधिक थी । सर्वेक्षण कार्य अभी जारी है ।

(ख) बस्ती बसाने के क्षेत्रों में, जहां सर्वेक्षण कार्य पूरा किया जा चुका है, भूमि के पुनः विनियोजन के कारण लगान में वृद्धि हुई है, जहां भूमि कथित क्षेत्रों से अधिक थी । लगान का निर्धारण नियमानुसार भूमि वर्गीकरण के आधार पर किया जाता है और पक्षों को आपत्तियां पेश करने का अवसर दिया जाता है ।

जहां भूमि सर्वेक्षण के पश्चात् कम पाई गई है, भूमि का लगान अनुपात से घटा दिया गया है ।

(ग) जी, नहीं । प्रत्येक अभ्यावेदन पर, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, गुण दोष के आधार पर निर्णय किया जाता है ।

Reformed Service Board

380A. **Shri M. L. Dwivedi :**
Shri Subodh Hansda :
Shri S. C. Samanta :
Shrimati Savitri Nigam :
Shri Daji :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state the progress made in the work of implementing the scheme of reorganised and reformed Service Board in place of General Administrative pool ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi) : The various matters relating to the Central Administrative Pool are still under consideration, and it is, therefore, not possible yet to make any statement about the matter.

प्रथम विश्व कामगार समारोह

३८०-ख. श्री अ० सिं० सहगल : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कामगारों के लिये एक पृथक **खेल** समारोह "प्रथम विश्व कामगार समारोह" टोकियो ओलम्पिक खेलों में टोकियो में आयोजित किया जा रहा है, और क्या हमारी सरकार को उस उत्सव में सम्मिलित होने के लिये निमन्त्रण मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विभिन्न उद्योगों के खिलाड़ियों की पृथक टीमें भेजने का विचार है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) सरकार को इसकी सूचना नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भूतत्व शास्त्रियों की गोष्ठी

३८०-ग. **श्री क० ना० तिवारी** : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न संगठनों और विश्वविद्यालयों के भूतत्व शास्त्रियों की एक गोष्ठी नई दिल्ली में हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो किन प्रमुख विषयों पर चर्चा की गई और उसमें क्या सुझाव दिये गये ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) यह मान कर कि प्रश्न पत्री वर्ष १९६३ के सम्बन्ध में है, उत्तर नकारात्मक है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

रंगाई के माल की कमी

३८०-घ. **श्री श्याम लाल सर्राफ :**
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सब प्रकार के प्राकृतिक एवं कृत्रिम रेशों के लिये बढ़िया किस्म की रंगाई के माल की कमी है ; और

(ख) इस कमी को पूरा करने के लिये क्या प्रयत्न किया जा रहा है और कितनी जल्दी इसमें सफलता मिलने की आशा है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां।

(ख) देशी कच्चे माल पर आधारित बीच के माल का निर्माण बढ़ा कर इस कमी को पूरा करने का प्रयत्न किया जा रहा है, परन्तु जब तक आवश्यक बीच की सामग्री के आयात के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा उपलब्ध नहीं की जाती, कठिनाई जारी रहेगी।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

(१) दक्षिण-पूर्व रेलवे के राजनंदगांव स्टेशन पर ३२७ अप यात्री गाड़ी तथा एक लाइट इंजन में टक्कर

Shri Ram Sewak Yadav (Barabanki) : I call the attention of the Railway Minister to the following matter of urgent Public importance and request him to make a statement thereon, namely :

> " Collision of Chakradharpur-Nagpur, Passenger with a Railway engine on the 17th May, 1964, at Rajanandgaon Station resulting in injuries to several persons."

The Deputy Minister of Railways (Shri Shahnawaz Khan) : At about 1·43 hours on 17-5-1964, while train No. 327 UP Passenger wss being admitted on the Up loop line of Rajnandgaon station on the Durg-Nagpur section of South Eastern Railway, it collided with a light engine with a wagon attached standing on the line.

As a result of the collision, the driver of train No. 327 Up Passenger sustained grevious injury and 10 other persons, including 5 railway employees, sustained minor injuries.

The injured were rendered first-aid by the railway and local doctors. Of the 11 injured persons, 8 were discharged on the spot. Two passengers and the driver of the Passenger train were sent to the Civil Hospital, Rajnandgaon for treatment. The two passengers after getting medical aid left the Civil Hospital on executing risk bonds. The injured driver was subsequently transferred to Railway Hospital, Bilaspur on 18-5-64 where he is reported to be progressing satisfactorily.

The rear portion of train No. 327 Up Passenger was later backed on to the UP Main line and thereafter it left Rajnandgaon at 5·55 hours worked by another engine which had been arranged for the purpose.

The Additional Commissioner of Railway Safety, Construction Circle, Calcutta, is holding his statutory enquiry into the cause of the accident. His investigations have not yet been completed.

Shri Ram Sewak Yadav : Who are the persons responsible for this accident according to the information available at present ?

Shri Shahnawaz Khan : The Additional Commissioner, Railway Security Force, is holding an enquiry into the causes of the accident which has not been completed yet ?

(२) लापता इल्युशिन विमान के बारे में कथित समाचार

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं प्रतिरक्षा मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और उन से अनुरोध करता हूं कि वह उस बारे में एक वक्तव्य दें, अर्थात्

> "बनिहाल के निकट भारतीय वायु सेना के लापता इल्युशिन विमान की खोज के बारे में कथित समाचार ।"

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण): मुझे सभा को सूचित करना है कि पहली जून को एक खबर मिली थी कि २९ मई को एक गड़रिये ने बनिहाल के निकट 'आगम' स्थान पर एक टूटे हुए विमान को देखा था। सेना का गश्ती दस्ता और स्थानीय पुलिस कर्मचारी तुरन्त वहां गये परन्तु मौसम की खराबी के कारण अभी उस विमान का पता नहीं चल सका है। जो लोग उस विमान में यात्रा कर रहे थे उन की कई चीजें उस स्थान के आस पास मिली हैं। हम अग्रेतर जानकारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि इस विमान को गोली चला कर पाकिस्तानियों द्वारा गिराया गया था ?

श्री दा० रा० चव्हाण : अभी इस बारे में हमारे पास जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

श्री प्र० चं० बरुआ (शिवसागर) : इस विमान को किस स्थिति में पाया गया था ?

श्री दा० रा० चव्हाण : वह विमान तो बर्फ के नीचे दबा हुआ है परन्तु गड़रिये ने खबर दी थी कि यात्रा करने वालों की कुछ वस्तुयें उस स्थान के आस पास मिलीं थीं । जो भी अग्रेतर जानकारी हमें प्राप्त होगी वह सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, मद्रास के वर्ष १९६२–६३ के प्रमाणित लेख, उस पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सहित

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): मैं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था अधिनियम, १९६१ की धारा २३ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, मद्रास के वर्ष १९६२–६३ के प्रमाणित लेख उस पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सहित की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० २९२०/६४]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

पैंतालीसवां प्रतिवेदन

श्री कृष्णमूर्ति राव (शिमोगा) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का पैंतालीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं

गन्दी बस्ती क्षेत्र (सुधार तथा सफाई) संशोधन विधेयक जारी—

SLUM AREAS (IMPROVEMENT AND CLEARANCE) AMENDMENT BILL— *Contd.*

अध्यक्ष महोदय : अब सभा में गन्दी बस्ती क्षेत्र (सुधार तथा सफाई) संशोधन विधेयक पर संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में अग्रेतर चर्चा होगी । महाराजकुमार विजय आनन्द अपना भाषण जारी रखें ।

महाराजकुमार विजय आनन्द (विशाखापटनम) : मैं समझता हूं कि प्रस्तुत विधान पर्याप्त नहीं है। मेरा सुझाव है कि इस सभा में एक विधान पारित कर के सभी वर्तमान उद्योगपतियों और भावी उद्योगपतियों को बाध्य किया जाय कि वह अपने श्रमिकों के लिये रहने के स्थान आवश्यक तौर पर बनावें। जमशेदपुर, अहमदाबाद आदि जिन स्थानों में ऐसा प्रबन्ध श्रमिकों के लिये किया गया है वहां गन्दी बस्तियां नहीं पाई जातीं। आज १७ वर्ष हो गये हैं हमे स्वतन्त्र हुए परन्तु फिर भी इस दिशा में पर्याप्त प्रगति नहीं हुई है और गन्दी बस्तियाँ उत्तरोत्तर बढ़ रही हैं। इसलिये मेरा सुझाव मान कर उद्योगपतियों के लिए यह अनिवार्य घोषित किया जाय कि वह अपने श्रमिकों के लिये रहने के साफ स्थानों का प्रबन्ध करें। ऐसा करने से यह समस्या काफी सीमा तक हल हो जायगी। हमारे देश में अधिक से अधिक उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता है परन्तु जहां तक सम्भव हो यह उद्योग नगरों से दूर के क्षेत्रों में स्थापित होने चाहिये ताकि एक ही स्थान पर लोगों की भीड़ न हो सके। इस प्रयोजनार्थ सरकार को एक विधान भी पारित करना चाहिए।

गन्दी बस्तियाँ सरकारी भूमि पर ही नहीं वरन ग़ैर-सरकारी भूमि पर भी बनायी जाती हैं इसलिये सरकार की शक्ति प्राप्त कर के उन लोगों को नोटिस देने चाहिये कि अमुक अवधि तक वहां से झुग्गियां हटा ली जायें। यदि उस नोटिस के अनुसार काम नहीं किया जाता तो सरकार स्वयं उन्हें निकाल सकती है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् गन्दी बस्तियों में वृद्धि होना बहुत लज्जा की बात है। इसलिये सरकार को इस समस्या को प्राथमिकता दे कर इसे तुरन्त हल करना चाहिये।

मैंने टोकियो, ओसाका और जर्मन में देखा है कि उद्योग नगरों से बाहर के क्षेत्रों में स्थापित किये गये हैं और उद्योगों में काम करने वालों के लिये खुले मकान बनाये गये हैं। इन देशों से हमें प्रेरणा मिलनी चाहिये और हमे गन्दी बस्तियों को हटाने का प्रबन्ध करना चाहिये।

वर्ष १९६१ में भुवनेश्वर में आवास मंत्रियों के सम्मेलन में जो सिफारिशें की गयी थीं गन्दी बस्तियों की समस्या को हल करने के हेतु, मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन के अनुसार कार्यवाही की गई है ?

हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री की भी यही इच्छा थी कि गन्दी बस्तियों को हटाया जाय। इसलिये यह और भी आवश्यक है कि हम तत्परता से इस समस्या का समाधान करें।

श्री कृपालानी (अमरोहा) : मैं समझता हूं कि नगरों से गन्दी बस्तियाँ हटाने की जो हमारी धारणा है वह गलत है। हमें महसूस करना होगा कि नगरों की गन्दी बस्तियों में रहने वालों की दशा ग्रामीणों की दशा से कहीं अच्छी है।

यह देखा गया है कि यदि एक स्थान से गन्दी बस्ती हटाई जाती है तो किसी अन्य स्थान पर गन्दी बस्ती बन जाती है। इस समस्या को हल करना है तो यह आवश्यक है कि हम इस की तह तक पहुंचे और इसके सही कारण जानने का प्रयास करें। जो उपाय हम कर रहे हैं वह गलत हैं।

श्री जवाहरलाल नेहरू दिल्ली में इस समस्या को हल नहीं कर सके। मैंने देखा है कि जहां मंत्री तथा अन्य बड़े बड़े लोग रहते हैं वहां उनकी कोठियों में चार चार नौकर रहते हैं और उनके अतिथि भी आते हैं। इस प्रकार स्वयं उन कोठियों में गन्दी बस्तियां खड़ी हो जाती हैं।

811(Aii)LSD—6

[श्री कृपलानी]

मै केनिंग लेन में रहता हूं जहां कई बड़े बड़े लोग रहते हैं परन्तु वहां पर भी बहुत गन्दगी पायी जाती है। वहां पर जो कूड़ा डालने के डिब्बे रखे गये हैं गरीब लोग उनमें से कूड़ा निकाल कर जमीन पर फैला जाते हैं परन्तु कोई उनकी ओर ध्यान नहीं देता।

उससे आगे कर्जन लेन हैं जहां स्वयं हमारे स्वास्थ्य मंत्री रहती हैं। वहां बच्चे सुबह के समय गन्दगी फलाते हैं। जब मैंने स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाया तो उन्होंने उत्तर दिया कि इसकी ओर ध्यान देना नगरपालिका का काम है। यह दशा दिल्ली की है। जहां कोई चाहे पेशाब करने बैठ जाता है और जहां से कोई चाहे दातून वृक्ष से तोड़ लेता है। अंग्रेजों के काल में लोगों में शासन का भय था जो अब नहीं रहा। इसी कारण उस काल में ऐसी कुरीतियां नहीं हुआ करती थीं परन्तु अब शासन की कोई परवाह ही नहीं करता। यहां कानून तो बनाये जाते हैं परन्तु उन्हें लागू करने की ओर उचित ध्यान नहीं दिया जाता। अमरीका में मैंने देखा है कि लोगों में सामाजिक शिष्टाचार की भावना बहुत पाई जाती है। वहां पर कानून को सख्ती से लागू किया जाता है। कोई व्यक्ति अपने कुत्ते को खुला नहीं छोड़ सकता। हर व्यक्ति को अपने घर के बाहर के स्थान को साफ रखना पड़ता है। यहां पर यह हालत है कि सड़क बनाई जाती हैं परन्तु उन में बड़े बड़े गड्ढे पाये जाते हैं। वर्षा ऋतु में कई लोग मैनहोलों में गिर जाते हैं। अमरीका में दण्ड इतने कड़े हैं कि कोई कानून का उल्लंघन करने का साहस नही करता। परन्तु जो स्वतंत्रता हमें भारत में मिलती है वैसी अन्यत्र कहीं नहीं मिलती।

जब तक जनता को इतनी ढील मिलती रहेगी तब तक हम गन्दगी दूर करने की समस्या हल नहीं कर पायेंगे। इस विधेयक द्वारा हम गन्दी बस्तियों को हटाना चाहते हैं जब कि वस्तु स्थिति यह है कि सारा देश एक गन्दी बस्ती बना हुआ है। जब तक हम जनता की गरीबी, बीमारी और निरक्षरता को दूर नहीं करते तब तक कोई विधेयक पारित करने से यह समस्या हल नहीं हो सकेगी।

Shri Gauri Shanker Kakkar (Fatehpur) : In spite of the fact that we attained independence 17 years ago, slums are ever on the increase. I feel that this is a matter of shame for us. The problem of slums is very serious and a fundamental one and I do not think we will be able to rid the country of it even by passing the proposed legislation. Our real problem is economic problem. People are compelled to live in slums because they have no means to live otherwise. Economic disparity is at the root of this problem. Some poeple can live in air-conditoned bungalows whereas masses live in abject poverty. Winter, Summer and rainy seasons are all the same for them.

Due to lack of employment resources people shift to big cities and due to force of circumstances they have to live in slums. If one slum area is cleared another is created by them. The Government should have brought a comprehensive bill to tackle this problem, and attempted to remedy the slum condition prevalent in our rural areas also.

It is a matter of shame that in a city like Delhi, some povery stricken people search the dust-bins, collect rags therefrom and thus earn their living. Is this what we mean by our democratic and socialistic pattern of society ? Why do the rich become richer and poor become poorer ? This disparity and this

downtrodden life is a big blot on our Government. This problem can hardly be tackled merely by an amending legislation of the type that has been proposed.

A provision ought to be made in the proposed measure to the effect that authorities may be able to acquire the slum areas, wherever they deem it necessary with the object of improving them, so that they may not have to depend upon the owners of those plots. A provision should also be there for the interim rehabilitation of the slum dwellers, till permanent tenements are raised in the slum areas. The rent to be charged from the slum-dwellers, for the new tenements, under the proposed Bill is beyond the limited capacity of the poor dwellers and hence it should be further lowered.

The Government should study and collect data regarding the conditions under which the slum-dwellers were originally forced to resort to this type of living, and then bring forward a comprehensive piece of legislation to remedy these conditions.

The Government have failed to tackle the slum problem in Delhi, because it is the economic backwardness which compels people to create slums again and again. This problem will not be solved by the proposed legislation.

श्री सुब्बरायन (मदुरै) : गन्दी बस्तियां दरिद्र और पिछड़ेपन की द्योतक हैं । सबसे पहले गांधी जी का ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित हुआ था । उसके पश्चात् श्री नेहरू ने गन्दी बस्तियों को हटाने के लिये प्रयास किये । इसलिये इस समस्या को हल करने के लिये की जाने वाली प्रत्येक कार्यवाही समर्थनीय है । हम यथासम्भव शीघ्र गन्दी बस्तियों के सुधार के लिये प्रयास करने चाहिएं और इस लांछन से छुटकारा पाना चाहिए । गन्दी बस्तियों का मुख्य कारण यह है कि ग्रामीणों को रोजगार नहीं मिलता और वह मजबूरी की दशा में शहरों में आते हैं । दूसरा कारण यह है कि नगरों में मंहगाई बहुत अधिक है, किराये भी ज्यादा हैं ।

गन्दी बस्तियों में रहने वालों के पुनर्वास के लिये कदम उठाये जाने चाहिएं । उन के लिये मकान बनाये जाने चाहिए और उन मकानों में सफाई आदि संबंधी सभी प्रकार की सुविधायें उपलब्ध होनी चाहिएं । इस के साथ हमारी कोशिश यह होनी चाहिए कि लोग गांवों से शहरों की ओर न आयें । गांवों में रोजगार का प्रबंध हो और लोगों के लिये आवास का प्रबंध भी किया जाय । कारखाने नगरों के निकट न स्थापित किये जायं । जहां तक सम्भव हो सरकारी कार्यालय और शिक्षा संस्थायें भी शहरों से दूर हों ।

गन्दी बस्तियां हटाने और उनके स्थान पर मकान बनाने की शक्ति सरकार प्राप्त कर रही है । वह भूमि के स्वामियों को भी इस काम के लिये मजबूर कर सकेगी । उन में रहने वालों के लिये कम किराये का भी प्रबंध किया जा रहा है । एक सुझाव दिया कि सरकार स्वयं सारी भूमि प्राप्त कर ले और स्वयं गन्दी बस्तियों में रहने वालों के लिये मकान बनाये । परन्तु यह तभी सम्भव है यदि इस प्रयोजनार्थ अधिक धनराशि निर्धारित की जाय । मेरा अनुरोध है कि इस काम के लिये नियत धनराशि की मात्रा को बढ़ाया जाना चाहिए ।

मेरा यह भी सुझाव है कि गन्दी बस्तियों के निवासियों के लिये नये मकान बनाने के लिए गैर-सरकारी पूंजी का भी स्वागत किया जाय । हो सके तो रूस में तैयार शुदा मकान जो बनाये जाते हैं वैसे ही मकान यहां बनाये जाने चाहिएं । इस देश की मौसम संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार

[श्री सुब्बारायन]

वैसे मकानों में रूपभेद भी किये जा सकते हैं। गन्दी बस्तियों को तुरन्त हटाया जाना चाहिए और उनमें रहने वालों के लिये नये मकान बनाने की एक योजना बना कर उसे अविलम्ब कार्यान्वित किया जाना चाहिए। इस शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री प० ह० भील (दोहद): मुझे विधेयक के सिद्धांत पर कोई आपत्ति नहीं है चूंकि सरकार का कर्तव्य है कि जनता के लिये आवास स्थान का प्रबंध करे।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the chair*]

बड़े बड़े शहरों में जो गन्दी बस्तियां बनी हैं उनके लिये सरकार उत्तरदायी है। सरकार ने बड़े बड़े उद्योग बड़े नगरों में स्थापित किये हैं। रोजगार की समस्या को सरकार हल नहीं कर सकी है। इसी कारण गांवों से लोग रोजगार की तलाश में शहरों में जाते हैं। इसी के परिणामस्वरूप गन्दी बस्तियां बनती हैं। इस समस्या को हल करने का एक ही तरीका है कि सरकार गांवों का उद्योगीकरण करे ताकि लोग शहरों में आने को बाध्य न हों। दूसरा उपाय यह है कि सरकार लोगों के रहने के लिये सस्ते और पक्के मकानों का निर्माण करे। लोगों को बदले में मकान दिये बगैर उन्हें गन्दी बस्तियों से हटाना व्यर्थ है। सरकार को औद्योगिक क्षेत्रों के निकट ही लोगों के लिये रहने के मकान बनाने चाहिएं।

इस विधेयक में उपबंध है कि जो नये मकान भू-स्वामियों द्वारा बनाये जायं उन में वहां पर पहले रहने वालों को ही जगह दी जाय। परन्तु सभी लोगों को स्थान देना भू-स्वामी के लिये सम्भव नहीं हो सकता। इस से स्वयं गन्दी बस्तियों में रहने वालों में झगड़े हो जायेंगे।

सरकार ने गन्दी बस्तियां हटाने के लिये योजनायें भी बनायी हैं और धनराशि भी नियत की है परन्तु इसके बावजूद भी शहरों तथा गांवों में यह समस्या हल नहीं की जा सकी। दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में गन्दी बस्तियां पहले की तरह कायम हैं। हमारे मंत्री महोदय ने निर्वाचनों से पूर्व पुराने किले की झुग्गियों में रहने वालों को हटाया था और उन्हें आश्वासन दिया था कि उनके लिये बदले में मकानों के लिये प्रबंध किया जायगा। परन्तु ज्योंही वह निर्वाचित हो गये, उन्होंने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया।

निर्माण तथा आवास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना): यह दुर्भाग्य की बात है कि बार बार इस प्रकार के आरोप लगाये जाते हैं।

श्री प० ह० भील : मेरा सभा से अनुरोध है कि जनता के स्वास्थ्य की दृष्टि से हमें मिल कर काम करना चाहिए और इस समस्या का समाधान करने की चेष्टा करनी चाहिए।

श्री मुथिया (तिरुनेलवेली): मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। इसके निहित सिद्धांतों को सारे देश में लागू किया जा सकता है। आज देश के बड़े बड़े नगरों में गन्दी बस्तियां पाई जाती हैं और यह हमारी औद्योगिक सभ्यता पर एक लांछन मात्र हैं। सरकार का यह कर्त्तव्य है कि लोगों के लि, विशेषकर गरीब और श्रमिक लोगों के लिये अच्छे और स्वास्थ्यकर आवास स्थानों का प्रबंध करे।

यह समस्या सारे देश की समस्या है। गांवों में ऐसे क्षेत्र हैं जहां हरिजन गन्दी बस्तियों में रहते हैं, उन बस्तियों की दशा बहुत दयनीय है। वहां पर्याप्त सड़कें नहीं हैं, पीने के पानी का प्रबंध नहीं है और जीवनोपयोगी अन्य सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं।

गन्दी बस्तियों के सुधार के लिये हमारी सरकार द्वारा बहुत सराहनीय काम किया गया। दिल्ली में भी ऐसी बस्तियों को हटाने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं। मेरे नगर तिरूनेलवेली में भी गन्दी बस्तियां पाई जाती हैं जिन में भंगी आदि लोग रहते हैं। वह बस्तियां अत्यंत गन्दी और अस्वास्थ्यकर हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि तिरूनेलवेली नगरपालिका को इन बस्तियों में सुधार लाने के लिये पर्याप्त वित्तीय सहायता दी जाय।

सरकार यही संशोधन विधेयक इसलिये लाई है चूंकि मूल अधिनियम में कुछ त्रुटियों का अनुभव किया गया। नई धारा ६-क के अनुसार जो भूस्वामी बिना इजाजत के मकान नहीं बना सकेगा। संशोधित धारा १० के अनुसार गन्दी बस्ती का स्वामी उसी प्रकार अपनी भूमि का पुनर्विकास कर सकेगा जिस प्रकार उसे वैसा करने की अनुमति दी गयी हो। अधिनियम की धारा १९ के स्थान पर एक नयी धारा रखी गयी है जिससे किरायेदारों को वास्तविक संरक्षण किया गया है। मैं इस का भी स्वागत करता हूं। नई धारा २०क के अनुसार स्थान उन्हीं लोगों को दिये जायेंगे जो पहले उस भूमि पर रहते थे। नई धारा २०ख में पुनर्निर्मित स्थान के लिये किराये का उपबंध है जो गन्दी बस्तियों में रहने वालों के लिये हितकर है। नई धारा ३७क विवादास्पद है। इस के द्वारा सरकार को निर्बाध शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं।

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : I offer my congratulations [to the Minister for bringing forward this Bill aimed at clearance of slum areas. But a more comprehensive enactment was needed for this purpose. The late Prime Minister Shri Nehru was severely opposed to the continuance of slums. During one of his visits to Kanpur he came across slums and expressed indignation on those ugly habitations. These dwellings were later on demolished and nearly 30,000 to 34,000 houses for workers were constructed.

Sometime back a committee was set up under the chairmanship of Shri Ashok Sen. The Committee had submitted its resport in 1958 or 1959. It contained recommendations both long term and short term. It was also stated in the report that the Central Government will assist in a programme of slum clearance in Delhi, Ahmedabad, Bombay and Calcutta. But far from taking up the implementatiom of long term measures even short term steps like improvement of drainage and provision of mainholes etc. will remain to be implemented.

The city of Delhi presents a picture of disparity. In one part of the city there are palatial buildings and huge mansions, and, in the other there are dirty slums. My own conjecture about Delhi is that at least 1,25,000 workers from Rajasthan live here without houses and places of habitation. These are petty houses standing by the side of Asoka Hotel and the builders of Janpath Hotel lead a homeless life. The Defence Colony and several other colonies in the capital have buildings of unrivalled architectomic beauty. It is a matter of regret that the house builders who have raised such magnificient buildings have no houses of their own. In Kanpur the owners of premises housing workers excessive rents from their tenants Some of the slum areas in Kanpur

[Shri S. M. Banarjee]

have been converted into newly built small houses. These are very good houses—neat and tidy houses. The credit for this goes to the Minister. But the labourers living in these houses pay high rent. They pay from Rs. 10/- to Rs. 13/- per month. When water and electricity charges are added, this rises to Rs. 16/- or Rs. 17/- p. m. The mill workers are unable to bear this high rent. There this should be reduced.

Shri Nehru once remarked that one room tenemants should not be built in future. The one room houses do not provide privacy for the parents, sisters and brothes. Then these houses are an impediment in the enjoyment of conjugal life. People are compelled to lead shameless life. If the rent of these small houses is high, the facility will be availed of people other than those for whom they are meant. It reminds me one of a news item published in the *Statesman* that the " highest number of radios in slum areas " have been noticed. Fur thermore, the public sector industrial workers are not entitled to live in these houses. The defence workers numbering nearly 30,000 are also not eligible for these quarters. It has been said of these defence workers that they do not fall within the category of the industrial workers as defined by them. Such discrimination is not justified. A bulletin issued by the labour Commissioner relating to cost of living index stated that one room tenement in Kanpur is available at Rs. 5·60 nPs. But this is far from reality.

There is urgent need to improve the conditions of slum dwellers in Delhi. In Calcutta, about ten lakhs population lives in difficult condition. This should also be improved. We offer wholehearted cooperation to the Minister in this task.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) The slum dwellers are those who have built magnificient houses and huge mansions in Delhi, Weavers, biri makers, barbers, washermen and artisans live in these slums. These people have too low income to afford better houses. The Government should insist upon the owners of factories that the houses for workers should be built in the vicinity of place of work. They should also see that cleanliness is observed in slum areas. Those living in the houses for more than fifteen or twenty years and the total amount paid for by them as rent has exceeded the value of the such tenants should be given concession in rent. The workers and the poor form the backbone of India and so long the condition of living of these persons is not improved, the country will not make a headway. After Independence during the last 17 years, we see an everincreasing number of slums. Many a time Bills are brought before the House but little progress is achieved in the matter:

निर्माण तथा आवास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : संयुक्त समिति की रिपोर्ट, एक विपत्ति टिप्पण के अतिरिक्त, सर्वसम्मत है। जिन सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया है मैं उनके प्रति आभार प्रदर्शन करता हूं । वयतुत: यह समस्या जटिल, दुरूह और अमानवीय र । निर्धनता, जनसंख्या में वृद्धि और ग्राम्य क्षेत्रों में औद्यागीकरण आदि के कारण देश में गन्दी बस्तियों की संख्या काफी बढ़ गई है इस समस्या के प्रति यथार्थ दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है । अब तक इस दिशा में जो कार्य किया गया है वह अधिक उत्साहजनक नहीं है । नगरीय क्षेत्रों में ६३ लाख मकान हैं ; इन में से ७८ लाख मकानों का स्तर काफी नीचा है । रहने के लिये अयोग्य मकानों की संख्या लगभग १४ या

१५ लाख हैं । यदि हम एक अथवा दो कमरों वाले मकान बनायें तो ८०० से ९०० करोड़ रुपये खर्च होंगे । कम आय वाले वर्ग के लिये गृह निर्माण योजना, सरकारी कर्मचारियों के लिये योजना, भूमि अधिग्रहण, ग्राम्य क्षेत्रों में सुधार आदि अनेक योजनाओं पर तीन योजनाओं में केवल ३०० करोड़ रुपये का उपबंध किया गया है । यह रकम अत्यंत अल्प है । श्री बनर्जी ने मेरी जो भूमि भूरि प्रशंसा की है उसके लिये मैं उनका कृतिज्ञ हूं । आपात कालीन स्थिति के कारण हम कार्य के लिये निर्धारित रकम अन्य प्रयोजनों के लिये नियत कर दी गयी है। इस लिये इस विषय में आशानुकूल सफलता नहीं मिल सकी ।

मैंने इस बारे में योजना आयोग के नये उपाध्यक्ष श्री अशोक मेहता को लिखा है । चौथी योजना में आवास के लिये रखे गये धन को उसी मद पर खर्च करने के आदेश भी राज्य सरकारों को, दे दिये जायेंगे । राँज्य सरकारों ने यह आश्वासन दिया है कि तीसरी योजना के शेष दो वर्षों में आवास पर पूरा जोर दिया जायेगा । यदि राज्य सरकारें इस समस्या के महत्व को नहीं समझेंगी तो इस मामले में कुछ और कार्यवाही करनी पड़ेगी। मैं आवास के बारे में अब तक की गई प्रगति से संतुष्ट नहीं हूं । इस दिशा में संतोषजनक प्रगति के लिये मुझे सभा के पूर्ण समर्थन की आवश्यकता है ।

इस विधेयक के बारे में कुछ भ्रम उत्पन्न हो गया है । इस विधेयक को समस्त भारत पर लागू करने के सुझाव दिये गये हैं । परन्तु गन्दी बस्तियों की सफाई राज्य सरकारों का विषय है । इस बारे में प्रत्येक राज्यों के अपने अपने विधान हैं। इसलिये हम यह विधेयक केवल दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिये ही लाये हैं। दिल्ली की जन संख्या पहले से कई गुना बढ़ गई है । प्रत्येक वर्ष १ $^1/_2$ अथवा दो लाख व्यक्ति देश के अन्य भागों से आकर यहां बस जाते हैं । क्योंकि औद्योगीकरण तथा अन्य निर्माण कार्यक्रमों के कारण उन्हें रोजगार प्राप्त करने में कठिनाई नहीं, होती है । इस विधेयक के तीन महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं । (१) गन्दी बस्तियों में अनधिकृत रूप से मकानों के निर्माण की अनुमति न देना, (२) लोक हित के मामले के सक्षम अधिकारी को मालिक द्वारा निर्माण कार्य आरम्भ किये जाने से पहले गन्दी बस्ती क्षेत्र का फिर से विकास करने का अधिकार देना, और (३) गन्दी बस्तियों के मकान मालिकों द्वारा अपने मकानों में सुधार करने के पश्चात् पहले रहने वाले किरायेदारों को कम किराये पर मकानों का दिया जाना ।

विधेयक के खंड १० में यह उपबन्ध भी है कि सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना गन्दी बस्तियों से किरायेदारों को नहीं निकाला जायेगा । पुराने अधिनियम में जो त्रुटियां थीं, उन्हें इस संशोधन विधेयक में दूर कर दिया गया है ताकि हम गन्दी बस्तियों के सुधार सम्बन्धी कार्य-क्रम को तेजी से आगे बढ़ा सकें ।

दिल्ली में अब तक गन्दी बस्ती सफाई योजना के अन्तर्गत लगभग ४० अथवा ४५ परि-योजनायें स्वीकार की गई हैं जिन के अन्तर्गत लगभग २५,००० मकान आते हैं। इन परियो-जनाओं पर लगभग ६ करोड़ रुपये खर्च होंगे । दिल्ली में ऐसे निर्माण कार्य दिल्ली विकास प्राधिकार तथा दिल्ली नगर निगम द्वारा किये जाते हैं। ये दोनों निकाय अपना कार्य सराहनीय ढंग से कर रहे हैं। मुझे झुग्गी–झोंपड़ी वालों से पूरी सहानुभूति है । श्री स० मो० बनर्जी ने ठीक ही कहा है कि दिल्ली में बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण किया जा रहा है परन्तु उन बस्तियों में काम करने वाले मजदूरों तथा अन्य छोटे कर्मचारियों के रहने के लिये उन बस्तियों

[श्री मेहरचन्द खन्ना]

के निकट कोई मकान नहीं बनाये गये हैं। इसलिये उन्हें रहने के लिये अनधिकृत रूप से सरकारी भूमि पर झोंपड़ियां बनाने के लिये बाध्य होना पड़ता है। मैं यह बात मानता हूं कि दिल्ली में ६०,००० अनधिवासियों के रहने के लिये उन के काम करने के स्थानों के पास आवास की व्यवस्था की जनी चाहिये। परन्तु मैं इस सुझाव को स्वीकार नहीं कर सकता कि हमें कोई अन्तिम तिथि निर्धारित नहीं करनी चाहिये। यदि आज या भविष्य में अनधिकृत रूप से सरकारी भूमि पर बैठने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिये आवास का प्रबन्ध करने की जिम्मेदारी सरकार ले लेगी, तो इन ६०,००० परिवारों की समस्या भी हल नहीं की जा सकेगी। इसलिये सरकार ने यह घोषणा की है कि जून–जुलाई, १९६० से पहले जब कि जनगणना की गई थी, दिल्ली में सरकारी भूमि पर अनधिकृत रूप से बैठने वाले प्रत्येक व्यक्ति को बदले में अन्य आवास-स्थान दिये बिना उस भूमि से नहीं हटाया जायेगा। यदि भूल से कोई व्यक्ति उस जन गणना में शामिल नहीं किया जा सका है तो ऐसे मामले की अच्छी तरह जांच कर के उचित कार्यवाही की जायेगी। इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कर सकता। इस समस्या का समाधान करने के लिये लगभग १० करोड़ रुपये की राशि रखी गई है। प्रत्येक अनधिवासी परिवार को आरम्भ में २५ वर्गगज भूमि देने का विचार है, जो बाद में ८० वर्गगज तक कर दी जायेगी। इस योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है। पिछले दो तीन वर्षों में ८० वर्गगज के ५,५०८ प्लाटों की मंजूरी दी गई थी। उनमें से ४,७२० का निर्माण कार्य उन्हें सम्बन्धित व्यक्तियों को दे दिया गया है। उसी अवधि में २५ वर्ग गज के १५,४३० प्लाटों की स्वीकृति दी गई थी और उन में से ८,६१९ को पूरा किया जा चुका है। यह इन्सानियत का सवाल है और हमें इसे सहानुभूति पूर्वक हल करना है।

इस सुझाव पर सरकार फिर से विचार करेगी कि उद्योगपतियों को उद्योग स्थापित करते समय उस में काम करने वाले श्रमिकों के लिये आवास की व्यवस्था करनी चाहिये ताकि नई गन्दी बस्तियों स्थापित न होने पायें। सरकार इस सुझाव पर भी विचार करेगी कि उन पर एक औद्योगिक शुल्क लगाया जाये। जहां तक पूर्व-निर्मित गृह-निर्माण के प्रश्न का सम्बन्ध है, हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी बहुत अच्छा कार्य कर रही है। हमारा एक प्रतिनिधि मण्डल कुछ देशों का दौरा कर चुका है और एक अन्य प्रतिनिधिमण्डल को रूस तथा कुछ अन्य देशों को भी भेजने का विचार है।

मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने इस संशोधन विधेयक का समर्थन किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि गन्दी बस्ती क्षेत्र (सुधार तथा सफाई) अधिनियम, १९५६ में संशोधन करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २ से ९ विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

खंड २ से ९ विधेयक में जोड़ दिया गये ।

Clauses 2 to 9 were added to the Bill

खण्ड १०

संशोधन किया गया ।

Amendment made :

पृष्ठ ५, पंक्ति १६,—"1963" ["१९६३"] के स्थान पर "1964" [१९६४"] रखा जाये । (३)

—[श्री मेहर चन्द खन्ना]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १०, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

खंड १०, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 10, as amended, was added to the Bill

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि खण्ड ११ से १७ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion wes adopted

खंड ११ से १७ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 11 t0 17 were added t0 the Bill

खण्ड १८

संशोधित किया गया

Amendment made :

पृष्ठ ९,—

पंक्ति २६ से ३१ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :—

"(2) The Central Government may, by notification in the Official Gazette direct that any power exercisable by the Administrator under sub-section (7) of section 10, section 15, section 20 and section 30 may,

subject to such conditions, if any, as may be specified in the notification be exercised also by the Chief Secretary or by such other officer as may be mentioned therein."

[' "(२) केन्द्रीय सरकार, सरकारी गजट में, अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि धारा १० की उपधारा (७), धारा १५, धारा २० तथा धारा ३० के अन्तर्गत प्रशासक के अधिकार, अधिसूचना में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए, मुख्य सचिव अथवा ऐसे किसी अधिकारी जो उस में उल्लिखित हो द्वारा भी प्रयोग किये जा सकेंगे ।'"] (४)

—[श्री मेहर चन्द खन्ना]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १८, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

खण्ड १८, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 18, as amended, was added to the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १९ और २० विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड १९ और २० विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clause 19 and 20 were added to the Bill.

खण्ड १

संशोधन किया गया :

Amendment made :

पृष्ठ १, पंक्ति ४,—

"1963" ["१९६३"] के स्थान पर "1964" ["१९६४"] रखा जाये । (२)

—[श्री मेहर चन्द खन्ना] :

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड १, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ा दिया गया।

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया : :

The amendment made :

पृष्ठ १, पंक्ति १—

"Fourteenth" ["चौदहवां"] के स्थान "Fifteenth" ["पन्द्रहवां"] रखा जाये। (१)

—[**श्री मेहर चन्द खन्ना**]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

The enacting formula, as amended, was added to the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

The Title was added to the Bill.

श्री मेहर चन्द खन्ना : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। सरकार को गन्दी बस्तियों को हटाने के लिये बहुत अधिक प्रयत्न करने चाहियें। हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री नेहरू जी की यह हार्दिक अभिलाषा थी कि गरीब लोगों की दशा को तेज़ी से सुधारा जाये। उनके प्रति उपयुक्त श्रद्धांजलि यही होगी कि गन्दी बस्तियों को जल्दी से जल्दी हटाया जाये और इस सम्बन्ध में एक व्यापक योजना बनाई जाये। देश में गन्दी बस्तियों को हटाने के लिये एक पृथक शक्तिशाली निकाय स्थापित किया जाना चाहिये और उसे काफी धन उपलब्ध किया जाना चाहिये। सरकार को गन्दी बस्तियों में रहने वाले व्यक्तियों के लिये मकान उनके काम करने के स्थान के निकट बनाने चाहियें या उन्हें सस्ती परिवहन सुविधा उपलब्ध करनी चाहिये तभी वे लोग नये मकानों मे जाने के लिये तैयार होंगे। मुझे आशा है कि सरकार राजधानी से बढ़ती हुई गन्दी बस्तियों को हटाने के लिये तुरन्त कोई कार्यवाही करेगी। इन योजनाओं के लिये जो धन रखा गया है वह पर्याप्त नहीं है। इसलिये मंत्री महोदय को सभा से अधिक धन की मांग करने मे संकोच नहीं करना चाहिये। सरकार को इस कार्य में धीमी प्रगति के लिये राज्य सरकारों आदि की अयोग्यता का सहारा नहीं लेना चाहिये। इसीलिय मैंने एक पृथक प्रशासनिक निकाय का सुझाव दिया है। ताकि गन्दी बस्तियों को हटाने के काम मे तेज़ी लाई जा सके।

श्री मेहर चन्द खन्ना : इस विधेयक के एक अधिनियम बन जाने के पश्चात इसकी एक एक प्रति सब राज्य सरकारों को भेजी जायगी ताकि वे उसी प्रकार के विधान अपने यहां लागू करने की वांछनीयता पर विचार कर सकें। इसके अतिरिक्त, आवास मंत्रियों तथा प्रमुख नगरनिगमों के मेयरों की एक बैठक बुलाने का भी विचार है जिसमें उन पर गन्दी बस्तियों की समस्या को बहुत तेजी से हल करने के लिये ज़ोर डाला जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खाद्य अपमिश्रण रोक (संशोधन) विधेयक

Prevention of Food Adulteration. (Amendment) Bill.

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : मैं इस विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हुए यह शुद्धि करना चाहती हूं कि ३० की बजाय सदस्य संख्या ३३ होनी चाहिये जिसमें से २२ लोक-सभा और ११ राज्य सभा के सदस्य होंगे और यहां पर जो नाम छपे हुए हैं उनके साथ श्री शिव चरण गुप्त और श्री हिम्मतसिंहका के नाम भी जोड़ दिये जायें।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

डा० सुशील नायर : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि खाद्य अपमिश्रण रोक अधिनियम, १९५४ में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं की ३३ सदस्यों की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये, जिसमें इस सभा के २२ सदस्य अर्थात:— श्री बाल्मीकी, श्री बसवन्त, श्रीमती ज्योत्सना चन्दा, श्री नि० चं० चटर्जी, श्री प्र० के० देव, श्री शिव चरण, गुप्त, श्री प्रभुदयाल हिम्मतसिंहका, श्री तुलसीदास जाधव, श्री हरि विष्णु कामत श्री छ० म० केदरिया, डा० महादेव प्रसाद, श्री यमुना प्रसाद मण्डल, डा० मेलकोटे, श्री गोकुलानन्द महन्ती, डा० द० स० राजू, श्री रणजीत सिंह, डा० सरोजिनी महिषी, डा० च० भा० सिंह, डा० श्रीनिवासन, श्री उ० मू० त्रिवेदी, श्रीमती विमला देवी और डा० सुशीला नायर

और राज्य सभा के ११ सदस्य हों ;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिये गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक-तिहाई होगी;

कि समिति इस सभा को अगले अधिवेशन के पहले दिन तक रिपोर्ट देगी;

कि अन्य प्रकरणों में समितियों पर लागू होने वाले इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और रूप-भेदों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष क ; और

कि यह सभा राज्म-सभा से सिफारिश करती है कि राज्य-सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलत हो और राज्य-सभा द्वारा संयक्त समिति मे नियक्त किये जाने वाले ११ सदस्यों के नाम इस सभा को बताये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्तव सभा मे विचार के लिये प्रस्तत है। माननीय मंत्री अन्त में वाद-विवाद का उत्तर देंगे।

श्री प्रभात कार (हुगली): विधेयक के साथ संलग्न उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में यह उल्लेख है कि पिछले आठ वर्षो के अनभव से यह पता लगा है कि वर्तमान अधिनियम व्यापक नहीं है। यहां पर यह भी स्वीकार किया गया है कि खाद्य अपमिश्रण बढ़ता जा रहा है। परन्तु यह खेद का विषय है कि जो लोग खाद्य अपमिश्रण करते हैं उनको कोई दण्ड नहीं दिया जाता है। मेरी समझ में नहीं आता कि निरीक्षकों के उपबन्ध से यह समस्या कैसे हल हो जायगी। खाद्य अपमिश्रण कर्ता समाज के सबसे बड़े शत्र हैं अतः सरकार को ऐसे लोगों को कड़ा दण्ड देना चाहिये। विधेयक मे इस बारे में जो उपबन्ध हैं वे पर्याप्त नहीं हैं। इसलिये संयक्त समिति को खाद्य अपमिश्रण करने वालों के लिये अधिक कड़ीव सजा का का उपबन्त्र करने के प्रश्न पर विचार करना चाहिये। खदरा व्यापारियों के साथ साथ थोक व्यापारियों को भी दण्ड दिया जाना चाहिये। बड़े व्यापारियों को जो खाद्य का अपमिश्रण करते हैं कड़ी सजा दी जानी चाहिये। निरीक्षकों को इन लोगों के प्रभाव से मक्त किया जाना चाहिये। इस व्यापार में भ्रष्टाचार का बाजार गरम है। जब तक सरकार उन

[श्री प्रभात कार]

व्यक्तियों को कड़ी सजायें नहीं देगी, तब तक खाद्य का अपमिश्रण किया जाता रहेगा। मुझे आशा है कि संयक्त समिति इन बातों को ध्यान में रखते हुए सजा और अधिक करने की कृपा करेगी।

श्री बाल कृष्णन (कोइलपटटी) : खाद्य पदार्थों का अपमिश्रण एक आम बात हो गई है। शहरों में खाद्य पदार्थ खली हालत में बेचे जाते हैं जिसके कारण वहां पर अनेक प्रकार की बीमारियां फैल जाती हैं। इसलिये सरकार को खली हालत में खाने की चीजों को बेचने की अनमति नहीं देनी चाहिये। देशी घी के अपमिश्रण को रोकने के लिये वनस्पति घी के लिये अभी तक उचित रंग नहीं खोजा जा सका है। अन्य पदार्थों का भी अपमिश्रण किया जाता है। मैं इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूं क्योंकि इससे खाद्य अपमिश्रण को रोकने में सहायता मिलेगी।

श्री दी० चं० शर्मा : कोई भी खाद्य पदार्थ ऐसा नहीं है जिसका अपमिश्रण नहीं किया जाता है। यह एक बहुत बड़ा समाजिक अपराध है। दूध में एक ऐसे पथर का अपमिश्रण किया जाता है जिससे दूध उस पत्थर के चूरे के साथ उबालने से गाढ़ा हो जाता है। सभी दूध बेचने वाले उस पत्थर का इस्तेमाल करते हैं। भारतीय नागरिक को औद्योगीकरण के कारण स्वस्थ वायु नहीं मिल पाती है। न ही उसे शुद्ध भोजन तथा शुद्ध पानी मिलता है। इसलिये सरकार को उसके स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिये अवश्य ही कोई कार्यवाही करनी चाहिये। इस विधेयक में हालांकि दण्ड पहले से अधिक कर दिया गया है परन्तु वह भी पर्याप्त नहीं है। खाद्य अपमिश्रण के मामलों में छः महीने अथवा दो या तीन वर्ष की सजा कुछ भी नहीं है। खाद्य अपमिश्रण करने वाले व्यक्तियों को वही सजा दी जानी चाहिये जो कि एक हत्यारे को दी जाती है क्योंकि वे भी समाज के हत्यारे ही हैं।

पहले, दूसरे अथवा तीसरे अपराध में अन्तर हटा देना चाहिए। भूल करने वाला अथवा गलत बात करने वाला हर हालत में सजा का हकदार है। खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों को पहली बार कम से कम सात वर्ष का कारावास दिया जाना चाहिए। और साथ में २००० रुपये का जुर्माना होना चाहिए। इस बुराई को आरम्भ में ही बढ़ने से रोक देना चाहिए। हमें एक बात समझ लेनी चाहिए कि खाद्यों में मिलावट करने वाले सामाजिक हत्यारे हैं। इसके लिए विधेयक में विशेष व्यवस्था नहीं की गयी। शायद ही कोई ऐसी खाद्य वस्तु हो जिसमें मिलावट न होती हो। मेरा निवेदन यह है कि जब तक इस बुराई को रोकने और राष्ट्रीय स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए कठोर पग नहीं उठाये जायेंगे तब तक इस दिशा में बहुत ही कम सफलता मिलने की आशा है।

इस बात का मुझे हर्ष है कि खाद्य निरीक्षकों का वेतन क्रम बढ़ाया जा रहा है। और यह भी ठीक है कि उन्हें स्थानीय निकायों के प्राधिकार से निकाल कर राज्य सरकारों के प्राधिकार में लाया जा रहा है। इस प्रकार के विधानों का सबसे बड़ा दोष ही यह होता है कि उनका निर्माण तो हो जाता है परन्तु उन्हें ठीक ढंग से कार्यान्वित नहीं किया जाता। इसके लिये संयुक्त समिति को कोई हल तलाश करना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रशासन के केन्द्रीकरण करने का काम युद्धस्तर पर किया जाना चाहिए। इसको वैसा ही महत्व दिया जाना चाहिए जितना कि देश की प्रतिरक्षा को दिया जाता है। मेरा मत है कि विधान की प्रभावकारी क्रियान्विति के लिए निरीक्षक कर्मचारियों का केन्द्रीकरण बड़ा ही आवश्यक काम है। इसके बिना कोई परिणाम निकलने की सम्भावना नहीं है।

मैं विधेयक के खंडों के बारे में दो तीन बातें कहना चाहता हूं । मुझे प्रसन्नता है कि "लोक स्वास्थ्य का हित" शब्दावलि को बहुत व्यापक रूप में प्रयोग किया गया है, परन्तु यह बहुत ही अस्पष्ट और सामान्य है । नियमों में इसकी परिभाषा दी जानी चाहिए । खंड ८ के द्वारा विक्रेताओं के लिए कुछ बचने के तरीके निकल आते हैं उन्हें हटा दिया जाना चाहिए । यद्यपि इससे मिलावट दूर तो नहीं होगी फिर भी भावना अच्छी है, अतः मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

Shri Bade (Khargone) : I welcome the Bill and congratulate the Honorable Health Minister for this. This Bill has been put forward very late, but anyway better late than never. For the last two years we have been hearing that such a bill is coming, and now it has come. As this Bill is going to the Select Committee I shall not go into its clauses in details. I would like to concentrate on the point that what is the necessity of such a Bill and how the percentage of food adulteration has increased to a very great degree after the Independence. This percentage in different States varies from 15·9 to 66·7 per cent. and the all India average stood at 29·1 per cent.

It has been published in papers that this is due to the maladministration. This task was handed over to the local bodies. The Food Inspectors were appointed and to analyse there were laboratories also. But our laboratories where samples were sent for analysis were ill-equipped and suffered from shortage of staff. The result was that many of the articles sent to them were not tested and returned under one plea or the other. I would like to stress that the number of laboratories should be increased in every zone and better paid scientists should be appointed. The samples of one State should be sent to a laboratory in another State. Also, the sample should not bear the name of the company but merely the number.

I do not know what has happened to the proposal for setting up of a laboratory at Rajpur Road Delhi. The conception of zones was not very clear. It should also be considered whether the functioning of the State and the Central Government. Inspectors at the same time would not lead to duality. I would submit that the words "as far as possible" were necessary and should not be removed from clause 5. Otherwise, a great responsibility would be thrust upon the food inspectors.

There are good things in the Bill and punishment provided is also good, even the higher punishment may also would have been accepted by the House. But it is very necessary to have well equipped laboratories and well paid inspectors.

श्री मा० ल० जाधव (मालागांव) : मैं विधेयक का समर्थन करता हूं । हर रोज यह देखने में आता है कि प्रतिदिन के प्रयोग में आने वाली वस्तुओं में मिलावट हो रही है । दूध, घी, तेल और मसाले, कोई चीज इस रोग से बची नहीं । इस विधेयक में अपराधियों के लिए अधिक दण्ड की व्यवस्था की जा रही है । परन्तु मेरा मत यह है कि जब तक अपराधों का पता लगाने के लिये एक कुशल तथा सतर्क संस्था की व्यवस्था न हो तब तक उसका कोई लाभ प्राप्त नहीं किया जा सकता ।

मुझे इस बात का हर्ष है कि खाद्य निरीक्षकों को स्थानीय निकायों के प्राधिकार से निकाल लिया गया है और अब ये लोग राज्य सरकारों के अधीन काम करेंगे । अब तो केन्द्रीय सरकार भी खाद्य निरीक्षकों को नियुक्त कर रही है ताकि ये लोग आज़ादी से काम कर सकें । परन्तु मेरा निवेदन यह

[श्री मा० ब० जाधव]

है कि उन्हें वेतन अच्छा दिया जाना चाहिए। कम से कम इन लोगों को इतना ऊंचा तो रखा ही जाना चाहिए कि ये लोग भ्रष्टाचार की ओर न बढ़ सकें।

खाद्य पदार्थों में मिलावट करना सामाजिक अपराध है। सूरत और बम्बई में इस मिलावट के कारण सैकड़ों लोग मर गये हैं। मैंने पता किया है ८० से ६० प्रतिशत तक मिलावट हो रही है। और उससे समाज और राष्ट्र के स्वास्थ्य को भारी खतरा हो रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि विधेयक संयुक्त समिति के पास जा रहा है। समिति को इस रोग का निवान करने के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए। इन शब्दों से मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

Shri Yashpal Singh (Kairana) : I congratulate the Minister for this Bill. The country needed this Bill very badly. But there are lacunae towards which I want to draw the attention of the honourable Minister.

The Bill provided for a dual system of Inspectors which, in my opiniou was bound to lead to disorder and confusion. My view is that the inspectors should be appointed by Centre directly. I would like to urge that most stringent measures should be taken against the offenders.

In this connection, I may also state that the manufacture of Vanaspati should be completely stopped. If that is stopped the adulteration in ghee will automatically come to an end. This problem will not solve if some colouring agent was discovered. This is also a fact that the milk supplied by the Delhi Milk Scheme in Delhi caused scabies and diarrhoea. The reason is that the milk supplied is not fresh. I would stress that people living in big houses in Delhi should be allowed to keep cattle so that fresh milk could be made available. We will not be able to maintain our original thinking with tea and Dalda. The Ministry of Health pay serious attention to this situation. With these words I support the bill but pray that defects may be removed.

Shri Sinhasan Singh (Gorakhpur) : The Prime Minister designate stated only questions that our economic structure is based on socialism. This has been decided, but the main difficulty in this connection is that of implementation. Government have not been able to attain the requisite success in the Food Adulteration Act, because the punishment was not sufficiently deterrent. But one wondered if what was being provided in the measures before us would achieve the desired result.

I may again state that the main difficulty is that of implementation. Mere upgrading the inspector of the local bodies to the State Government level will not solve the problem and improve the situation. What was required was that there should be men of honesty and integrity. The situation as it stands is that only the small people were caught while the big offenders escaped. Dont give the opportunity of defence to anybody in this matter. It can spoil the game.

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी (बरहामपुर) : प्रस्तुत विधेयक में जिस रूप में उपबंध रखे गये उनसे अपेक्षित लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसमें खाद्य अपमिश्रण को रोकने के लिए दो उपबन्ध, अर्थात दंड बढ़ाना और खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के प्रशासन का केन्द्रीयकरण करना किये गये हैं। मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि इस कार्य में सफलता नहीं मिल सकती है।

हमें बताया गया है कि केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद ने अक्टूबर, १९६० में हुई बैठक में सिफारिश की थी कि खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण करने वालों को अधिक कठोर दंड दिया जाना चाहिए तथा निरीक्षकों को स्थानीय प्रशासन के अधीन न रख कर राज्य सरकार के अधीन रखा जाये। किन्तु

प्रस्तुत विधेयक में केन्द्र सरकार को खंड ४ के अन्तर्गत केवल निरीक्षकों की नियुक्ति का अधिकार देने लेने की व्यवस्था की गई है ।

यह ठीक है खाद्य अपमिश्रण के अपराधियों को कड़ी सजा दी जानी चाहिए किन्तु जब तक हमारे पास पर्याप्त अर्हता प्राप्त लोग खाद्य पदार्थों के निरीक्षकों के रूप में नहीं होंगे तब तक हम इस दिशा में बिल्कुल भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यदि हम वास्तव में खाद्य अपमिश्रण रोकना चाहते हैं तो स्थानीय प्रशासन के स्वास्थ्य अधिकारियों को खाद्य निरीक्षकों के पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए । इस समय खाद्य अपमिश्रण निरीक्षकों का काम सफाई निरीक्षकों को सौंपा गया है, जो बहुत कम वेतन पाने वाले कर्मचारी हैं । यदि इतना उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य एक कम वेतन पाने वाले कर्मचारी को सौंपते हैं तो हमें यह समझ लेना चाहिये कि भ्रष्टाचार अवश्य फैलेगा ।

स्थानीय प्रशासन और पंचायतें ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सफाई निरीक्षक नियुक्त कर सकती हैं किन्तु उनके ऊपर देखभाल करने वाले कर्मचारी, केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकारों के अधीन होने चाहिए । किन्तु दुर्भाग्य की बात है कि प्रस्तुत विधेयक में इसकी कोई व्यवस्था नहीं है । सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और अपमिश्रण को रोकने के लिए कोई उचित व्यवस्था करनी चाहिए ।

सरकार का यह सोचना निराधार है कि विधेयक में कड़े दण्ड की व्यवस्था करने मात्र से ही खाद्य अपमिश्रण नहीं होगा । इस विधेयक में अनेक ऐसी त्रुटियां रह गई हैं जिनका सहारा लेकर अपमिश्रण करने वाले आसानी से कानून की पकड़ से निकल सकते हैं । विधि मंत्रालय में विधेयक का प्रारूप तैयार करने वाले अधिकारियों को इन त्रुटियों की ओर ध्यान देना चाहिए था ।

दंड को अधिक कठोर बनाने की अपेक्षा यह अधिक महत्वपूर्ण बात है कि उन उपबंधों को प्रभावी ढंग कार्यरूप दिया जाये जिनमें दण्ड की व्यवस्था की गई हैं । जब तक हम किसी कानून को ठीक तरह से लागू नहीं करते हैं तब तक कानून बनाने से कोई लाभ नहीं है । उदाहरणार्थ, पश्चिम बंगाल के प्रथम मुख्य मंत्री को अपने पद पर से इसलिये हाथ धोने पड़े कि वे इस बात के लिये दृढ़ प्रतिज्ञ थे कि खाद्य अपमिश्रण को रोका जाये ।

अतः केन्द्र सरकार द्वारा केवल निरीक्षकों की नियुक्ति की शक्ति अपने हाथ में लेने से काम नहीं चल सकता है । समूचे अधिनियम का पुनर्विलोकन करके इस दिशा में कुछ प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : स्वास्थ्य मंत्री महोदया वाद विवाद का उत्तर देने के लिए कितना समय लेंगी ।

डा० सुशीला नायर : लगभग २० से २५ मिनट ।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें ४ बज कर ४० मिनट पर उत्तर देने के लिये कहा जायेगा ।

Shri Hem Raj (Kangra) : When the original Bill was passed we had hoped that un-adulterated foodgrains would be available to the people, but our subsequent experience belied our hopes. Food adulteration is ever on the increase. In order to tackle this problem, the Government had thought of two remedies. One was centralisation and the other was deterrent punishment

[Shri Hem Raj]

to these responsible for adulteration. But in fact, the Government is bifurcating the responibility between Centre and the States. If this problem is to be tackled, the Centre must take the whole responsibility upon itself.

[श्री सोनावने पीठासीन हुए]
[MR. SONAVANE *in the chair*]

To-day, most of the food articles available in the market are adulterated. The Government have introduced control on sugar, but the sugar available in the rural areas of Punjab contains sand. The same is the condition of oils. They say people have become victims of death during the last few years at Simla, due to that. When the original Bill was under consideration in the year 1954, I had pointed out that we should try to check the food articles at the source. But today we find that the small retail dealers are being caught for adulteration.

I tried to raise a question, asking for the number of retailers, as also of the wholesale dealers, who have been prosecuted against on the charge of adulteration and I got the reply that it was difficult to collect such figures. If the Government feel that the question of public health is involved in it, then, is it prepared to award most deterrent punishment to the wrong doers?

The Government have appointed innumerable inspectors to check adulteration. But they only serve to put the small dealers to a lot of inconvenience. Dealers are compelled to greese their palms and to keep them in good humour. I think only Central Government Inspectors should be there to do this job.

A provision should be made in clause 5 making it essential that some people of the concerned locality should also present themselves at the time a particular dealer is challaned. The word "shall" should be brought in.

Today we find that an employee getting small salary owns articles of luxury. All the efforts put by the administrators have failed to check corruption. The laws are there on paper but they are never implemented properly. The fear element which was there during the British regime is no more there now. The wrong-doers at the lower level are shielded by those at the helm of affairs. Therefore, I feel that the whole administration should be centralised and it should be made responsible to Parliament. With this end in view, the Government should have brought forward a comprehensive measure instead of this small amendment. I support the proposed amendment but I request that the Select Committee may try to make it more comprehensive.

श्री अ० न० विद्यालंकार (होशियारपुर) : यद्यपि मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं तथापि मैं दृढ़तापूर्वक कह सकता हूं कि यह विधेयक जिस उद्देश्य से लाया जा रहा है वह पूरा नहीं हो सकता है ।

अपमिश्रण की समस्या मुख्य रूप से भ्रष्टाचार के कारण हमारे सामने है जिसका उन्मूलन केवल कानून बनाने मात्र से या निरीक्षकों की नियुक्ति की शक्ति केन्द्र सरकार द्वारा अपने हाथ में लेने से नहीं किया जा सकता है । यदि सरकार वास्तव में अपमिश्रण की समस्या को हल करना चाहती है तो इस बुराई के विरुद्ध जनता में जागृति पैदा करनी होगी और लोगों में उपयुक्त सामाजिक शिक्षा का प्रचार करना होगा । स्वास्थ्य मंत्रालय को प्रचार प्रकाशनों द्वारा जन साधारण को अप-

मिश्रण से होने वाली हानियों के बारे में बताना चाहिए। इस संबंध में सरकार कानून बनाने के अतिरिक्त और कुछ कार्य करने में पूर्णतया असफल रही है।

इस बुराई को दूर करने के लिए सरकार और जनता, दोनों को, मिल कर काम करना होगा। लोगों में सतर्कता की भावना पैदा करनी होगी। विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय समितियां नियुक्त की जानी चाहिए।

निरीक्षकों की नियुक्ति के स्थान पर सार्वजनिक व्यक्तियों, जैसे स्थानीय निकायों के अध्यक्षों को ऐसी शक्तियां दी जानी चाहिएं जिनसे वे अपमिश्रण संबंधी शिकायतों का तत्काल निबटारा कर सकें।

प्रायः देखा गया है कि अपमिश्रण के लिए खुदरा दुकानदारों का चालान किया जाता है जब कि अधिकांश मामलों में इसके लिए थोक व्यापारी और निर्माता दोषी होते हैं। किन्तु इन लोगों का चालान नहीं किया जाता है। सरकार को कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे वास्तविक अपराधी के विरुद्ध कार्यवाही की जा सके।

सरकार दो वर्षों के अन्दर देश से भ्रष्टाचार को समूल नष्ट करना चाहती है। अतः स्वास्थ्य मंत्री को भी इस बुराई को दो वर्षों के अन्दर उन्मूलन करने के लिए उपयुक्त उपायों के बारे में प्रभावी कदम उठाने चाहिएं।

डा० मा० श्री० अणे (नागपुर): यह सराहनीय बात है कि स्वास्थ्य मंत्री ने एक बहुत उपयोगी विधेयक सभा में प्रस्तुत किया है। यदि इसे प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया गया तो इससे काफी हद तक सफलता मिल सकेगी।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि विधेयक में अनेक त्रुटियां रह गई हैं। इस विधेयक को अभी संयुक्त समिति को सौंपने के लिए प्रस्ताव किया गया है। ये त्रुटियां संयुक्त समिति द्वारा विधेयक पर विचार करते समय दूर की जा सकती हैं।

आज देश में खाद्य अपमिश्रण की समस्या ने गंभीर रूप धारण कर लिया है। प्रायः सभी निर्माता, थोक व्यापारी तथा दुकानदार खाद्य पदार्थों में मिलावट करते हैं। बाजार में कोई शुद्ध चीज मिलना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य हो गया है। खाद्य अपमिश्रण करना खाद्य पदार्थों द्वारा लोगों को विष देना है।

यह विधेयक एक गंभीर समस्या का हल करने के लिये प्रस्तुत किया गया है। इसमें लोगों के जीवन मरण का प्रश्न है। यह सराहनीय बात है अपराधियों को दिया जाने वाला दंड अधिक कठोर बनाया जा रहा है। इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। किसी कानून को यदि प्रभावी बनाना है तो उसकी क्रियान्विति ठीक ढंग से की जानी चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस विधेयक के अधिनियम बन जाने पर इस कार्यकरण को ऐसे निरीक्षकों के हाथों में सौंपा जाना चाहिए जो योग्य, शिक्षित तथा प्रशिक्षित हों और जिनमें उत्तरदायित्व की भावना भरी हो। ये निरीक्षक उच्चतम संस्था, अर्थात केन्द्रीय सरकार की देख रेख में काम करें। यदि इन सब बातों को ध्यान में रख कर कार्य किया गया तो अपमिश्रण निवारण के कार्य में काफी सफलता मिल सकती है।

Shri Onkar Lal Berwa (Kotah) : While supporting the proposed measure, I feel that the Government itself is largely responsible for food adulteration. About eight or nine months back, turmeric worth one lakh and thirteen thousand rupees was found adulterated. I want to ask the hon. Minister what action was taken regarding that ? I know that that turmeric was allowed to be sold in the market, which affected adversely the health of the people who consumed that. What is the use of the Government's profession that adulteration will be checked, when it itself is so much responsible for adulteration.

For adulteration, action is invariably taken against the small dealers, because the big capitalists make large contributions, at the time of elections, towards party funds.

Inspectors also fail to check adulteration, because the dealers work in collusion with them. The high officials are also not absolve from this charge. With the result that almost all the food articles available in the market are adulterated.

It was pointed out by the Tek Chand Committee that the Government sells alcohol worth Rs. 72 crores and alcohol worth about Rs. 58 crores is available from other sources. Poorer sections of the people consume spirit in place of wine, which ruins their health. Each wine dealer contributes ten or twenty thousand rupees to the party funds at the time of elections. Consequently, no action can be taken against them. I can show to the hon. Minister how spirit is sold by wine merchants at Kotah in Rajasthan.

In Ahmedabad and Bombay spirit is being sold. Adulteration is prevelant and Government does not take any action. If a person earns rupees 1000 and he is made to pay a penalty of Rs. 100, it is no punishment.

The ruling party receives subscriptions from the adulterators and that is why they do not take any action against them. The laboratories receive orders from the Minister and set the sample right and the offenders escape the punishment.

डा० सुशीला नायर : या तो माननीय सदस्य यह प्रमाणित करें कि मंत्री इस तरह के आदेश भेजते हैं नहीं तो वे अपने शब्द वापिस लें ।

Shri Onkar Lal Berwa : I can give proof of several cases wherein results of sample have been delayed for years together. The laboratories wait for somebody to come and greese their palm. There must be some time limit for declaring the results of the samples.

There should be some method of making search and also a demarcation of the jurisdiction of Central and State Inspectors. It is wrong to say that Dalda cannot be coloured. The fact is that the owners of the industries of vanaspati ghee, give big amounts to the ruling party for fighting elections, that is why the Vanaspati oil is not being coloured. Adulteration must be ended with a heavy hand.

Vigilence Commission is being set up. How will it be able to function effectively. If a guard of a train carries 10 passengers to Bombay and pockets the money, how will the Vigilence Commission check him. Fair and dispassionate measures should be adopted to check corruption.

श्री कपूर सिंह : माननीय सदस्य ने कहा है कि स्वास्थ्य मंत्री प्रयोगशालाओं के काम में हस्तक्षेप करते हैं। या तो यह प्रमाणित होना चाहिये या उन्हें ये शब्द वापस लेने चाहिएं।

सभापति महोदय : उन्होंने किसी मंत्री का नाम नहीं लिया। सामान्य बात कही है।

Shri Sarjoo Pandey (Rasra) : There cannot be two opinions about the fact that food stuffs are being adulterated. The hon. Minister holds the opinion that adulteration would be ended through this Bill. I do not agree with her.

It has been said in the report that several persons have been punished and adult ration in sugar has been ended. But this thing does not collaborate with the fact. Shri Yashpal Singh has suggested for awarding deterrent punishment but the history is an evidence to the fact that even such practices have failed in ending the corruption. The only remedy to this evil is to efface the capitalism.

Shri Sinhasan Singh : Delhi Milk Scheme is a Government undertaking and that also indulges in adulteration.

Shri Sarjoo Pandey : The reason for that is that the attitudes of the people have not been changed. Only the rich people and the capitalists can enter the Government as well as the high posts in the public sector. So merely the change of the nomenclature of private sector to the public sector cannot bring the real change. The public catering in the railways is worse than the private catering because the private contractors were more careful to meet the demand of the customers for the sake of their profit. I therefore emphasise the argument that we have to change the atmosphere and the attitude of the people.

There is no use of increasing the number of inspectors because they harass small shopkeepers who grease their palms to get themselves relieved of the trouble.

I wish that the Select Committee should make necessary changes in the Bill because the provisions for first, second, third and fourth offences indicate that the people would be allowed to commit offences.

The fact is that there was no need of bringing this bill. But the machinery to implement the present law required to be streamlined. The Ministers should have direct contact with the people and should know their difficulties. Only then the corruption can be irradicated. Any increase in the laws would be of no avail. The moral standard of the people should be raised and the Ministers should set their own examples.

Shri Tulshidas Jadhav (Nanded) : I rise to support the amending Bill. The present law was not adequate to check adulteration. It was, therefore, necessitated to revise the Act. Now the administration is going to be centralised and the Central Government would appoint the food inspectors. I thank the Minister for this measure.

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

Merely the enactment of laws is not sufficient, because the cause of the evil of adulteration is scarcity of commodities. Hence other Departments con-

[Shri Tulsi Das Jadhav]

cerned with food production should take such steps as to make adequate supply of food stuffs.

Shri B. N. Mandal (Saharsa) : It is wrong to think that this amending bill would eradicate adulteration, because though it appears that the Government is in the hands of Congress, yet the fact is that the virtual rulers are the profiteers. Whenever there is a pressure from the people Government brings the legislation which is never implemented. The inspectors play in the hands of profiteers and the higher authorities and the Ministers are unable to check them.

Law against food adulteration was enacted on the report of Bhor Committee, but that has not been able to improve the situation. So the Congress who is wedded to socialism should first of all eradicate profiteering and only then the evil of adulteration would be checked. The Government should withdraw this Bill and bring such measures as can improve the situation in the country. The new regime which being set up should take steps to end profiteering only then such law can be beneficial.

Shri Sheo Narain (Bansi): I request the Government for excercising strict watch to check adulteration. The society should be preached in that. respect. The Government alone is not responsible. It is not proper to say that all officers are dishonest.We have best officers and best leaders in the country. If inspectors are not honest, let the special C.I.D. look into this affair. The Government is wedded to the principle of socialism. It is a noble objective and we must cooperate with Government in the fulfilment of this objective. We should make every endeavour to see that pure and unadulterated commodities are available to the people.

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar) : Except one or two members all others have extended their support to the bill. I express my gratitude to them. Jan Sangh and Socialist members demand the withdrawal of the bill on the plea that new Government is coming in. But there is no new government. It is the same government which had emancipated the country from foreign rule seventeen years back. We are still proceeding with the same policies and principles which were evolved by late Shri Jawaharlal Nehru. Some members have attacked the Ministers. If we act in pursuance of what these members have stated, the entire judiciary will receive a set back. For analysis of adulterated food stuffs, there is an elaborate machinery. There is an all India laboratory in Calcutta. Any person who doubts the analysis can straight away go to the Calcutta laboratory. The previous law envisaged two independent witnesses. They say that the cases fail only because of this legal requirement. It is true that for checking adulteration, moral standard should be raised. But Government cannot help in the raising of moral standard. It is possible only when people realise their responsibility. Much has been said about inspectors. There are all sorts of inspectors—both good and bad. We have provided for inspectors at the Central level. This will help in administering the law at zonal level. Law alone is not adequate; it is its effective implementation. We are trying to have good laboratories and latest equipments. We are also making efforts to see that the results of tests be obtained in the same month.

I am aware of the magnitude of this problem also in villages. I have travelled into villages—far and wide. We will set up five zonal offices, their locations will be decided later on. Some members have complained against

hawkers. The government can not exercise its authority on these each and every affair. It is the health education development of civic sense, that is required. A member wanted to know the number of prosecutions. 46,032 prosecutions took place in 1962; out of these, in 32,154 cases punishment was awarded. The bill will not go to the Joint Committee. We will try to plug all loopholes in the bill. The question of pescribing qualification for food inspectors is also under consideration. There is no such thing as dual control. The Central inspectors will help the State authorities. These will also solve the difficulties that arise from boundaries of various States.

I once again express my gratitude to the members who have welcomed this bill.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :—

खाद्य अपमिश्रण अधिनियम, १९५४ में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं की ३३ सदस्यों की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये, जिसमें इस सभा के २२ सदस्य अर्थात् :—

श्री बाल्मीकी, श्री वसन्त, श्रीमती ज्योत्सना चंदा, श्री नि० चं० चटर्जी, श्री प्र० के० देव, श्री शिवचरण गुप्त, श्री प्रभुदयाल हिम्मतसिंहका, श्री तुलसीदास जाधव, श्री हरि विष्णु कामत, श्री छ० म० केदरिया, डा० महादेव प्रसाद, श्री यमुना प्रसाद मंडल, डा० मेलकोटे, श्री गोकुलानन्द महन्ती, डा० द० स० राजू, श्री रणजीत सिंह, डा० सरोजिनी महिषी, डा० च० भा० सिंह, डा० श्रीनिवासन, श्री उ० मू० त्रिवेदी, श्रीमती विमला देवी, और डा० सुशीला नायर

और राज्य सभा के ११ सदस्य हों ;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिये गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई होगी ;

कि समिति इस सभा को अगले अधिवेशन के पहले दिन तक रिपोर्ट देगी ;

कि अन्य प्रकरणों में संसदीय समितियों पर लागू होने वाले इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और रूप-भेदों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष करें ; और

कि यह सभा राज्य-सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य-सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को बताये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

इसके पश्चात् लोक सभा गुरुवार ४ जून, १९६४ / १४ ज्येष्ठ, १८८६ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Thursday, the 4th June, 1964/Jyaistha 14, 1886 (Saka).

GMGIPND—LSIII—811(Ai)LS—20-7-64—600